मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2015 सत्र

मंगलवार, दिनाँक 24 फरवरी 2015

तारांकित प्रश्नोत्तर

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों से संबंधित अधिकार

1. **(*क्र. 1055) श्रीमती रेखा यादव :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन वन विभाग वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा ग्राम स्वराज की स्थापना से संबंधित दिनाँक 25 जनवरी 2001 को जारी आदेश में संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों द्वारा संचालित किन-किन गतिविधियों के संचालन का नियंत्रण ग्राम सभाओं को प्रत्यायोजित किए जाने का पत्र जारी किया हैं ? इस पत्र को किस दिनाँक को राज्य शासन ने निरस्त किया । (ख) वन मुख्यालय सतपुड़ा भवन भोपाल से दिनाँक 25 जनवरी 2001 से प्रश्नांकित तिथि तक संयुक्त वन प्रबंधन समितियाँ किस-किस विषय पर किस दिनाँक को मुख्य वन संरक्षक एवं वनमंडलाधिकारियों को पत्र जारी किए गए । इसमें से कौन-कौन सा पत्र मध्य प्रदेश शासन वन विभाग वल्लभ भवन भोपाल ने जारी किया था ? पत्रों की प्रति सहित बतावें । (ग) छतरपुर एवं बैतूल वन वृत्त के अंतर्गत किस वनमंडल में कितनी समितियां कार्यरत हैं, इनमें से कितनी समितियों के द्वारा संचालित कौन-कौन सी गतिविधियों के संचालन का नियंत्रण 25 जनवरी 2001 के आदेशानुसार ग्राम सभाओं को सौंपा जा चुका है, किन-किन गतिविधियों के संचालन का नियंत्रण ग्राम सभाओं को प्रश्नांकित तिथि तक भी नहीं सौपा गया ? (घ) 25 जनवरी 2001 के शासनादेश के बाद भी समितियों के द्वारा संचालित गतिविधियों का नियंत्रण ग्राम सभाओं को प्रश्नांकित तिथि तक भी न सौपें जाने का क्या कारण रहा है ? इसके लिए शासन किसे जिम्मेदार मानता है ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार): (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है** । इस आदेश को राज्य शासन ने निरस्त नहीं किया है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है** । (ग) एवं (घ) छतरपुर और बैतूल वन वृत्त के अंतर्गत वन

मण्डलवार समितियों की संख्या निम्नानुसार है :-

वृत्त	वनमण्डल	कार्यरत समिति की संख्या
छतरपुर	छतरपुर	281
	टीकमगढ़	196
	उत्तर पन्ना	97
	दक्षिण पन्ना	226
बैतूल	उत्तर बैतूल	174
	दक्षिण बैतूल	303
	पश्चिम बैतूल	166

शासकीय संकल्प में निहित प्रावधान अनुसार समितियों का गठन मध्यप्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 6 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश ग्रामसभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम, 2001 में दर्शायी प्रक्रिया अनुसार आयोजित ग्रामसभा की बैठक में किया जाता है । अत: समिति द्वारा संचालित समस्त गतिविधियाँ ग्रामसभा के नियंत्रण में हैं । शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>वन भूमि पर काबिज व्यक्तियों को पट्टे का प्रदाय</u>

2. **(*क्र. 910) श्री राम सिंह यादव :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि शिवपुरी जिले में वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों के लिए उपयोग हो रहा है ? यदि हाँ, तो किस-किस वन परिक्षेत्र के अंतर्गत किन-किन वन कम्पार्टमेंट नम्बरों की कितनी-कितनी भूमि का उपयोग फसल उत्पादन करने एवं उत्खनन कार्य के लिए किया जा रहा है ? (ख) उक्त वन भूमि पर प्रश्नाधीन वर्णित व्यक्तियों का कब से कब्जा है ? क्या शासन प्रश्नांश (क) में वर्णित को काबिज वन भूमि का पट्टा प्रदान करेगा ? यदि हाँ, तो कब तक ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार): (क) जी हाँ । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'ब', 'स', 'द' एवं 'इ' अनुसार है** । (ख) वन भूमि पर अतिक्रमण संज्ञान मे आने पर वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाता है । अतिक्रमण करने की तिथि का संधारण नहीं किया जाता है । अत: प्रश्नाधीन वन भूमि पर कब्जे की तिथि दिया जाना सम्भव नहीं है । वन विभाग द्वारा वन भूमि पर काबिज व्यक्तियों को वन भूमि के पट्टे दिये जाने की वर्तमान में कोई योजना प्रचलित नहीं है अपितु अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन भूमि पर काबिजों को नोडल विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा वन भूमि के अधिकार पत्र दिये जाने की कार्यवाही प्रचलित है । पूर्व में शासन के निर्णय अनुसार दिनाँक 24.10.1980 के पूर्व के पात्र अतिक्रामकों को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत स्वीकृति

प्राप्त कर पट्टे वितरित किये जाने थे, परन्तु वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अतिक्रमण व्यवस्थापन पर रोक है । अत: समय-सीमा बताया जाना सम्भव नहीं है ।

<u>सार्वजनिक परिवहन और पार्किंग के लिये पार्किंग पॉलिसी का गठन</u>

3. **(*क्र. 373) श्री आरिफ अकील :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन और पार्किंग के लिए पार्किंग पॉलिसी का गठन किये जाने का वादा किया था ? (ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि 100 दिन की अपेक्षा लगभग 400 दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात भी वादा पूरा करने में नाकाम रहे ? (ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है और असत्य वाह-वाही लूटने व प्रदेशवासियों को अंधेरे में रखने के लिए कौन-कौन दोषी हैं और यदि नहीं तो यह अवगत करावें कि प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन और पार्किंग के लिए पार्किंग पॉलिसी का गठन कब तक किया जावेगा ? तिथि सहित बतावें ।

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) जी हाँ । (ख) एवं (ग) जी नहीं अपितु, विभाग द्वारा ड्राफ्ट राज्य शहरी पार्किंग नीति तैयार की गई एवं विभागों के अभिमत लेने के उपरांत राज्य स्तरीय सक्षम समिति के समक्ष अनुमोदन की प्रक्रिया में है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>मनगंवा उपखण्ड में निर्माणाधीन सड़कें व भवन</u>

4. **(*क्र. 1065) श्रीमती शीला त्यागी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के उपखण्ड 2013 एवं 2014 में कितनी नई सड़कें एवं भवनों तथा कितने मरम्मत हेतु सड़कों व भवनों के लिए राशि का व्यय किया गया है ? नामवार, मापवार, राशि का विवरण देवें । (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितनी शिकायतें किस कार्य हेतु प्राप्त हुई, शिकायतों की प्रति एवं की गयी कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करायें ? (ग) मनगंवा उपखण्ड में निर्माणाधीन सड़कें, मनगंवा, रामपुर तिवनी से बैकुण्ठपुर, गंगेव से फूल एवं गंगेव से गेरूआरी रोड के निर्माण में कितनी राशि की व्यवस्था की गई है एवं क्या टेक्निकल एस्टीमेट है ? प्रति उपलब्ध करावें । (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में उक्त कार्यों के लिए कौन संविदाकार कार्य कर रहे हैं ? उक्त कार्यों के लिए क्या समय-सीमा व शर्तें रखी गई है ? प्रतियां उपलब्ध करायें ।

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) रीवा जिले में उपखण्ड 2013 एवं 2014 के नाम से कोई उपखण्ड नहीं है । अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) उत्तरांश ''क'' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) मनगवां अनुभाग में मनगवां-रामपुर एवं तिवनी से बैकुण्ठपुर नाम की कोई सड़क मनगवां अनुभाग लो.नि.वि. के अधीन नहीं है । शेष प्रश्नांकित सड़कों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार** एवं टेक्नीकल इस्टीमेट की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** तथा म.प्र. सड़क विकास निगम के अधीन मनगवां-तिवनी से

बैकुण्ठपुर तक लंबाई 18.80 किमी. मार्ग का निर्माण बी.ओ.टी. (एन्युटी) पद्धति से किया जा रहा है । रोड निर्माण में निवेशकर्ता स्वयं की राशि लगाता है । बी.ओ.टी. कार्यों में टेक्निकल एस्टीमेट नहीं होता है । अत: कॉपी का प्रश्न नहीं है । (घ) अनुबंध की प्रतियां **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है** । गंगेव फूल खैरा क्योंटी मार्ग निर्माण श्री के.के. सोहगौरा द्वारा किया जा रहा है, जो अनुबंध की शर्तों के अनुसार 10 माह के अंतर्गत दिनाँक 17.07.2014 तक पूर्ण किया जाना था । गंगेव से उमरिया व्हाया गेरूआरी मार्ग निर्माण में शान्ति कंस्ट्रक्शन द्वारा दिनाँक 15.06.2013 को पूर्ण किया जा चुका है । शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है** तथा म.प्र. सड़क विकास निगम के अंतर्गत प्रश्नाधीन मनगवां-तिवनी से बैकुण्ठपुर मार्ग हेतु निवेशकर्ता मेसर्स के.सी.सी. कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. दिल्ली को अनुबंधित किया गया है एवं कार्य की गुणवत्ता व तकनीकी मार्गदर्शन बावत मेसर्स लॉयन इंजीनियरिंग कंसलटेंट प्रा.लि. भोपाल (म.प्र.) को नियुक्त किया गया है । निवेशकर्ता से किये गये अनुबंध की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है,** जिसमें समय-सीमा व शर्तें सम्मिलित है ।

आष्टा-कन्नोद रोड का चौड़ीकरण कार्य

5. **(*क्र. 1347) श्री रणजीतसिंह गुणवान :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि वर्ष 2013 से वर्ष 2015 के मध्य आष्टा नगर का कन्नोद रोड चौड़ीकरण कार्य म.प्र. सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है, वह अपूर्ण है ? प्रश्नांकित मार्ग पर क्या-क्या कार्य किये जाने थे तथा अभी तक क्या-क्या कार्य हुए है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या स्टीमेट अनुसार कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ और भुगतान निर्माण ठेकेदार को पूरा कर दिया गया है ? इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? क्या शासन इसकी जांच करवायेगा ? (ग) नाली एवं रोड डिवाईडर का कार्य स्टीमेट अनुसार कब तक पूरा होगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) जी नहीं । कार्य पूर्ण है । पचैर-आष्टा-कन्नौद मार्ग पर आष्टा शहर में 2.1 कि.मी. में सीमेंट कांक्रीट के विद्यमान मार्ग के दोनों तरफ 3.5-3.5 मीटर सीमेंट कांक्रीट से चौड़ीकरण, शोल्डर 1.5-1.5 मीटर एवं नाली निर्माण का कार्य किये जाने का प्रावधान था, जो पूर्ण किये जा चुके है । (ख) स्वीकृत प्राक्कलन अनुसार स्वतंत्र इंजीनियर की देख रेख में निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है । पूर्व अंतिम देयक परीक्षणाधीन है । अत: इसके लिए किसी की जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं होकर, जांच का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) नाली का निर्माण पूर्ण है तथा डिवाईडर निर्माण का कार्य प्राक्कलन में प्रावधानित नहीं था ।

एयरोसिटी योजना में अनियमितता

6. **(*क्र. 1528) श्री हर्ष यादव :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल विकास प्राधिकरण की एयरोसिटी चरण-1 जो कि लगभग 545 एकड़ क्षेत्र में नगर विकास योजना है, क्या क्रियान्वित की जा रही है ? इस योजना में भूखण्डों का विकास व विभिन्न

निर्माण कार्यों के लिए किन-किन निर्माण एजेंसी/ठेकेदार को किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि के कार्यादेश अब तक दिये गए हैं ? विस्तृत विवरण व कार्यादेशों की प्रतियां दें । (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित विकास कार्यों हेतु कौन कार्यपालन यंत्री पदस्थ हैं, कब से ? क्या विकास कार्यों हेतु पदस्थ कार्यपालन यंत्री श्री आर.पी.दुबे के विरूद्ध म.प्र. विकास प्राधिकरण सेवा नियमों के तहत कोई कार्यवाही संस्थित की गई है ? (ग) भो.वि.प्रा. की इतनी वृहद व महत्वपूर्ण एयरोसिटी योजना में ऐसे आरोपी कार्यपालन यंत्री श्री आर.पी.दुबे को दायित्व व जिम्मेदारी दी जाना व उन्हें योजना में पदस्थ रखा जाना क्या उचित है ? यदि नहीं, तो इन्हें कब तक उक्त योजना के समस्त दायित्वों से मुक्त किया जाएगा ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) जी हाँ । इस योजना में भूखण्डों का विकास निर्माण कार्यों के लिये निम्नांकित ठेकेदार/एजेंसी को अब तक कार्यादेश दिये गये हैं । छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है** ।

क्र.	कार्य का नाम	एजेंसी	राशि	कार्यादेश क्र. व दिनाँक
1.	45 मी. चौड़े मास्टर प्लान सड़क, आर.सी.सी.कलवर्ट का निर्माण	मैं. शेपर्स कन्सट्रक्शन प्रा.लि.	33.38 करोड़	409/का.यं. भोविप्रा/2011 दिनाँक 8.6.2011
2.	एयरोसिटी योजना में पार्कों का निर्माण	मैं. एम.एस. कन्सट्रक्शन	105.60 लाख	778/का.यं. भोविप्रा/2012 दिनाँक15.10.2012
3.	एयरोसिटी योजना में उप संभाग कार्यालय भवन का निर्माण	मैं. एस.के. एसोसिएट	41.30 लाख	798/का.यं. भोविप्रा/2012 दिनाँक 26.10.2012
4.	एकीकृत आंतरिक विकास कार्य ग्रुप "ए"	मैं. व्ही.व्ही.सी. कन्सट्रक्शन	46.38 करोड़	401/का.यं. भोविप्रा/2013 दिनाँक 3.5.2013
5.	एकीकृत आंतरिक विकास कार्य ग्रुप "बी'	मैं. शेपर्स कन्सट्रक्शन प्रा.लि.	54.29 करोड़	408/का.यं. भोविप्रा/2013 दिनाँक 4.5.2013
6.	एकीकृत आंतरिक विकास कार्य ग्रुप "सी"	मैं. शेपर्स कन्सट्रक्शन प्रा.लि.	43.96 करोड़	807/का.यं. भोविप्रा/2013 दिनाँक 20.9.2013
7.	एयरोसिटी आपसी करार योजना में 141 स्वतंत्र डुप्लेक्स भवनों का निर्माण मय सिविल कार्य सहित ।	मैं. गुप्ता इंजीनियर्स एण्ड कांट्रेक्टर्स	44.50 करोड़	872/का.यं. भोविप्रा/2013 दिनाँक 3.10.2013

(ख) प्रश्नांश "क" में वर्णित विकास कार्यों हेतु श्री आर.पी.दुबे कार्यपालन यंत्री मई 2009 से तथा 141 डुप्लेक्स निर्माण कार्य हेतु श्रीमती अल्पना सक्सेना 21.04.14 से पदस्थ हैं । विकास कार्यों हेतु श्री दुबे के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है । (ग) "क" में वर्णित कार्यों मे से श्री दुबे के विरूद्ध एयरोसिटी योजना के अन्तर्गत 141 डुप्लेक्स निर्माण योजना के लिये निर्माण एजेंसी को स्टील क्रय के विरूद्ध सुरक्षित अग्रिम (सिक्योर्ड एडवांस) दिये जाने में अनियमितता के लिये श्री आर.पी.दुबे, कार्यपालन यंत्री के विरूद्ध म.प्र. विकास प्राधिकरण सेवा (अधिकारी तथा सेवक) भर्ती नियम 1988 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत् कार्यवाही संस्थित की गई है । 141 डुप्लेक्स भवनों के निर्माण योजना के दायित्व से श्री दुबे कार्यपालन यंत्री को दिनाँक 21.04.14 से हटाया गया है । अतः एयरोसिटी के शेष विकास कार्यों से श्री दुबे को हटाये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

पुल/पुलियों का निर्माण

7. **(*क्र. 1308) श्रीमती सरस्वती सिंह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र चितरंगी अंतर्गत ग्राम रेहदा कौहा नाला में पुल निर्माण दिपवा से बहेरी के मध्य चुनहवा नाला में पुल निर्माण, बहेरी से कोल्डिहा के मध्य झरिया नाला में पुल निर्माण, बढ़नई से ढ़िलरी के मध्य सेमरा नाला में पुलिया निर्माण, कपुरदेई से सूदा मार्ग मे गोतान नाला में उच्चस्तरीय पुल निर्माण की आवश्यकता है ? (ख) क्या उक्त ग्राम के नालों में उच्च स्तरीय पुल निर्माण कराया जावेगा ? यदि कराया जावेगा तो कब तक ? समय-सीमा बतावें ।

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) जी हाँ । (ख) वर्तमान में कार्य न तो बजट में सम्मिलित है और न ही स्वीकृत है अत: अभी समय-सीमा बताना संभव नहीं ।

ग्राम सेमलापार से सिंधोड़ा मार्ग निर्माण की स्वीकृति

8. **(*क्र. 1187) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रमांक 647 दिनाँक 11 दिसम्बर 2014 के उत्तर में सदन में चर्चा के दौरान माननीय विभागीय मंत्री द्वारा ग्राम सेमलापार से सिंधोड़ा मार्ग निर्माण स्वीकृति हेतु प्रस्तावित करने एवं वित्त विभाग की स्वीकृति बजट में मिलने के उपरांत कार्य प्रारंभ करने की जानकारी दी गई थी तथा उक्त मार्ग प्रथम अनुपूरक बजट 2014-15 की प्रस्तावित प्राथमिकता सूची में मांग संख्या 24 सरल क्रमांक 52 पर अंकित है ? यदि हाँ, तो क्या उक्त मार्ग निर्माण हेतु वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है ? यदि नहीं तो क्यों ? (ख) क्या शासन द्वारा इस अत्यन्त महत्वपूर्ण मार्ग जो कि चार जिलों की सीमाओं को जोड़ता है तथा 7-8 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित पार्वती नदी पर उच्चस्तरीय पुल के आगे स्थित होकर लगभग 15-20 ग्रामों के आवगमन का एक मात्र साधन है, के निर्माण हेतु बजट में प्रावधान कर लिया गया है ? क्या उक्त मार्ग का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में करा लिया जावेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) जी हाँ । जी नहीं, जिले की योजना सीमा अपर्याप्त होने के कारण बजट मे सम्मिलित नहीं है । शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) जी नहीं । जी नहीं ।

वनक्षेत्र में श्रमिकों को ई-पेमेंट/नगद/चेक से मजदूरी का भुगतान

9. **(*क्र. 1406) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वन विभाग के अंतर्गत जैसीनगर एवं राहतगढ़ रैंज में कितना क्षेत्रफल एवं कितने हेक्टेयर वनभूमि है तथा वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में विभाग द्वारा एवं बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण द्वारा कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में किस-किस कार्य हेतु प्रदाय की गयी तथा प्रदायित राशि में से कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य में कब-कब व्यय की गयी है ? जानकारी अलग-अलग मदवार एवं कार्य विवरण के अनुसार दी जावे । (ख) क्या यह सच है कि रेंज में नाली खुदायी कार्य हेतु, वृक्षारोपण हेतु एवं मनरेगा के तहत अन्य कार्य हेतु लगाये गये मजदूरों को निर्धारित दर पर मजदूरी का भुगतान न करना पड़े, इसलिये उन्हें ई-पेमेन्ट प्रक्रिया से मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है ? (ग) यदि नहीं तो बतावें कि 1.4.2013 के बाद से रेंज जैसीनगर एवं राहतगढ़ में कितने मजदूर किस-किस कार्य हेतु लगाये गये थे और किस कार्य के लिये किस दर पर कितने मजदूरों को ई-पेमेन्ट से मजदूरी का भुगतान किया गया और कितने मजदूरों को नगद अथवा चेक आदि से मजदूरी का भुगतान किया गया है ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार): (क) परिक्षेत्र सहायक वृत्त जैसीनगर एवं परिक्षेत्र राहतगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल क्रमश: 201.46 वर्ग किमी एवं 707.00 वर्ग किलोमीटर एवं वन क्षेत्र क्रमश: 4310.309 हेक्टेयर तथा 20146.430 हेक्टेयर है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है** । (ख) एवं (ग) जी नहीं । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है** ।

टीलाखेड़ी-चावड़ा मार्ग का निर्माण

10. **(*क्र. 1008) इन्जी. प्रदीप लारिया :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीलाखेड़ी-चावड़ा मार्ग निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई थी ? निर्माण कार्य एजेंसी का नाम, समयावधि एवं परफारमेंस गारंटी की अवधि बतावें । (ख) उक्त मार्ग विभाग के द्वारा किस दिनाँक को पूर्ण किया गया था एवं कितनी राशि का भुगतान कब-कब किया गया ? (ग) क्या उक्त मार्ग परफारमेंस गारंटी अवधि के पूर्व ही क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हाँ, तो क्या इस मार्ग के संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन ठीक तरह से नहीं किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या विभाग दोषी शासकीय सेवकों एवं कार्य एजेंसी के विरूद्ध कार्यवाही करेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (ख) निर्माण कार्य प्रगति पर है । शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (ग) निर्माण कार्य प्रगति पर है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

परिशिष्ट – "एक"

जीर्ण-शीर्ण मार्गों का नवनिर्माण/मरम्मत कार्य

11. **(*क्र. 4) श्री दिव्यराज सिंह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिरमौर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत- अतरैला, चौखण्डी, रामबाग मार्ग जीर्ण शीर्ण (जर्जर) हो चुका है ? यदि हाँ, तो क्या इसका नवनिर्माण/मरम्मत कार्य कराया जायेगा ? यदि हाँ, तो कब तक ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मार्ग अतरैला, चौखण्डी, रामबाग मार्ग पर विगत 05 वर्षों में क्या मरम्मत कार्य कराया गया है ? यदि हाँ, तो कब-कब किस-किस मद से कितना खर्च हुआ ? (ग) प्रश्नांश (क) के ही संदर्भ में डभौरा से त्योंथर पहुंच मार्ग सड़क निर्माणाधीन कार्य वर्षों से अपूर्ण चल रहा है, क्या उसे समुचित रूप से पूर्ण किया जायेगा ? यदि हाँ, तो कब तक पूर्ण किया जायेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) जी हाँ । म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा निविदा की कार्यवाही प्रगति पर है । निश्चित तिथि बताना संभव नहीं । (ख) जी हाँ । **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (ग) प्रश्नाधीन मार्ग विभाग मे सोहागी त्योंथर पनवार डभौरा मार्ग लंबाई 38.60 कि.मी. है, जिसमे 2.40 कि.मी. योजना अंतर्गत निर्माणाधीन है । संविदाकार द्वारा समयानुपातिक प्रगति न लाने के कारण अनुबंध की धारा 3 सी में कार्यवाही की गई है । जोखिम एवं लागत पर निविदा की कार्यवाही की जा रही है । अत: समयावधि बताया जाना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट – "दो"

बड़ी ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाना

12. **(*क्र. 622) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गुना जिले के या बमोरी विधानसभा क्षेत्र की कोई ऐसी ग्राम पंचायते हैं, जिन्हें नगर पंचायत बनाई जाना हैं ? नगर पंचायत बनाने के क्या प्रावधान हैं ? (ख) बमोरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम म्याना, ग्राम फतेहगढ़, ग्राम रामपुर कालोनी, बमोरी एवं गुना जिले की ग्राम पंचायत बंजरगढ को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु क्या प्रावधान है, इनमें कौन से प्रस्तावित हैं ? (ग) क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय के गुना दौरे पर ग्राम पंचायत म्याना ग्राम बजरंगढ, ग्राम पंचायत बमोरी रामपुर कॉलोनी को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की गई थी ? विवरण सहित जानकारी प्रदान करें । (घ) गुना जिले के ग्राम पंचायत म्याना, बमोरी, रामपुर कालोनी, बजरंगढ़ आदि को किस नीति से और कब तक नगर पंचायत घोषित किया जायेगा ? विवरण सहित जानकारी दें ।

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) जी नहीं । प्रावधान **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (ख) से (घ) जी नहीं, कोई प्रस्ताव नहीं है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट – "तीन"

खेल एवं खिलाड़ियों हेतु योजनाएं

13. **(*क्र. 1156) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मन्दसौर जिले में खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा विगत 5 वर्षों में क्या-क्या कार्य किये गये हैं ? कार्यों के नाम एवं खिलाडियों को यदि प्रोत्साहित किया गया है, तो उनकी सूची उपलब्ध करावें । (ख) इन विभाग द्वारा क्या-क्या योजनाएं बनाई जाती हैं ? (ग) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में इस विभाग द्वारा क्या-क्या योजनाएं बनाई गई हैं ? (घ) मन्दसौर जिले में कौन-कौन से खेल मैदान विधायकों की अनुशंसा से स्वीकृत किये गये हैं ? विधानसभा क्षेत्रवार स्थान बतावें ।

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) मंदसौर जिले में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 05 वर्षों में निम्नांकित कार्य किये गये- 1. ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 2. खेल परिसर को खेल सामग्री प्रदाय 3. युवा उत्सव का आयोजन 4. अंतर थाना खेल प्रतियोगिता का आयोजन 5. ग्रामीण खेल प्रतियोगिता का आयोजन 6. महिला खेल प्रतियोगिता का आयोजन 7. पायका योजनान्तर्गत 104 ग्राम एवं 01 ब्लॉक पंचायत में खेल सामग्री प्रदाय 8. जिला खेल संघों को अनुदान प्रदाय 9. बेटी बचाओ अभियान अंतर्गत खेल प्रतियोगिता का आयोजन 10. मां तुझे प्रणाम योजनान्तर्गत जिले के चयनित 05 बालक एवं 05 बालिकाओं को भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अनुभव यात्रा हेतु भेजा गया 11. अद्योसंरचना मद अंतर्गत जिले में स्टेडियम निर्माण कार्य करवाया जा रहा है । खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हेतु प्रदाय खेल वृत्ति की सूची **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (ख) विभाग द्वारा खेल और युवा से संबंधित योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है- खेल से संबंधित योजना- खिलाड़ियों को प्रशिक्षण । सक्रिय खेल संस्थाओं को चैम्पियनशिप/प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिये अनुदान स्वीकृत करना । खिलाड़ियों को खेल वृत्ति का वितरण । विक्रम, एकलव्य, विश्वामित्र पुरस्कार एवं लाईफ टाईम एचीव्हमेंट पुरस्कार प्रदान करना । अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व खिलाड़ियों को सम्मान निधि प्रदान करना । राज्य संघों एवं अन्य संस्थाओं को विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु अनुदान । अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के पदक विजेता खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता । राजीव गांधी खेल अभियान "आर.जी.के.ए." का संचालन । युवा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन । राष्ट्रीय खेलों/चैम्पियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन देना । ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन । खेल छात्रावास का संचालन एवं प्रशिक्षण । क्रिकेट प्रतिभा खोज कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण । जलक्रीड़ा केन्द्र का संचालन एवं प्रशिक्षण । मलखम्भ खेल का प्रशिक्षण । खेल अकादमियों का संचालन । खेल मैदानों एवं अन्य खेल सुविधाओं के विकास/सुधार के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा खेल अधोसंरचना का निर्माण एवं उन्नयन । युवा से संबंधित

योजना- ग्रामीण युवा केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना । प्रदेश में जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर युवा उत्सवों का आयोजन तथा राष्ट्रीय युवा उत्सव में प्रदेश के दल की सहभागिता सुनिश्चित करना । ब्लॉक, जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर चिन्हित खेलों में ग्रामीण प्रतियोगिताओं का आयोजन । राष्ट्रीय युवा पुरस्कार हेतु आवेदन-पत्रों का आमंत्रण, परीक्षण एवं अनुशंसा करना । जलक्रीड़ा, पैरासेलिंग, ट्रेकिंग, रॉक क्लाइम्बिंग आदि साहसिक खेल गतिविधियों का संचालन । युवाओं के लिये रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कॉस्मेटोलॉजी एवं न्यूट्रीशन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन । (ग) प्रश्नांश "ख" में उल्लेखित योजनाएं सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में भी लागू हैं । (घ) मंदसौर जिले में राजीव गांधी खेल अभियान योजनान्तर्गत विकासखंड स्तर पर अभी कोई मैदान स्वीकृत नहीं किए गए हैं । अपितु सुवासरा एवं मंदसौर मुख्यालय में मिनी स्टेडियम स्वीकृत है एवं निर्माण प्रगति पर है ।

<u>परिशिष्ट – "चार"</u>

<u>गुणवत्ताविहीन सड़कों के पेचवर्क कार्य</u>

14. **(*क्र. 1460) श्री मेहरबान सिंह रावत :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सबलगढ़ तहसील के अंतर्गत 2013-14 में लोक निर्माण विभाग द्वारा कितनी सड़कों भवनों एवं कितनी सड़कों का पेचवर्क कराया गया है ? स्टीमेट के अनुसार लागत राशि सहित सूची उपलब्ध कराएं । (ख) सबलगढ़ से अटार रोड पर पेचवर्क का कार्य किस ठेकेदार द्वारा कराया गया है ? ठेकेदार का नाम तथा पेचवर्क में स्वीकृत राशि बतावें । (ग) क्या यह सही है पेचवर्क का कार्य घटिया तरीके से कराया गया है, गुणवत्ताविहीन कार्य हुआ है ? क्या पेचवर्क कराने के एक माह बाद ही रोड में गहरे गड्ढे हो गए हैं ? क्या जांच करायेंगे ? (घ) जांच उपरांत संबंधित ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही कब तक प्रस्तावित की जाएगी ? समयावधि बताएं ।

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) सबलगढ़ तहसील के अंतर्गत 2013-14 में सबलगढ़-अटार मार्ग का कार्य कराया गया था । स्टीमेट के अनुसार इसकी पेच वर्क की लागत राशि 11,32000/- रूपये थी । शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'ब', 'स', 'द' अनुसार है** । (ख) श्री जगदीश प्रसाद शर्मा ठेकेदार द्वारा कराया गया था एवं इस मार्ग की मरम्मत कार्य की स्वीकृति राशि 11,32000/- रूपये थी । (ग) जी नहीं । जी नहीं । जी नहीं । उक्त मार्ग का पेचवर्क का कार्य वर्ष 2014-15 में करा लिया गया है । वर्तमान में मार्ग की स्थिति ठीक है एवं मार्ग पर वाहनों का आवागमन भी सुचारू रूप से चल रहा है । अत: किसी जांच की आवश्यकता नहीं है । (घ) जी नहीं । ठेकेदार द्वारा किये गये मार्ग के मरम्मत कार्य में कोई गलती न पाये जाने के कारण उसके विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

मार्गों का गुणवत्ताविहीन डामरीकरण कार्य

15. **(*क्र. 926) श्री संजय पाठक :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, जिला मार्ग, उप जिला मार्ग, ग्रामीण मार्ग कहाँ से कहाँ तक कितनी-कितनी दूरी के हैं ? उक्त मार्गों में से कितने मार्ग गिट्टी ट्रीट, डामरी ट्रीट, मुरूम ट्रीट (कक्षा 1 के एवं कितने कक्षा 2) एवं कच्चे हैं ? मार्गवार दूरी सहित मार्ग के प्रकरणवार ब्यौरा दें । (ख) प्रश्नांश (क) मार्गों में से कितने मार्गों का निर्माण कब-कब किया गया था तथा विगत 4 वर्षों में उक्त क्षेत्र में किन-किन मार्गों का रेन्यूवल कार्य किया गया ? मार्गवार ब्यौरा प्रश्नांश (क) के अनुसार दें । (ग) क्या यह सत्य है कि विजयराघवगढ़ से बरहटा पहुँच मार्ग का डामरीकरण कार्य एक वर्ष पूर्व किया गया था ? यदि हाँ, तो किस योजना के अंतर्गत किस वर्ष में कितनी राशि से ? कार्यादेश की प्रति दें । (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्या उक्त मार्ग पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है ? क्या कलेक्टर कटनी द्वारा उक्त मार्ग का निरीक्षण करते हुए गुणवत्ता विहीन कार्य करने वालों को दंडित किया जायेगा ? नहीं तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है** । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है** । (ग) जी नहीं । शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही नहीं उठता । (घ) जी नहीं । शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरवरदेवला मार्ग का निर्माण

16. **(*क्र. 383) श्री सचिन यादव :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरवरदेवला मार्ग के संबंध में क्या मु.अ.लो.नि.वि. (प) जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 5532 दिनाँक 28.11.14 प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि. भोपाल को कब प्राप्त हुआ और उस पर प्रश्न दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई ? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में कितने-कितने पत्र प्रश्नकर्ता एवं किस-किस के माध्यम से कब-कब प्राप्त हुए और विभागीय स्तर पर कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (ग) उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) दिनाँक 01.12.2014 को । परीक्षणोपरांत आगामी वित्तीय व्यय समिति की बैठक में विचार हेतु प्रस्तावित है । (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (ग) वर्तमान में समय-सीमा बताना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट – "पाँच"

पिछड़े एवं अविकसित क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

17. **(*क्र. 947) श्री जितेन्द्र गेहलोत :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्जैन जिले एवं रतलाम जिले में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट 2014 में प्रस्तावित किन-किन उद्योगों की स्थापना हेतु कहाँ-कहाँ स्थान चयन किये गये ? (ख) इन जिलों में प्रस्तावित उद्योगों का स्थान चयन कंपनी अथवा उद्योग प्रबंधकों के चयन आधार पर तय किया जा रहा है अथवा सरकार के अनुसार स्थान चयन का मापदण्ड क्या है ? (ग) क्या प्रस्तावित जिलों के स्थान चयन में पिछड़े एवं अविकसित क्षेत्रों का ध्यान रखा जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) उज्जैन जिले एवं रतलाम जिले में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2014 में प्रस्तावित समस्त प्रकार के उद्योगों की स्थापना हेतु स्थान की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है ।** (ख) प्रस्तावित उद्योगों का स्थान चयन संबंधित कम्पनी द्वारा किया जाता है । (ग) प्रस्तावित जिलों के स्थान चयन में पिछड़े एवं अविकसित क्षेत्रों तथा भूमि की उपलब्धता पर भी विचार किया जाता है ।

परिशिष्ट – "छ:"

शहरी क्षेत्र में अवैध गुमठिया हटाई जाना

18. **(*क्र. 445) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि इन्दौर शहरी क्षेत्र में अनेक स्थानों पर अवैध गुमटियाँ है ? (ख) यदि हाँ, तो इन अवैध गुमटियों को हटाने हेतु जिला प्रशासन व नगरीय प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) जी हाँ । (ख) नगर निगम के रिमूव्हल गैंग के माध्यम से अवैध गुमठियों को हटाने की कार्यवाही निरंतर की जाती है ।

खाचरौद-रतलाम सड़क का पुन: निर्माण

19. **(*क्र. 16) श्री दिलीप सिंह शेखावत :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनाँक 11 जुलाई 2014 को ध्यान आकर्षण सूचना के माध्यम से खाचरौद-रतलाम सड़क मार्ग के पुन: निर्माण हेतु मा. मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया गया था ? (ख) उपरोक्त के परिपालन में शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं की गई है, तो किन कारणों से नहीं की गई है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) जी हाँ । (ख) मार्ग के परफारमेंस ग्यारंटी में होने एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बैंक ग्यारंटी के नगदीकरण पर स्थगन दिये जाने के कारण मार्ग की मरम्मत हेतु कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

खेल प्रतियोगिताओं एवं खेल प्रशिक्षण का आयोजन

20. **(*क्र. 1536) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सीहोर जिले में वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 में विधानसभा क्षेत्रवार ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को प्रोत्साहन के लिए कितनी राशि व्यय की गई ? (ख) सीहोर जिले में वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 में कितने ग्रामीण प्रतिभा चयन उच्च प्रशिक्षण के लिए हुआ ? (ग) सीहोर जिले में वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 में सीहोर जिले में कहाँ-कहाँ और कितनी एवं कौन सी खेल प्रतियोगिताओं एवं खेल प्रशिक्षण आयोजित किये गये ? कितनी राशि खर्च हुई ? कितने खिलाड़ी लाभांवित हुए ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) विधानसभा क्षेत्रवार राशि आवंटित नहीं की जाती है । (ख) वर्ष 2012 में सीहोर जिले के 6 खिलाडियों का चयन खेल अकादमी के लिए हुआ, वर्ष 2013 में सीहोर जिले के 7 खिलाडियों का चयन खेल अकादमी के लिए हुआ तथा वर्ष 2014 में सीहोर जिले के 20 बालक/बालिकाओं को ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के प्री-नेशनल कोचिंग कैंप सीहोर में आयोजित कर प्रशिक्षण दिया गया । (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** ।

परिशिष्ट – "सात"

चक्राकार आरा (कटर) के उपयोग पर प्रतिबंध

21. **(*क्र. 87) श्री अरूण भीमावद :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2006 के पूर्व मध्य प्रदेश में वनपरिक्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राजस्व क्षेत्र में सुतार समाज के कारीगरों को 10 इंच तक लकड़ी काटने की अनुमति प्रदान की गई थी ? (ख) क्या इसके उपरांत शासन द्वारा संपूर्ण मध्यप्रदेश में कटर पर प्रतिबंध लगा दिया गया ? (ग) क्या इस प्रतिबंध का प्रभाव सुतार समाज के कारीगरों पर पड़ा है, जबकि शासन द्वारा इस परम्परागत व्यवसाय के लिए ऋण प्रदान किया जा रहा है ? क्या इस प्रतिबंध के कारण सुतार समाज के लाखों युवक बेरोजगार हुए हैं ? (घ) शासन इस प्रतिबंध को हटाने के लिए क्या प्रयास कर रहा है ? कब तक इस प्रतिबंध को हटाया जा सकेगा ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार): (क) एवं (ख) जी नहीं । दिनाँक 04.03.2003 की अधिसूचना क्रमांक 8401-विधान-2003 से प्रदेश में चक्राकार आरा (कटर), जिसका व्यास 12 इंच व्यास से अधिक न हो, को आरा मिल की परिभाषा में सम्मिलित न होना अधिसूचित किया गया जिसे दिनाँक 11.01.2011 की अधिसूचना क्रमांक 239-11-इक्कीस-अ-(प्रा.) से विलोपित कर प्रतिबंधित किया गया है । (ग) प्रश्नांकित स्थिति वन विभाग के संज्ञान में नहीं आई है । (घ) प्रस्ताव विचाराधीन है । समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहित जमीन का मुआवजा

22. **(*क्र. 814) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले में रीवा हनुमना राजमार्ग क्रं. 7 में फोरलेन सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है एवं इस सड़क के निर्माण कार्य में ग्राम बिझौली, बहुती एवं खटखटी आदि की जमीन अधिग्रहित की गई है ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में इस जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही में एक ही स्थान पर एक समान मापदण्ड होने के बाद भी व्यक्ति अनुसार जमीन एवं मकानों का अलग-अलग मुआवजा क्यों बनाया गया है ? इसके लिए कौन दोषी है ? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार क्या कम मुआवजा पाए व्यक्तियों को भी अन्य की भांति मुआवजा अन्तर की राशि दी जावेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? समयावधि बतावें । यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) जी हाँ । ग्राम बिझौली, बहुती एवं खटखटी तथा 78 ग्रामों की जमीन अधिग्रहित की गई है । (ख) सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन) एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा भूमि के मुआवजे का निर्धारण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा-3 ए के प्रकाशन दिनाँक के आधार पर अधिनियम की धारा 3 जी के तहत प्रतिकर निर्धारण किया जाता है । भूमि की नौवईयत, रकबा उस पर स्थिति भवन, वृक्ष नलकूप अथवा उसके उपयोग के आधार पर भूमि का मूल्यांकन पृथक-पृथक किया जाता है साथ ही साथ भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के संबंध में उसकी माप आदि के अनुसार निर्धारण किया जाता है । (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा-3 जी (5) के अधीन यदि कोई पक्ष प्रतिकर निर्धारण से असहमत हो तो आर्बीट्रेटर के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुति के उपबंध है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

खराब सड़कों की गलत जाँच रिपोर्ट

23. **(*क्र. 1475) श्री विश्वास सारंग :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजधानी भोपाल के खराब हुई सड़कों की जांच रिपोर्ट भोपाल कलेक्टर ने 1 जुलाई 2014 से प्रश्न दिनाँक तक विभाग के पास भेजी है ? यदि हाँ, तो शहर की कौन-कौन सी सड़कें खराब बताई गई हैं ? जांच रिपोर्ट की प्रति देते हुए जानकारी दें । (ख) प्रश्नांश (क) के तहत भोपाल नगर निगम के उपयंत्री/सहायक यंत्री/यंत्री ने अपनी जांच में कौन सी सड़कों को खराब बताया था ? उनके जांच प्रतिवेदनों की प्रति देते हुए जानकारी दें । (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत क्या यह सच है कि नगर निगम भोपाल के अधिकारियों की जांच और कलेक्टर द्वारा करायी गई जांच में काफी अन्तर है ? यदि हाँ, तो क्या नगर निगम भोपाल के अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट दी है ? यदि हाँ, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई कब तक की जायेगी ? समय-सीमा दें ।

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) जी हाँ । **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है** । (ख) प्रश्नांश "क" के तहत भोपाल नगर निगम के किसी यंत्री द्वारा सड़कों की जांच नहीं की गई है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ग) उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

सिंहस्थ हेतु प्रस्तावित प्रोजेक्ट की स्वीकृति

24. **(*क्र. 1329) श्री जितू पटवारी :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंहस्थ महाकुंभ 2016 को देखते हुये उज्जैन एवं इंदौर संभाग में कुल कितने एवं कौन-कौन से प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं ? विभागवार एवं संभागवार प्रोजेक्ट की जानकारी देवें । (ख) उपरोक्त प्रस्तावित प्रोजेक्ट में से कितने प्रोजेक्ट विभागवार स्वीकृत किये जाकर कार्य आदेश जारी होने से प्रारंभ हो चुके हैं तथा कितने प्रोजेक्ट पर वर्तमान तक कार्य प्रारंभ नहीं हुये हैं ? प्रोजेक्टवार एवं संभागवार जानकारी देवें । (ग) विभागवार स्वीकृत प्रोजेक्ट पर अनुमानित कितनी राशि व्यय होना है ? कितनी राशि व्यय हो चुकी है तथा कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है ? इनके पूर्ण होने की समय-सीमा क्या निर्धारित की गई है ? (घ) प्रश्नांक (क) के परिप्रेक्ष्य में समस्त प्रस्तावित प्रोजेक्टों पर कुल कितनी राशि व्यय होना है ? क्या राज्य शासन द्वारा प्रोजेक्टवार केन्द्र सरकार से राशि की मांग की गई है ? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनाँक तक केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि का आवंटन प्रदान किया गया है ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) सिंहस्थ महाकुंभ 2016 को देखते हुए उज्जैन एवं इन्दौर संभाग में अभी तक कुल 256 कार्य प्रस्तावित है। विवरण **पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है**। (ख) सिंहस्थ महाकुंभ 2016 हेतु विभिन्न विभागों के कुल 256 कार्य शासन द्वारा स्वीकृत किये गये है, जिनमें से कुल 158 कार्य पूर्ण/प्रचलित है। स्वीकृत कार्यो में से 97 कार्य प्रारंभ नहीं हुए है। कार्यवार विवरण **पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है**। (ग) विभिन्न विभागों के स्वीकृत कार्यो पर अनुमानित राशि रू. 1676.79 करोड़ का व्यय होना है, जिसमें से वर्तमान तक पूर्ण एवं प्रचलित कार्यो पर राशि रू. 292.79 करोड़ का व्यय हो चुका है। स्वीकृत कार्यो को पूर्ण करने हेतु फरवरी 2016 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है । (घ) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में अभी तक नर्मदा क्षिप्रा लिंक प्रस्तावित प्रोजेक्टों पर कुल राशि 1678.79 करोड़ व्यय होना है । जी हाँ, राज्य शासन द्वारा प्रोजेक्टवार केन्द्र सरकार से राशि की मांग की गयी है। केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक राशि का आवंटन प्रदान नहीं किया गया है।

उद्योग भूमि पर अतिक्रमणकारी को सुविधाएं/अनुदान

25. **(*क्र. 1376) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या सतना के घूरडांग में उद्योग विभाग के आधिपत्य की भूमि है ? यदि हाँ, तो कितनी,

खसरा नंबर, क्षेत्रफल सहित बतायें ? क्या उक्त भूमि के अंश रकबा में अतिक्रमण कर लिया गया है ? यदि हाँ, तो किसके द्वारा कितनी भूमि पर ? क्या उक्त अतिक्रमण विभाग द्वारा हटाया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ? अतिक्रमण कब तक हटाया जायेगा ? (ख) क्या उक्त भूमि पर हुए अतिक्रमण के संबंध में महालेखाकार ग्वालियर के ऑडिट दल द्वारा आपत्ति लगाई गई थी तथा अतिक्रमणकारी पर कामर्शियल दर पर प्रीमियम व किराया पेनाल्टी आरोपित की गई थी ? यदि हाँ, तो कितनी ? क्या अतिक्रमणकारी से आरोपित राशि वसूल की गई ? यदि नहीं तो क्यों ? (ग) विभाग के स्वामित्व की उक्त भूमि में से कितनी भूमि का आवंटन किसे, कब, किस अधिकारी के द्वारा, किन नियमों के तहत, किस प्रीमियम दर पर आवंटित की गई ? क्या यह सही है कि अतिक्रमण के बावजूद अतिक्रमणकारी इकाई को विभिन्न विभागीय सुविधाएं दी गई हैं ? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी, कब-कब कितनी ? (घ) क्या अतिक्रमणकारी इकाई को विभाग में स्वामित्व की ग्राम घूरडांग की अतिक्रमण से बची शेष भूमि का आवंटन किया गया है ? क्या यह भी सही है कि अतिक्रमणकारी पर अतिक्रमण के विरूद्ध कार्यवाही न करते हुए विभिन्न शासकीय सुविधाओं/अनुदानों से नवाजा जाकर अतिक्रमण को बढ़ावा देकर शासकीय सुविधाओं/अनुदानों का दुरूपयोग किया गया है ? यदि हाँ, तो दोषी अधिकारी के विरूद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं तो कब तक होगी ? (ड.) क्या विभागीय नियमों में अतिक्रमणकारी को विभिन्न सुविधाएं/अनुदान देने का प्रावधान है ? क्या वर्तमान में सतना सीमेंट वर्क्स द्वारा विगत कई वर्षों से कार्यरत श्रमिकों को माह दिसंबर 2014 से हटा दिया गया है ? यदि हाँ, तो कितने लोगों को, नाम सहित एवं कारण सहित बताएं ।

उद्योग मंत्री (**श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया**): (क) जी हाँ, जिसका आराजी नं.169 क्षेत्रफल 6.00 एकड़ आराजी नं. 172 क्षेत्रफल 8.54 एकड़ आराजी क्रमांक 173/1 क्षेत्रफल 16.06 एकड़ कुल 30.62 एकड़ है । उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है । (ख) जी हाँ । उद्योग संचालनालय के पत्र क्र/56/अधोविक/(बी-2)/2008/1848, दिनाँक 08.04.2011 द्वारा निर्धारित देय राशि एवं शास्ति के रूप में इकाई से रूपये 1369214/-वसूल किया गया । (ग) विभाग के स्वामित्व की उपरोक्त भूमि में से मेसर्स बिरला विकास सीमेंट को 19.48 एकड़ भूमि दिनाँक 05.05.11 को आवंटित की गई । मे.बिरला विकास सीमेंट को उपरोक्त भूमि का आवंटन उद्योग संचालनालय की अनुमति से महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सतना द्वारा म.प्र.राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम, 2008 के तहत किया गया तथा उद्योग संचालनालय के पत्र क्र.56/अधोविक/(बी-2)/2008/1848, दिनाँक 08.04.11 के निर्देशों के अनुसार मे. बिरला विकास सीमेंट को प्रीमियम राशि रूपये 85000/- प्रति हेक्टेयर, भू-अर्जन मूल्य 25 प्रतिशत, नगर निगम सीमा में होने के कारण 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रीमियम तथा अनाधिकृत कब्जा हेतु दोगुना भू:भाटक कुल राशि रूपये 1369214/- लेकर भूमि आवंटित की गई । मौजा घूरडांग में स्थित उपरोक्त भूमि में से मे. सतना सीमेंट वर्कस को उद्योग संचालनालय के पत्र क्र. अधोविक/(बी-2)/08/2750, दिनाँक 30.06.2008 के द्वारा दी गई अनुमति अनुसार महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सतना द्वारा म.प्र. (शेड प्लांट एवं भूमि आवंटन

नियम 1974 यथा संशोधित 01.07.1999) के अंतर्गत दिनाँक 14.07.2008 को आवंटित की गई तथा इकाई से प्रीमियम राशि रूपये 864373/- तथा नगर निगम सीमा में स्थित होने से 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रीमियम 864373/- सुरक्षानिधि राशि रूपये 25937/- तथा अग्रिम भूभाटक राशि रूपये 8646/- कुल राशि रूपये 985393/- जमा कराकर आवंटन किया गया । आवंटन के पूर्व प्रश्नगत भूमि पर स्थापित की गई इकाई मे. बिरला विकास सीमेंट को दिनाँक 31.10.82 से 20.10.87 तक तथा इकाई द्वारा विस्तार किए जाने पर दिनाँक 01.11.2003 से 31.10.2008 तक की अवधि हेतु पुन: प्रवेश कर मुक्ति की सुविधा दी गई तथा दिनाँक 01.04.1983 से 31.03.1988 तक की अवधि के लिए विद्युत अनुदान दिया गया । (घ) मे. बिरला विकास सीमेंट के आधिपत्य के अतिरिक्त भूमि का आंवटन मे. सतना सीमेंट वर्कस को किया गया है । आवंटन के पूर्व इकाई द्वारा विभागीय भूमि पर किए गए आधिपत्य को नियमित कर उनसे निर्धारित राशि की वसूली की जा चुकी है । अत: किसी अधिकारी के दोषी होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ड.) जी नहीं । वर्तमान प्रकरण में इकाई का भूमि आवंटन नियमितीकरण करने के पश्चात ही विभिन्न संधारण सुविधाएं/अनुदान दिये गये है । जी नहीं, शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाना

1. **(क्र. 5) श्री दिव्यराज सिंह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिरमौर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत- चॉद,कुरैली, एवं गडेहरा देऊखर मार्ग को रीवा डभौरा मुख्य मार्ग से जोड़ा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में- चॉद,कुरैली ग्राम को रीवा डभौरा मुख्य मार्ग पर स्थित ग्राम हरदहन से कोनी कला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से एवं गडेहरा देऊखर को अतरैला मुख्य मार्ग से जोड़ने की कोई कार्यवाही प्रचलन में है ? यदि हां तो उपरोक्त ग्रामों को कब तक मुख्य मार्ग से जोड दिया जायेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) चॉद, कुरैली मार्ग विभाग के अंतर्गत नही । गडेहरा देऊखर मार्ग प्रश्नांश मार्ग से पूर्व से ही जुडा है । अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नही होता । (ख) जी नही, शेष प्रश्नांश उपस्थित नही होता ।

खेल मैदान में स्टेडियम का निर्माण

2. **(क्र. 17) श्री दिलीप सिंह शेखावत :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) नागदा - खाचरौद विधानसभा क्षेत्र स्थित खाचरौद में स्थापित उत्कृष्ट विद्यालय के पीछे खेल मैदान में स्टेडियम बनाने की शासन की क्या योजना है ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): जी हाँ, परंतु संबंधित प्रश्नाधीन स्थल का भूमि संबंधी प्रकरण, मा.उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर में विचाराधीन होने के कारण स्टेडियम निर्माण की योजना क्रियान्वयन की जाना संभव नहीं है ।

अण्डर ब्रिज/ फ्लाई ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य की स्थिति

3. **(क्र. 40) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2013 जन आशीर्वाद यात्रा में जावरा शहर मध्य स्थित रेल्वे फाटक पर अण्डर ब्रिज अथवा फ्लाई ओवर ब्रिज बनाऐ जाने की घोषणा की गई थी ? (ख) उक्त घोषणा के पश्चात् शासन/प्रशासन अथवा विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (ग) क्या शासन/प्रशासन विभाग द्वारा घोषणा की स्थिति में कार्यवाही कर कार्य योजना पूर्ण कर ली गई है ? (घ) यदि हॉ तो ब्रिज निर्माण की स्वीकृति कब की जाकर कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) जी हॉ । (ख) विभाग द्वारा सर्वेक्षण कर रेल्वे से उनके हिस्से में बनने वाले पुल का प्राक्कलन देने हेतु अनुरोध किया है । (ग) जी नहीं । (घ) उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत रोजगार का प्रदाय रोजगार उपलब्ध कराये जाना

4. **(क्र. 50) श्री मुकेश नायक :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्त वर्ष 2013-2014 और 2014-2015 में दिसम्बर 2014 तक स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, शहरी स्वरोजगार योजना, शहरी मजदूर रोजगार कार्यक्रम और शहरी महिला स्वसहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से राज्य शासन को कुल कितनी धन राशि प्राप्त हुई और राज्य शासन ने कितनी धन राशि खर्च की ? (ख) इस अवधि में इन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत पन्ना जिले के कितने व्यक्तियों को रोजगार और रोजगार साधन उपलब्ध कराये गये ? नगर अनुसार जानकारी दें ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) एवं (ख) शहरी स्वरोजगार योजना, शहरी मजदूर रोजगार कार्यक्रम और शहरी महिला स्वसहायता कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के ही विभिन्न घटक कार्यक्रम है । वांछित **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है ।

परिशिष्ट - "आठ"

वन भूमि का नष्ट होना

5. **(क्र. 51) श्री मुकेश नायक :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि वनभूमि के गैरवानिकी उपयोग को विकास के नाम पर बढ़ावा दिये जाने से मध्यप्रदेश में लगभग 1.50 लाख हेक्टेयर वन भूमि नष्ट हो गयी है ? क्योंकि भूमि उपयोग बदला गया है ? (ख) यदि हां, तो वन भूमि के गैरवानिकी उपयोग की अद्यतन जानकारी दीजिए ? (ग) किन व्यवसायिक कम्पनियों, फर्मो को शासन द्वारा गैरवानिकी उपयोग के लिए वन भूमि का आवंटन किया गया है ? आवंटित भूमि की अद्यतन जानकारी दें ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार): (क) जी नहीं । वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत दिनांक 24.01.1980 से 23.01.2015 तक गैर वानिकी उपयोग हेतु 156355.247 हेक्टेयर न्यूनतम आवश्यक वनभूमि विकास परियोजनाओं सहित अन्य कार्यों हेतु व्यपवर्तित की गई है । (ख) एवं (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** अनुसार है ।

वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किया जाना

6. **(क्र. 55) श्री मुकेश नायक :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना, दमोह और छतरपुर जिलों में कितने वन ग्राम शेष है, जिन्हें राजस्व ग्राम घोषित किया जाना है ? (ख) कब तक इन वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा प्राप्त हो जायेगा कृपया समय सीमा बतावे ? (ग) वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने की वर्तमान प्रक्रिया क्या है ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार): (क) प्रश्नाधीन जिलों में से दमोह जिले के शेष एक वन ग्राम बृजपानी को राजस्व ग्राम घोषित करने का प्रकरण प्रचलित है । (ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा IA No.2 in WP No. 337/1995 में पारित आदेश दिनांक 13.11.2000 से निर्वनीकरण पर रोक होने के कारण समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है । (ग) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से किसी वन ग्राम के वन भूमि के निर्वनीकरण की स्वीकृति प्राप्त होने पर अधिसूचना जारी कर राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है ।

चारागाह विकास एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण की योजना

7. **(क्र. 82) श्री भारत सिंह कुशवाह :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वन विभाग में चारागाह विकास एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण की योजना विगत वर्षों में लागू की गई है ? यदि हां, तो वन मण्डल ग्वालियर में विगत 5 वर्षों में रेंजवार, स्थलवार कहां-कहां कितने रकबा में चारागाह विकास एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण कर कितने पौधे प्रजातिवार रोपित किये गये ? (ख) उक्त क्षेत्रों का कब-कब सत्यापन कराया गया एवं उसमें कितने क्षेत्र में कितने-कितने पौधे एवं घास की कितनी मात्रा पाई गई ? उक्त चारा क्षेत्रों एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्रों की तैयारी एवं रख-रखाव पर कुल कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? वर्षवार, स्थलवार बतावें ? (ग) चारागाह क्षेत्रों से कितना-कितना घास ग्रामीणों को नि:शुल्क - सशुल्क वितरित किया गया ? (घ) यदि नहीं, तो दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम बतावें एवं उनके विरूद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार): (क) एवं (ख) जी हॉ । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार** है । घास की मात्रा को अभिलेखित नहीं किया गया है । (ग) एवं (घ) चारागाह विकास योजना में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा अपने मवेशियों हेतु घास का उपयोग नि:शुल्क किया गया है । उन्हें सूचीबद्ध नहीं किया गया है । अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

हाउसिंग बोर्ड कालोनी के निवासियों पर बकाया लीज रेंट

8. **(क्र. 83) श्री भारत सिंह कुशवाह :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हाउसिंग बोर्ड कालोनी माधव नगर ग्वालियर के निवासियों पर कितना लीज रेंट बकाया है ? किस-किस व्यक्ति पर कितना-कितना बकाया है ? (ख) क्या बकाया लीज रेंट पर ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है ? यदि हां, तो ब्याज किस रेट पर लगाया गया ? (ग) क्या यह सही है कि उक्त कालोनी के किस-किस निवासी पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 तक कितना जलकर शेष है ? (घ) क्या बकाया जलकर पर ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है ? यदि हां, तो किस रेट पर एवं किस नियम के तहत ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) प्रश्नाधीन कालोनी में लीज रेंट की राशि रूपये 17,89,822/- (रूपये सत्रह लाख नवासी हजार आठ सौ बाइस मात्र) बकाया है । व्यक्तिवार विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है । (ख) जी हां । 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब'** अनुसार है । (घ) बकाया जल कर पर मण्डल के परिपत्र क्र. 02/2002, दिनांक 18.01.2002 के अनुसार 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिभार लिया जाता है ।

मंदिर की भूमि का अवैध अन्तरण

9. **(क्र. 88) श्री अरूण भीमावद :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शाजापुर नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत माफी औकाफ श्री राम मंदीर श्री बांके के नाम से कितनी भूमि कहाँ-कहाँ पर है ? (ख) उक्त भूमि वर्तमान में किन-किन व्यक्तियों के अधिपत्य में होकर राजस्व अभिलेख में भूमि किस के नाम से अंकित है ? (ग) क्या उक्त मंदिर की भूमि सर्वे क्रमांक 321 पर अवैध कब्जे के संबंध में कोई शिकायत कलेक्टर शाजापुर को की गई है ? यदि हॉ तो शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ? (घ) उक्त मंदिर भूमि से अवैध कब्जाधारी का कब्जा कब तक हटाया जाकर भूमि मंदिर प्रबंधक के अधिपत्य में सौंपी जावेगी ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) शाजापुर नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत माफी औकाफ श्री राम मंदिर श्री बांके के नाम से निम्नानुसार भूमि ग्राम सुनेरा में अंकित है:-

क्रमांक	सर्वे	रकबा
1	1662	0.20
2	1665	0.27
3	1666	0.360

(ख) उक्त भूमि वर्तमान में राजस्व अभिलेख में श्री राम मंदिर स्थान शाजापुर व्यवस्थापक कलेक्टर शाजापुर के नाम पर दर्ज है । जिसके पुजारी दिलीप कुमार पिता चतरूदास शासकीय नियमानुसार नियुक्त है । ग्राम सुनेरा मे स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1666 रकबा 0.360 है, मे से रकबा 0.190 आरे वर्तमान खसरा अभिलेख के अनुसार गोपालसिंह के नाम दर्ज है । (ग) शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच की जा रही है । (घ) (ग) के परिप्रेक्ष्य में जांच की जा रही है ।

बड़वारा क्षेत्र की सड़कों की स्वीकृति

10. **(क्र. 136) श्री मोती कश्यप :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा वि.स.क्षे. बड़वारा के किन्हीं मार्गो के संबंध में जनवरी 2010 से जनवरी 2015 की अवधि में मा. मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री जी को कोई प्रस्ताव दिये जाने पर उनमें से किन मार्गो के प्रथम स्तरीय प्राक्कलन कब व किनके द्वारा बनाये गये हैं ? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में ऐसे कौनसे मार्ग हैं, जो जिला कटनी से जिला जबलपुर तक है और वे किस निर्माण संभाग के अंतर्गत आते हैं और उनके संबंध में अभी तक किसके द्वारा क्या कार्यवाहियां की गई है ? (ग) क्या प्रश्नांश (क) वर्षो में से कौन से मार्गो के प्रथम स्तरीय प्राक्कलन एवं डी.पी.आर. शासन, प्रमुखअभियन्ता, मुख्यअभियन्ता व अन्य के पास किन दिनांकों में किन अपेक्षाओं हेतु लंबित हैं और क्या उन पर अभी तक किन्हीं के द्वारा कोई कार्यवाहियों की गई हैं ? (घ) प्रश्नांश (क) (ख) (ग) के किन मार्गो को वर्ष 2015-16 के बजट में सम्मिलित किया जावेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) से (ग) विस्तृत जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (घ) वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर उक्त मार्गो को वर्ष 2015-16 के बजट में सम्मिलित किया जाना संभव हो सकेगा ।

उद्योगों से विस्थापितों को नौकरी/मुआवजा/निर्वाह भत्ते का भुगतान

11. **(क्र. 192) श्री राम लल्लू वैश्य :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिंगरौली जिले के अंतर्गत रिलायंस पावर कंपनी द्वारा, शासन के भूमि एवं मकान से विस्थापित कितने लोगों को स्थाई नौकरी दी गई ? तथा जिन्हें नौकरी नहीं दी गई है तो क्या इन्हें निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कितने लोगों को कितनी राशि का भुगतान किया गया है और कितने लोग शेष रह गये हैं, इन्हें कब तक में राशि का भुगतान किया जायेगा ? (ख) प्रश्नांश (क) के समान ही एस्सार, हिण्डालकों में भी क्या योजना लागू हैं ? क्योंकि सिंगरौली जिले के अंतर्गत कई ग्रामीण किसान भी प्रभावित है ? यदि हां, तो इन्हें क्या मुआवजा, नौकरी, निर्वाह भत्ता आदि का वितरण किया गया है, कितने लोगों को और कितने लोग शेष रह गये हैं, इन्हें कब तक राशि का भुगतान किया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) सिंगरौली जिले में रिलायंस पॉवर कम्पनी द्वारा दो पॉवर परियोजनाएं क्रमश:सासन अल्ट्रा मेगा पॉवर प्रोजेक्ट तथा चितरंगी पॉवर प्रोजेक्ट की स्थापना की जा रही है, जिसमें चितरंगी पॉवर परियोजना का कार्य बंद पडा है । कम्पनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सासन पॉवर परियोजना से विस्थापित 23 व्यक्तियों को कम्पनी में स्थायी नौकरी दी गई है तथा 310 लोगों को ठेकेदार के माध्यम से रोजगार दिया गया है । कंपनी द्वारा किये गये अनुबंध अनुसार भूमि के कब्जा सौंपने के तीन साल बाद बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का प्रावधान बताया गया है । वर्तमान में 250 परिवारों में से प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को तीन हजार रूपये प्रतिव्यक्ति से शुरू किया जाना प्रतिवेदित है । जिसमें शासकीय भूमि पर आवाद रिहायसी परिवार भी सम्मिलित है शेष 1263 लोगों का निर्धारित प्रारूप में आवेदन नही आने से या कब्जा हस्तान्तरित कर तीन वर्ष पूर्ण न होने से राशि भुगतान प्रारंभ नही हुआ है । (ख) एसार एवं हिंडाल्को कम्पनी में पृथक-पृथक करार नामा किया गया है । एसार कम्पनी के लिये भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा चार के प्रकाशन की तारीख को विस्थापित परिवारों के 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की उम्र के प्रत्येक पुरूष सदस्य को जिस दिन अर्जित होने वाली अपनी जमीन एवं मकान खाली करके कम्पनी को सौपेगें उस दिन से शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम उद्योगिक मजदूर को लागू होने वाले दर में दस रूपये जोडकर 30 दिनों का मासिक भत्ता दिया जायेगा जिसके अंतर्गत 574 लोगों को रूपये 7140 प्रतिमाह की दर से भत्ता दिया जा रहा है जिसमें शासकीय भूमि पर आवाद रिहायसी परिवार भी सम्मिलित है इसी प्रकार हिंडाल्को कम्पनी के लिये परियोजना से प्रभावित प्रत्येक परिवार जो भूमि अधिग्रहण के दौरान विस्थापित किया जा रहा है उन्हें निर्वाह भत्ता के रूप में माह में 25 दिन की न्यूनतम कृषि कार्य में दी जाने वाली मजदूरी विस्थापन की तिथि से एक वर्ष तक देय होगी जिसके तहत कम्पनी के द्वारा 1300 व्यक्तियों को भत्ता दिया गया है । जिसमें शासकीय भूमि पर आवाद रिहायसी परिवार भी सम्मिलित है । तथा 358 पीएपी को स्थायी नौकरी 1020 लोगों को अस्थाई तथा भत्ते से शेष 50 लोगों को भत्ता दिया जा रहा है इस प्रकार पी ए पी द्वारा कम्पनी को कब्जा सौपने पर स्वमेव भत्ता प्राप्त होगा ।

<u>अंतिम मूल्यांकन तथा सी.सी. जारी होना</u>

12. **(क्र. 225) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 20 जनवरी 2015 की स्थिति में रायसेन एवं देवास जिले की नगर पालिका तथा नगर परिषदों में स्वीकृत कौन-कौन से कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है ? कार्यवार कारण बतायें ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण होंगे समयावधि बतायें ? (ख) कौन-कौन से पूर्ण कार्यों का अंतिम मूल्यांकन तथा सी.सी. जारी नहीं हुई तथा क्यों ? कारण बतायें तथा कब तक जारी होगी ? इस संबंध में शासन के क्या निर्देश है ? उनकी प्रति दें ? (ग) अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्य समय सीमा में पूर्ण हो तथा शासन

के निर्देशों के तहत निश्चित समयावधि में कार्यों का अंतिम मूल्यांकन एवं सी.सी. जारी हो इस हेतु विभाग के अधिकारियों ने क्या-क्या कार्यवाही की ? (घ) विगत 2 वर्षों में कार्यपालन यंत्री नगरीय प्रशासन ने किन-किन कार्यों का निरीक्षण किया, तथा क्या-क्या कमियां पाई तथा उन पर क्या कार्यवाही की ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) से (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट ''अ'', ''ब'' एवं ''स'' अनुसार** है ।

जिला मार्ग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की नीति

13. **(क्र. 226) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण मार्ग को जिला मार्ग तथा स्टेट हाईवे (राज्य मार्ग) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के संबंध में क्या-क्या मापदण्ड, शर्तें है पूर्ण विवरण दें ? (ख) रायसेन एवं देवास जिले के किन-किन मार्गों को जिला मार्ग, राज्य मार्ग तथा राष्ट्रीय राज्य मार्ग घोषित करने के प्रस्ताव 1.1.13 से 20.1.15 की अवधि में विभाग को किन-किन माध्यमों से प्राप्त हुए ? (ग) उक्त प्रस्तावों पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? वर्तमान में उक्त प्रस्ताव किस स्तर पर लंबित है ? (घ) उक्त प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किया जायेगा समयावधि बताये तथा यदि नहीं, तो क्यों कारण बतायें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) ग्रामीण मार्ग को जिला मार्ग तथा स्टेट हाईवे घोषित करने से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -1 अनुसार** एवं रा.रा. मार्ग घोषित किये जाने हेतु भारत सरकार सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी मापदण्ड **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -2** अनुसार है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' एवं अ-1 अनुसार** है । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' के कॉलम न. 7 एवं अ-1 के कॉलम न. 5 अनुसार** है । (घ) प्रस्ताव परीक्षणाधीन होने से समय सीमा बताया जाना सम्भव नही ।

अवैध कालोनियों को वैध किया जाना

14. **(क्र. 266) श्री मधु भगत :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट एवं वारासिवनी नगरीय क्षेत्र में कुल कितनी वैध एवं अवैध कालोनियां हैं ? क्या वैध कालोनियों में निगम द्वारा नागरिकों को पानी, स्ट्रीट लाईट, सड़क एवं सफाई की मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ख) नगर की अवैध कालोनियों, जिनमें कालोनी विकास के पूर्णत: प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए हैं, क्या उन कालोनियों में निर्गम द्वारा भवन निर्माण की

अनुमति दी जा रही है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत । (ग) अवैध कालोनियों को वैध करने के शासन निर्देश से अब तक कितनी कालोनियों को वैध किया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक किया जावेगा ? (घ) गत तीन वर्षों में नगर में कितने अवैध कॉलोनाईजर्स पर नियमों के उल्लंघन के प्रकरण बनाकर क्या कार्यवाही की गई ? क्या इन कॉलोनाईजर्स पर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस पर और कब-कब ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) बालाघाट नगरीय क्षेत्र में कुल 08 वैध तथा 33 अवैध कालोनियॉ है । वारासिवनी नगर में 06 एवं 05 अवैध कालोनियॉ हैं । जी हॉ । (ख) नगर पालिका द्वारा नगर की अवैध कॉलोनियों में भवन निर्माण की स्वीकृति म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बधन एवं शर्ते) नियम 1998 के नियम 15-क (छ) के अंतर्गत संबंधित कॉलोनी के भवन/भूखण्ड स्वामी से रू. 150 प्रति वर्गमीटर की दर से विकास शुल्क जमा कराकर दी जाती है । (ग) अभी तक किसी अवैध कालोनी का नियमितीकरण नहीं किया गया है । नियमितीकरण की कार्यवाही प्रचलित है । समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है । (घ) गत 03 वर्षो में 33 अवैध कॉलोनियों में पृथक-पृथक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी हैं । बालाघाट एवं वारासिवनी नगर पालिका नगर में कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किये गये हैं ।

<u>निर्माण कार्यों में अनियमितता की जांच</u>

15. **(क्र. 267) श्री मधु भगत :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग, जिला बालाघाट में वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के किस-किस मद से कब-कब करवाये गये ? नियुक्त कार्य ऐजेंसी के नाम सहित विकास खण्डवार एवं वर्षवार पूर्ण ब्यौरा देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रचलित कार्य में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हैं ? कितने अपूर्ण हैं ? एवं उक्त कार्य में से किस-किस कार्य के लिये किस-किस को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किस दिनांक को चैक/ड्राफ्ट क्रमांक एवं नगद राशि के रूप में किया गया ? वर्षवार कार्यवार भुगतान की गई राशि का पूर्ण ब्यौरा देवें ? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित कार्यों में से कौन-कौन से कार्य हैं, जिनके पूर्ण किये बिना अथवा कार्य प्रारंभ किये बिना कार्य से अधिक राशि का भुगतान किया गया ? कार्यवार किये गये भुगतान का पूर्ण ब्यौरा देवें ? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें जिला एवं राज्य स्तर पर प्राप्त हुई ? कृपया शिकायतों का विवरण देते हुये बतावें कि इनमें से किन-किन शिकायतों की जांच किसके द्वारा कराई गई एवं जांच के पश्चात क्या कार्यवाही की गई ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं "अ-1" अनुसार** है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं "अ-1"**

अनुसार है । (ग) प्रश्नांश 'क' में वर्णित कार्यो को पूर्ण किए बिना अथवा कार्य प्रारंभ किये बिना कोई भुगतान नहीं किया गया । कार्यवार भुगतान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब'** अनुसार है । (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" एवं "ब-1" अनुसार** है ।

कृषि योग्य भूमि की नीलामी

16. **(क्र. 276) श्री यादवेन्द्र सिंह :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) नागौद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बरकोनिया मंदिर नागौद की जमीन की बोली विगत दो वर्षों से क्यों नहीं कराई गई है ? जबकि पूर्व में इसकी नीलामी की जाती थी ? (ख) क्या यह सही है कि उक्त जमीन की नीलामी से प्रतिवर्ष 4 से 5 लाख की आय होती थी, नीलामी नहीं होने से शासन को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ कृषि योग्य जमीन बंजर भी हो गई है ? (ग) शासन इस जमीन की नीलामी कब तक करायेगा ? समय सीमा बतायें ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) इस विभाग के आदेश दिनांक एफ 7-9/2007/छैः दिनांक 30/05/2012 में वर्णित संदर्भित समसंख्यक पत्र दिनांक 08.06.2011 द्वारा निर्देश दिये गये थे कि मंदिरों की भूमि लीज पर न दी जाकर अस्थायी रूप से दिनांक 31/05/2012 तक पुजारियों के हवाले रखी जाने के निर्देश जारी किये गये थे एवं आगामी आदेश तक मंदिरों से लगी कृषि भूमि को नीलाम कर लीज पर देने की कार्यवाही स्थगित रखी गई थी एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ 7-9/2007/छैः दिनांक 25/11/2014 में वर्णित आदेश अनुसार दिनांक 31.05.2015 तक शासन संधारित मंदिरों से लगी कृषि भूमि लीज पर न दी जा कर मंदिर के पुजारियों के हवाले रखी जाए। फलस्वरूप ऐसी भूमियों की अब नीलामी नही की जाती है। (ख) जी हां। यह सही है कि उक्त भूमि की नीलामी से आय होती थी किन्तु शासन द्वारा उक्त भूमियों को मंदिर के पुजारियों के हवाले रखे जाने के आदेश प्रसारित किय गये है। (ग) शासन निर्णय के परिप्रेक्ष्य मे अब उक्त भूमियों की नीलामी दिनांक 31/05/2015 तक नही की जा सकती।

कृषि भूमि की नीलामी

17. **(क्र. 277) श्री यादवेन्द्र सिंह :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सतना जिला अंतर्गत नारायण दास जी अखाडा रामपुर(उचेहरा) एवं नरसिंह भगवान अखाडा उचेहरा की भूमि पर लगभग 100 एकड़ से अधिक आराजी पर श्री प्रीतेन्द्र सिंह तनय श्री कांतिदेव सिंह द्वारा बलपूर्वक अवैध कब्जा तथा नहर हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा श्री कृष्णदेव सिंह तनय छत्रपाल सिंह द्वारा 105200/- की राशि आहरण कर लेना तथा जॉच में सही पाये जाने पर भी कार्यवाही नहीं होने का क्या कारण है ? (ख) क्या बलपूर्वक कब्जा की गई अखाड़ों की भूमि को तत्काल कब्जा बेदखल कराकर कृषि योग्य जमीन की नीलामी कराई जायेगी, जिससे शासन को

राजस्व की प्राप्ति हो सकें ? (ग) क्या यह सही है कि कृषि योग्य जमीन की नीलामी कराने पर कृषि भूमि भी बंजर होने से बच सकेगी ? (घ) क्या जमीन को कब्जा मुक्त कराने के साथ तुरंत नीलामी कराई जायेगी ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) नरसिंह भगवान अखाडा उचेहरा की आराजी पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है । नरसिंह भगवान अखाडा उचेहरा की भूमि पर पुजारी श्री रामकिशोरदास द्वारा स्वयं खेती कराई जा रही है । नहर की अधिग्रहीत भूमि की मुआवजा राशि भू-अर्जन शाखा से कलेक्ट्रेट सतना की जानकारी अनुसार सतना जिला अंतर्गत तहसील उचेहरा शाखा नहर न.घा.वि.प्रा. हेतु ग्राम इटहा खोखर्रा की श्री नरसिंह भगवान सर्वकारन धर्मदास जी चेला रामकिशोर दास जी महंत बडा अखाडा उचेहरा प्रबंधक जिलाध्यक्ष सतना के नाम पर मात्र आ.क्र. 221, 222/1, 223/1, 224/1 ,271, 243, 244, 76 एवं 23 के तहत कुल 1.951 है. अधिगृहीत किया गया था एवं वितरण हेतु प्रतिकर राशि 1024599/--स्0 इलाहाबाद बैंक उचेहरा में संचालित भू-अर्जन अधिकारी के खाते में जमा की गई थी । धर्मदास जी द्वारा मंदिर के संयोजक के रूप में श्री कृष्णदेवसिंह की नियुक्ति की गई थी और बैंक में भुगतान हेतु आवेदन किया गया था जिससे प्रबंधक द्वारा कृष्णदेवसिंह के खाते में पैसा जमा कराया गया था लेकिन जिला कार्यालय द्वारा तत्काल कार्यवाही किये जाने पर राशि कृष्णदेवसिंह के खाते से निकालकर भू अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर न.घा.वि.प्रा.सतना के नाम से संचालित खाते में जमा करायी जा चुकी है । तत्समय बैंक प्रबंधक के उपर कार्यवाही करने हेतु महाप्रबंधक मुख्य शाखा इलाहाबाद बैंक, कोलकाता को लिखा गया, जिसका कार्यवाही प्रतिवेदन अभी अपेक्षित है । (ख) प्रश्नांश क के अनुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है । इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 7-9/2007/छैः दिनांक 25/11/2014 द्वारा शासन संधारित मंदिरों से लगी कृषि भूमि लीज पर न दी जाकर मंदिर के पुजारियों के हवाले रखी जाने के निर्देश जारी किये गये हैं । अतः भूमि नीलामी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ग) प्रश्नांश ख के उत्तर के प्रकाश में भूमि नीलामी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (घ) अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है । प्रश्नांश ख के उत्तर के प्रकाश में भूमि नीलामी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

काबिज आदिवासियों को वनभूमि के पट्टा का वितरण

18. **(क्र. 280) श्री यादवेन्द्र सिंह :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि नागौद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वनभूमि मे 50 वर्षों से आदिवासी काबिज हैं उनके द्वारा जरायन काटी गई है जबकि विभाग के कर्मचारियों द्वारा जराइन नहीं काटी जाती है । उन आदिवासियों को आज तक पट्टे नहीं दिये गये है क्यों ? (ख) इन आदिवासियों को कब तक वनभूमि के पट्टे दिये जायेंगे ? (ग) कोई आदिवासी पट्टा प्राप्त करने से छूटने नहीं पाये इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार): (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

जतारा के वाईपास सड़क निर्माण में अनियमितता

19. **(क्र. 345) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि नगर पंचायत जतारा के वाईपास सड़क निर्माण में एलाईमेंट सर्वे खसरा क्र. 536/8 के कुए व नक्शा के अनुसार दशरथ आदिवासी के ख.नं. 536/7 से होकर 539/4 तक जाना था परन्तु ठेकेदार द्वारा अधिकारियों से साठ-गॉठ कर अधिग्रहण की गई भूमि खसरा क्र. 536/8 के कुआं का मुआवजा रू. 302787 वितरित कर दिया और खसरा नं. 536/7 में भी मुआवजा रू. 174500 जारी कर दिया लेकिन लोक निर्माण के अधिकारियों की मिली भगत से तथा ठेकेदार की शह पर रोड़ घुमाकर दोनों खसरा नं. बचा दिये गये और फर्जी मुआवजा ठेकेदार और अधिकारियों द्वारा ले लिया गया ? (ख) क्या उक्त घटिया निर्माण एवं शासन के द्वारा दिये गये मुआवजे की राशि हड़प जाना एवं रोड़ को निर्धारित जगह से ना डालकर घुमा दिया जाना तथा रोड पर खड़े पेड़ों, लकड़ियां ठेकेदार द्वारा उठा लिये जाने की जांच कमेटी गठित कराकर क्या मंत्री महोदय जांच करायेगे ? यदि हां, तो कब तक समयावधि बताये ? (ग) क्या यह भी सच है कि ठेकेदार द्वारा उक्त सड़क निर्माण की जो पेड़ो की लकड़ी लाखों रूपये की थी उसे शासन को वापिस दिलायेगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) राजस्व विभाग द्वारा दिये गये एलाईमेंट पर कार्य किया जा रहा है । संबंधित कृषकों को मुआवजा दिया गया । सहमति के आधार पर मार्ग सीधा किया गया है । जी नहीं । (ख) जी नहीं । प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । (ग) जी नहीं । लकड़ी लोक निर्माण विभाग के पास स्टोर में जमा है । प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

सड़क निर्माण में अनियमितता

20. **(क्र. 346) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि जतारा के खरगूपुरा तिगैला से कनेरा तक सड़क निर्माण संबंधी मेरे द्वारा अतारांकित प्रश्न क्र. 35/2567 के भाग (क) की जानकारी माननीय मंत्री जी द्वारा बताई गई थी, कुल 13,4 कि.मी. खरगूपुरा से कनेरा मार्ग हेतु 480.34 लाख की राशि 10/07/2006 में स्वीकृत की गई थी ? वर्ष 2009-10 में 5779439 रू. वर्ष 10-11 में 1619993 वर्ष 11-12 में 1997037 वर्ष 12-13 में 5339799 एवं वर्ष 13-14 में 3737459 राशि नवीन निर्माण हेतु स्वीकृत की गई ? इस तरह 2 करोड़ 86 लाख 73 हजार 727 रू. की राशि पिछले पांच वर्षो में व्यय हो चुकी है और यह भी बताया गया था कि 2012-13 में कार्य भी पूर्ण हो चुका है तथा प्रश्नकर्ता को बताया गया था प्रश्न उद्भूत नही होता है क्या इस तरह सदन मे गलत जानकारी देकर गुमराह किया गया है ? (ख) उक्त सड़क के निर्माण में शासन की राशि 2, 8673727 रू. खर्च हो चुकी जिसकी जांच कमेटी बनाकर जांच करायेंगे एवं वीडियो रिर्काडिंग करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

(ग) क्या यह भी सच है कि 13,4 कि.मी. की सड़क निर्माण पर 02,86.73727 रू. खर्च किया जाना उचित है यदि हां, तो सम्पूर्ण जानकारी से अवगत कराये एवं दोषी ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे यदि हां, तो समयावधि बतायें यदि नही तो कारण स्पष्ट करें क्यो ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) जी हॉ । पूर्व प्रश्नोत्तर के साथ प्रस्तुत प्रपत्र-अ में कुल स्वीकृत राशि में से विगत पॉच वर्षो में वर्षवार व्यय की जानकारी दी गई है । इस कार्य हेतु जारी की गई प्रशासकीय स्वीकृतिके अंतर्गत नियुक्त नई एजेन्सी द्वारा किये गये कार्यो के विरूद्ध किया गया व्यय है । इस कार्य पर प्रश्न अंतर्गत प्रथम एजेन्सी के द्वारा किये गये कार्य पर वर्ष 2008-09 में रू. 9821437.00 व्यय किया गया था । अत: सदन को गुमराह करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है । (ख) कार्य पर कुल व्यय रू. 38495164.00 का व्यय किया गया है । कार्य परफारमेंस गारंटी के अंतर्गत है जिसमें ठेकेदार को कार्य का संधारण करना है । जांच कमेटी गठन करने एवं विडियोग्राफी कराये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है । (ग) स्वीकृत कार्य के प्रावधान अनुसार किये गये कार्य का व्यय है, जो उचित है । कार्य पर कुल व्यय रूपये 38495164.00 किया गया है । कार्य परफारमेंस गारंटी के अंतर्गत है, यदि इस अवधि में कार्य का रखरखाव ठेकेदार द्वारा समुचित रूप से नहीं किये जाने पर अनुबंध के प्रावधानुसार कार्यवाही की जावेगी । कार्य की समय-सीमा बताना संभव नहीं है । **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है ।

<u>परिशिष्ट - "नौ"</u>

<u>ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में हुए एम.ओ.यू. पर कार्यवाही</u>

21. **(क्र. 384) श्री सचिन यादव :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2012 एवं 2014 इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान कितने-कितने एम.ओ.यू. के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये और इस आयोजन में कितनी-कितनी राशि किस-किस प्रकार खर्च की गई एवं कुल कितनी राशि खर्च हुई ? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. ज्ञापन के क्या परिणाम हुए और वर्तमान में इनकी क्या स्थिति है ? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) की यथास्थिति प्रश्न दिनॉक तक क्या है और इससे जनहित में कितने लाभ किस-किस प्रकार से प्राप्त हुए तथा प्रश्न दिनॉक तक होने वाले लाभों की जानकारी भी दें ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) वर्ष 2012 में इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान कुल 425 एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित हुए है । वर्ष 2014 में आयोजित इन्वेस्टर समिट में एम.ओ.यू. हस्ताक्षर नही हुए हैं । वर्ष 2012 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इंदौर में आयोजित कार्यक्रम संबंधी समस्त गतिविधियों में दो वर्ष में कुल 20.26 करोड खर्च हुये थे एवं वर्ष

2014 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, इन्दौर में आयोजित कार्यक्रम की समस्त गतिविधियों में दो वर्ष में कुल रूपये 24.83 करोड खर्च हुये । (ख) वर्ष 2012 में हस्ताक्षरित 425 एम.ओ.यू. में 73 परियोजनाओं में उत्पादन प्रारम्भ तथा 340 परियोजनाएं क्रियान्वयन की विभिन्न चरणों में हैं । 12 एम.ओ.यू. निरस्त हुए हैं । (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) की यथास्थिति प्रश्नांश (ख) के उत्तर अनुसार हैं । उत्पादन प्रारम्भ परियोजनाओं में प्रश्न दिनांक तक रूपये 4448.18 करोड का पूंजी निवेश होकर 27689 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं ।

बहोरीबंद वि.स. क्षेत्र में मार्ग स्वीकृति।

22. **(क्र. 414) कुंवर सौरभ सिंह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बहोरीबंद विधान सभा रीठी एवं बहोरीबंद जनपद पंचायत के अंतर्गत निम्नलिखित ग्रामों में सड़क निर्माण कराये जाने हेतु प्राक्कलन लोक निर्माण विभाग कटनी द्वारा स्वीकृति हेतु भेजे गए है । 1. तेवरी से बिचुआ रोड, 2. पथराड़ी पिपरिया से गाता खेड़ा रोड, 3. बहोरीबंद सिंहुड़ी सूखा मार्ग, 4. पोड़ी से मझगवां, 5. घिनौची से गनियारी मार्ग, 6. धूरी से मवई, 7. रीठी से पटी मार्ग, 8. बरतरा से चांदन खेड़ा, 9. नीमखेड़ा से भटगवां कुआ मार्ग, (ख) प्रश्नांक (क) के अनुसार उक्त रोड कब तक स्वीकृत कर प्रारंभ कराई जाएगी समय-सीमा बतायें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) जी हॉ । मुख्य अभियंता स्तर पर परीक्षणाधीन है । (ख) वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

मुख्यमंत्री जी की घोषणा का क्रियान्वयन

23. **(क्र. 426) कुंवर सौरभ सिंह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बहोरीबंद विधान सभा क्षेत्र के रीठी जनपद पंचायत के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रेस्ट हाउस बनाये जाने की घोषणा की गई थी ? घोषण पर क्या कार्यवाही की गई है ? (ख) प्रश्नांक (क) के अनुसार रीठी में रेस्ट हाउस बनाने की माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के परिपालन में स्वीकृति कब की गई है उसका कार्य कब प्रारंभ कराया जायेगा ? समय सीमा बतायें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) जी हॉ । मुख्यमंत्री घोषणा क्रं. बी-337 में सम्मिलित होने से प्रस्ताव तैयार कराये गये है । (ख) उत्तरांश 'क' अनुसार प्रस्ताव तैयार कराये गये जो परीक्षणाधीन है । कार्य प्रारंभ करने की निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है ।

बड़े तालाब में प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्यवाही

24. **(क्र. 599) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर पालिका निगम भोपाल के अन्तर्गत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भोपाल के बड़े तालाब में प्रदूषण फैलाने वाले किस-किस नाम के मैरिज गार्डनों को चिन्हित किया है ? उक्त मैरिज गार्डनों की दूरी भोपाल तालाब से कितने मीटर है ? गार्डनवार/नामवार/दूरीवार जानकारी दें ? (ख) क्या यह सत्य है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मैरिज गार्डनों को भोपाल के बड़े तालाब में गंदगी फैलाये जाने एवं प्रदूषण उत्पन्न करना पाया ? पर्यावरण विभाग द्वारा भोपाल के बड़े तालाब में प्रदूषण फैलाने वाले इन मैरिज गार्डनों के विरूद्ध कब-कब व क्या-क्या कार्यवाही प्रश्नतिथि तक की है ? (ग) राज्य शासन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों को देखते हुये बड़े तालाब में गंदगी फैलाने वाले/बड़े तालाब में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली किस-किस फर्म/संस्था/अन्य के विरूद्ध कार्यवाही चिन्हित कर करेगा ? अगर हां, तो क्या ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) नगरपालिका निगम भोपाल के अंतर्गत माननीय नेशनल ग्रीन टिब्यूनल ने भोपाल के बड़े तालाब में प्रदूषण फैलाने वाले किसी भी मैरिज गार्डन को चिन्हित नहीं किया है । अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ख) एवं (ग) उत्तरांश-क के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

मानसरोवर काम्पलेक्स द्वारा अवैध निर्माण

25. **(क्र. 600) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि प्रश्न क्रमांक 79 (क्र. 6539) दिनांक 28 मार्च 2011 को हुई जांच में जांच समिति ने पाया कि मानसरोवर काम्पलेक्स में ऑफ स्ट्रीट पार्किंग की जगह नहीं छोड़ी है ? क्या मान सरोवर काम्पलेक्स भवन के निर्माण की जांच पूर्ण हो चुकी है ? अगर हां तो जांच रिपोर्ट की एक प्रति दें ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित भवन के निर्माण में पेंट हाउस/ओपन स्पेस/ ऑफ स्ट्रीट पार्किंग/भूतल में अवैध निर्माण/पार्किंग की जगहों पर दुकानों के निर्माण कराये जाने की जांच एवं दुकानों के साइज का मेसरमेंट प्रश्नतिथि तक करवाया गया है ? अगर हां तो जांच रिपोर्ट की एक प्रति निष्कर्षों सहित उपलब्ध कराये ? (ग) क्या यह सत्य है कि उक्त भवन निर्माता के द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश के द्वारा स्वीकृत नक्शे के विपरीत भवन का निर्माण कराया गया है ? नगर पालिक निगम भोपाल के किस नाम/पदनाम के अधिकारियों ने उक्त भवन निर्माण की स्वीकृति नगर तथा ग्राम निवेश से स्वीकृति नक्शे के विपरीत दी ? (घ) क्या कार्यवाही राज्य शासन नगर निगम भोपाल के अधिकारियों/भवन निर्माता के विरूद्ध कब तक करेगा ? अगर नहीं तो क्यों ? कारण दे ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हॉ । जी हॉ । जांच रिपोर्ट की प्रति **पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) जी हॉ । जांच रिपोर्ट की प्रति **पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट अनुसार** है । (ग) एवं (घ) नगर तथा ग्राम निवेश के द्वारा कोई मानचित्र स्वीकृत नहीं किया गया है। शेषांश के संबंध में जांच रिपोर्ट के निष्कर्षो पर कार्यवाही करने हेतु नगर निगम भोपाल को निर्देशित किया गया है । समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

सिवनी जिले की उद्योग नीति

26. **(क्र. 681) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या सिवनी जिले के लिए शासन ने कोई उद्योग नीति बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक बनाएंगे ? (ख) प्रश्नांश (क) हां है, तो यह नीति कब बनाई गई ? प्रति उपलब्ध करावें ? नीति निर्धारण तिथि से प्रश्न दिनांक तक उद्योगों की स्थापना हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या प्रयास किए गए ? वर्तमान में विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है ? (ग) क्या सिवनी जिले में नीति निर्धारण तिथि से प्रश्न दिनांक तक उद्योगों का विस्तार हुआ है ? यदि हां, तो कौन-कौन से उद्योग कहां-कहां स्थापित किए गए ? उन्हें स्थापित करवाने में विभाग का क्या योगदान रहा ? उन उद्योगों की वर्तमान भौतिक स्थिति क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) जी नही, शासन द्वारा सम्पूर्ण मध्यप्रदेश हेतु उद्रयोग सवंर्धन नीति,2014 बनाई गई है । (ख) उद्रयोग संवर्धन नीति,2014 दिनांक 1 अक्टूबर,2014 से सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू की गई है । उद्रयोग संवर्धन नीति, 2014 की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । नीति वेबसाइट www.mpindustry.org. पर भी उपलब्ध है । विभाग द्वारा उद्रयोगों की स्थापना हेतु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है । साथ ही युवा उद्यमियों को मार्गदर्शन,प्रेरणा,प्रोत्साहन एवं नियमानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है । वर्तमान में विभाग द्वारा निम्नानुसार योजनाएं संचालित की जा रही हैं:- **सहायता योजनाएं-** 1. उद्रयोग निवेश अनुदान योजना 2. ब्याज अनुदान योजना 3. उद्रयोग निवेश संवर्धन सहायता योजना 4. परियोजना सहायता योजना (गुणवत्ता प्रमाणीकरण में/पेटेण्ट प्राप्त करने पर/परियोजना प्रतिवेदन पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति) 5. प्रवेश कर मुक्ति सुविधा 6. टेक्सटाईल परियोजनाओं हेतु विशेष पुनरीक्षित पैकेज,2012 7. बीमार इकाईयों हेतु पुनर्जीवन योजना व पैकेज । **स्वरोजगार योजनाएं-** 1. मुख्यमंत्री युवा उद्रयमी योजना 2. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 3. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (ग) जी हां । सिवनी जिले में उदयोगों के विस्तार हेतु औद्योगिक क्षेत्र भुरकलखापा में 395.75 हेक्टेयर भूमि एवं औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु ग्राम बिठली में 236.21 हेक्टेयर भूमि, ग्राम ठुगरिया में 44.94 हेक्टेयर शासकीय भूमि तथा औद्योगिक क्षेत्र खुरर्सीपार छपारा में 14.29 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है जिसके तहत औद्योगिक क्षेत्र भुरकलखापा में 5 इकाईयां स्थापित हुई हैं, जिसमें रूपये 14.45 करोड का पूंजी निवेश हुआ है और 151 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ है । उक्त इकाइयां उत्पादनरत हैं ।

सिवनी-नागपुर स्टेट हाईवे की मरम्मत

27. **(क्र. 683) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी-नागपुर स्टेट हाईवे पर सिवनी से खवासा तक की पूरी तरह खराब हो चुकी पुल-पुलिया का निर्माण कब तथा किस एजेंसी द्वारा किया गया था ? इस मार्ग पर कितनी पुल-पुलियाँ है तथा इनकी वर्तमान स्थिति क्या है ? (ख) उक्त मार्ग की पुल-पुलियों, जो पूर्णतय क्षतिग्रस्त, जर्जर व खराब हो चुकी हैं, की मरम्मत कब तक कर दी जायेगी ? समय-सीमा बतावें ? (ग) उक्त मार्ग की क्षतिग्रस्त पुल-पुलियों के रख-रखाव तथा लापरवाही के लिये जिम्मेदार व्यक्ति के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) प्रश्नाधीन मार्ग भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है । (ख) एवं (ग) उत्तरांश-क के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

ग्राम वन समितियों का गठन

28. **(क्र. 695) श्री अनिल फिरोजिया :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उज्जैन वन वृत्त में वन सुरक्षा एवं विकास हेतु ग्राम वन समिति का गठन किया गया है ? यदि हॉ तो शासन द्वारा समितियॉ गठन करने के क्या नियम निर्धारित किये गये है ? क्या उक्त नियमों का पालन किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ? (ख) ग्राम वन समितियों में सचिव बनाने हेतु क्या दिशा निर्देश प्राप्त हुये थे ? क्या सचिव बनाने में दिशा निर्देशों का पालन किया गया ? (ग) उज्जैन जिले के तराना वि.स.क्षेत्र की ग्राम वन समितियों को वन सुरक्षा एवं विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि वर्ष वार आवंटित की गई ? उक्त राशि का उपयोग किस कार्य हेतु किया गया ? (घ) क्या आवंटित राशि के व्यय का भौतिक सत्यापन कराया गया ? यदि हॉ तो किसके द्वारा एवं कब-कब कराया गया समिति वार ब्यौरा देवें ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार): (क) जी हाँ । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है, जिनका पालन किया गया है । शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है । दिशा-निर्देशों का पालन किया गया । (ग) एवं (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है ।

इन्दौर से सोनकच्छ सिटी बस सेवा शुरू की जाना

29. **(क्र. 697) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इन्दौर से सोनकच्छ सिटी बस चलाने हेतु कोई प्रस्ताव है ? क्या इन्दौर से सोनकच्छ सिटी बसो के संबंध में कोई कार्यवाही चल रही है ? (ख) यदि कार्यवाही चल रही है तो

कब तक इन्दौर से सोनकच्छ सिटी बस चलना शुरू हो जावेगा ? यदि नहीं तो क्या भविष्य में इसकी कोई संभावना है ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) एवं (ख) जी नहीं । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

पीपलरावा में खेल स्टेडियम का निर्माण

30. **(क्र. 704) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा पीपलरावा में खेल स्टेडियम निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की जा रही है ? यदि हां तो सत्र 2015-16 में खेल स्टेडियम निर्माण का कार्य प्रारंभ हो सकेगा या नहीं ? स्पष्ट करें ? (ख) सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के पीपलरावा में युवाओं के प्रोत्साहन के लिए खेल स्टेडियम की योजना को सम्मिलित किया गया है या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों ? (ग) सोनकच्छ विधानसभा में पीपलरावा में खेल स्टेडियम निर्माण संबंधी भविष्य में कोई प्रस्ताव बनाया जायेगा ? नहीं तो क्यों ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) से (ग) जी नहीं । शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

भोरासा में खेल स्टेडियम का निर्माण

31. **(क्र. 705) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा भोरासा में खेल स्टेडियम निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सत्र 2015-16 में खेल स्टेडियम निर्माण का कार्य प्रारंभ हो सकेगा ? (ख) क्या सोनकच्छ विधानसभा के भोरासा में युवाओं के प्रोत्साहन के लिए खेल स्टेडियम की योजना को सम्मिलित किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ? (ग) सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के भोरासा में खेल स्टेडियम निर्माण संबंधी भविष्य में कोई प्रस्ताव बनाया जायेगा ? नहीं तो क्यों ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) से (ग) जी नहीं । शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

नारददेव मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही

32. **(क्र. 723) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता के परि.अता. प्रश्न संख्या 3 क्र.10 की कंडिका (ख), (ग) एवं (घ) के उत्तर दिनांक 11.12.2014 के परिप्रेक्ष्य में मंदिर की भूमि का अतिक्रमण किस अधिकारी द्वारा किन-किन के समक्ष किस-किस दिनांक को हटाया गया था तथा तहसीलदार गोहद द्वारा दिनांक 28.08.2014 को

अतिक्रमणकर्ताओं पर कितनी-कितनी राशि का अर्थदण्ड आरोपित किया गया और बदेखली की कार्यवाही कब-कब की गई एवं उनके विरूद्ध सिविल जेल की कार्यवाही का प्रस्ताव अनुविभागीय अधिकारी गोहद को कब भेजा जाकर जेल भेजा गया और किन-किन के शस्त्र लायसेंस निरस्त किए गए ? (ख) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 25.07.2014 को आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना, कलेक्टर भिण्ड एवं दतिया को लिखे गये पत्र के संदर्भ में क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (ग) उक्त मंदिर से लगी कृषि भूमि के किस-किस सर्वे क्रमांक पर वर्तमान में किस-किस के द्वारा कौन-कौन सी फसल बोई गई है ? पूर्ण विवरण दें ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) तहसील गोहद श्री नारददेव मंदिर के संलग्न भूमि पर पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 28/08/14 को अतिक्रमण हटाने हेतु आदेश दिये गये तथा अतिक्रमणकर्ताओं श्री रामसिंह पुत्र रामदयाल सिंह पर 3000 रूपये, श्री जण्डेल सिंह पुत्र श्यामलाल सिंह पर 5000 रूपये, श्री पुरूषोत्तम सिंह पुत्र अमरसिंह पर 5000 रूपये पर अर्थदण्ड आरोपित किया गया । उक्त अतिक्रमण दिनांक 05/08/14 कों राजस्व निरीक्षक पटवारी एवं चौकीदार ने समक्ष में हटाया गया । उसके उपरांत अतिक्रमणकर्ताओं ने पुन: भूमि पर अतिक्रमण कर लिया जिसके कारण अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध सिविल जेल भेजने हेतु प्रकरण क्रमांक 20,21,22/2013-14 अ-68 दर्ज किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गोहद के न्यायालय मे सिविल जेल भेजने का प्रकरण विचाराधीन है । (ख) प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 25/07/14 के पालन में प्रश्नांश क मे अतिक्रमण हटाकर जुर्माना किया गया तथा सिविल जेल की कार्यवाही एस डी एम गोहद के न्यायालय में प्रचलित है । (ग) उक्त मंदिर से कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 939 रकबा 2.57,948 रकबा 2.105 किता 2 रकबा 2.162 पर जण्डेल सिंह पुत्र श्यामलाल सिंह गुर्जर निवासी ईटायंदा की सरसों की फसल तथा सर्वे क्रमांक 945 रकबा 2.774 पर रामसिंह पुत्र रामदयाल सिंह जाति गुर्जर निवासी र्इटायंदा द्वारा सरसों की फसल तथा पुरूषोत्तम सिंह पुत्र अमर सिंह जाति गुर्जर निवासी ईटायंदा का सर्वे क्रमांक 949 रकबा 0.084 एवं 951 रकबा 0.258 पर सरसों की फसल बोई गयी है ।

<u>दतिया एवं भिण्ड जिले के क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत</u>

33. **(क्र. 724) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा सेवढ़ा-चौरई नदीगांव मार्ग की निर्माण एजेन्सी को कब तक कार्य पूर्ण करना था ? वर्तमान में कितना कार्य किया गया है तथा कितनी राशि भुगतान की गई ? (ख) क्या यह सही है कि निर्माण एजेन्सी द्वारा लगभग 02 वर्ष पूर्व 23 कि.मी. सड़क उखाड़ने से आने वाले वाहनों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो कब तक सड़क का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा ? (ग) लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत लहार अमायन भारौली मार्ग, मौ-बेहट-मुरार मार्ग, लहार बायपास मार्ग, रतनपुरा-आलमपुर-भगुआपुरा मार्ग, जखमौली राठौरन की मढैया मार्ग, अजनार-मड़ौरी मंगरौल मार्ग अत्यंत जीर्ण-शीर्ण होने से सड़कों के उन्नतिकरण एवं

सुधार कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ? यदि नहीं तो क्यों ? कब तक सड़कों का सुधार कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा ? (घ) क्या माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने पत्र क्रमांक 26 दिनांक 20.01.2014 को दबोह-जगदीशपुरा-संशीगढ़-आलमपुर मार्ग निर्माण हेतु भूमिपूजन हेतु लिखा था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि विभाग द्वारा 02 वर्ष पूर्व जारी निविदा निरस्त कर निर्माण में बाधा पहुंचाई है ? यदि हां, तो 02 वर्ष तक निविदा स्वीकृत न करने का कारण बताएं ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) सेवढा-चौरई नदीगांव मार्ग की निर्माण एजेंसी को यह कार्य दिनांक 28.12.2014 तक पूर्ण करना था । वर्तमान में यह कार्य 28 प्रतिशत हुआ है । यह कार्य एन्युटी बी.ओ.टी. पद्धति से कराए जाने के कारण अभी निर्माण एजेंसी को कोई भुगतान नही किया गया है । (ख) यह सही है कि निर्माण एजेंसी द्वारा निर्मित सडक को उखाडकर नई सडक हेतु सबग्रेड कार्य पूर्ण कर दिया गया है । यह कार्य एक साथ न किया जाकर टुकडो में किया गया है जितनी सडक उखाडी उतनी ही सबग्रेड बनाकर तैयार कर दी गई है जिसके उपर वर्तमान में वाहनो का आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है । वर्तमान में कार्य बन्द है निवेशकर्ता ने कार्य पूर्ण करने का पुनरीक्षित लक्ष्य दिसम्बर 2015 रखा है । (ग) प्रश्नांश-ग मे उल्लेखित मार्गो मे से एक मार्ग मौ-बेहट- मुरार (मोहनपुर-बेहट-मौ मुख्य जिला मार्ग) के उन्नयन एवं चौडीकरण कार्य हेतु शासन ने ए.डी.बी. वित्त पोषित निधी योजना में रू. 96.33 करोड राशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की है । इस मार्ग का उन्न्यन कार्य म.प्र. सडक विकास निगम द्वारा किया जाना है । इस कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गई है जो 26 मार्च 2015 तक प्राप्त की जानी है । निविदा के प्रत्येक स्तर पर ए.डी.बी. का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है । अत: कार्य पूर्ण होने की समयावधि वर्तमान में बताया जाना संभव नही है । शेष मार्गो की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (घ) जी हॉ । जी नहीं, प्रथम आमंत्रण में तकनीकी बिड उपयुक्त नहीं होने के कारण निविदा निरस्त कर पुन: आमंत्रित की गयी । द्वितीय बार आमंत्रित निविदा में 4.20 किमी. भाग प्रधानमंत्री ग्रा.स. योजना में सम्मिलित होने के कारण निविदा निरस्त की गयी । वर्तमान में लो.नि.वि. अंतर्गत शेष लंबाई हेतु निविदा कार्यवाही प्रगति पर है ।

<u>परिशिष्ट - "दस"</u>

<u>प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गो का संधारण</u>

34. **(क्र. 744) श्री रामनिवास रावत :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में नेशनल हाईवे अथोरिटी ऑफ इण्डिया से प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गो के संधारण हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ? उक्त राशि के विरूद्ध अभी तक कितनी-कितनी राशि किस-किस राष्ट्रीय राजमार्ग के संधारण पर कब-कब व्यय की ? क्या यह सही है कि कतिपय मार्गो के संधारण हेतु अग्रिम राशि ठेकेदारों को दी गई ? यदि हां, तो किस-किस

मार्ग के लिए किस-किस ठेकेदार को कितनी-कितनी राशि दी गई ? क्या अग्रिम राशि से उक्त अवधि में किन-किन मार्गों का वास्तविक रूप से संधारण कराया गया यदि नहीं तो राशि के अपव्यय के लिए जिम्मेदार कौन है ? (ख) क्या यह सही है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 आगरा-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुना से ब्यावरा मार्ग की स्थिति अत्यन्त खराब है मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे हो जाने से ग्वालियर से गुना पहुंचने में अधिक समय लगने के साथ-साथ दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है एवं प्रतिदिन जाम लगने से आवागमन अवरूद्ध होता है ? यदि हां, तो समय-समय पर उक्त मार्ग की मरम्मत न कराने के लिए कौन दोषी है ? क्या शासन उक्त मार्ग को दुरूस्त कराएगा ? यदि हां, तो कब तक ? (ग) क्या यह सही है कि म.प्र. को राजस्थान से जोड़ने वाले मुरैना से करौली राज्य मार्ग वाया सबलगढ़, अटारघाट पर सबलगढ़ से अटाराघाट तक का मार्ग अत्यन्त खराब स्थिति में पहुंच गया है ? मार्ग पर बढ़े-बढ़े गड्ढे हो जाने से 14 कि.मी. की दूरी तय करने में एक घंटे से अधिक समय लगता है एवं दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है ? क्या शासन उक्त मार्ग के संधारण हेतु राशि स्वीकृत कर संधारण कार्य कराएगा यदि हां तो कब तक ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के अंतर्गत रा.रा. संभाग होशंगाबाद को नेशनल हाईवे अथौरिटी आफ इंडिया से राष्ट्रीय राजमार्ग 69 के किमी. 39/6, 39/8 तथा 44/10 स्थित पुलों के पुर्ननिर्माण हेतु स्वीकृत राशि में से किये गये व्यय की 50 प्रतिशत राशि संधारण मद में निम्नानुसार राशि प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हुई है:- वर्ष 2013-14 में रू. 4492759/-, वर्ष 2014-15 में रू. 13328419/- कुल योग रू. 17821178/- । जी नहीं कोई राशि अग्रिम के रूप में ठेकेदार को नहीं दी गई । अत: शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । (ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से संबंधित **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ग) जी हॉ । जी हॉ । उक्त मार्ग के संधारण हेतु वर्ष 2014-15 के लिये रू. 10.37 लाख की राशि स्वीकृत है, जिससे संधारण कार्य कराया गया है ।

<u>परिशिष्ट - "ग्यारह"</u>

<u>प्रदेश में BOT/एन्यूटी के तहत निर्माणाधीन सड़क</u>

35. **(क्र. 745) श्री रामनिवास रावत :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में बी.ओ.टी. एवं टोल एन्यूटी योजना के तहत कितनी-कितनी राशि के किन-किन सड़क मार्गों एवं पुलों के निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए ? इनमें से कितने निर्माण कार्य पूर्ण हैं ? कितने अपूर्ण हैं ? कितने अप्रारंभ हैं एवं क्यों ? कितने कार्य निर्माण के दौरान किस कारण से ढह गए अथवा क्षतिग्रस्त हो गए ? (ख) प्रश्नांश (क) की अवधि में निर्मित/निर्माणाधीन सड़कों/पुलों में से कितने विभागीय बजट एवं कितने बी.ओ.टी./टोल एन्यूटी के अन्तर्गत हैं, तथा क्या इन पर टोल टैक्स वसूलने का प्रावधान है ? यदि हां, तो कब से ? (ग) क्या

यह सही है कि अपूर्ण/निर्माणाधीन सड़कों से गुजरने वाले वाहनों से टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो किन-किन मार्गों पर कब से टोल टैक्स वसूली की जा रही है ? अपूर्ण निर्माणाधीन सड़कों/पुलों पर गुजरने वाले वाहनों से टोल टैक्स वसूला जा सकता है ? यदि हां, तो किन नियम एवं निर्देशों के तहत ? (घ) क्या यह सही है कि मुरैना जिले में सबलगढ़-करौली मार्ग का निर्माण मय अटार घाट चंबल नदी पर पुल निर्माण कार्य टोल एवं एन्यूटी योजनान्तर्गत स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तेा कितनी राशि का ? स्वीकृत आदेश की प्रति उपलब्ध करावें ? उक्तानुसार स्वीकृत मार्ग एवं पुल निर्माण का कार्य अभी तक प्रारंभ न होने के क्या कारण हैं ? कब तक निर्माण कार्य प्रारंभ कर किया जावेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) एवं (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है । (ग) जी नही । किसी मार्ग पर नही । जी हॉ 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर अनुबंधानुसार अंतरिम पूर्णत: पत्र जारी होने पर टोल टैक्स की वसूली की जा सकती है । (घ) जी हॉ । प्रशासकीय स्वीकृति रूपये 52.40 करोड की है । प्रशासकीय स्वीकृति आदेश **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'क' अनुसार** है । स्वीकृत मार्ग एवं पुल निर्माण का कार्य प्रारंभ न होने का कारण वन विभाग से अभी तक अनुमति का प्राप्त न होना है । वन विभाग की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात निर्माण कार्य की प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी ।

<u>उज्जैन संभाग में जिनिंग फैक्ट्री की भूमियॉ</u>

36. **(क्र. 781) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) परि.अता. प्रश्न संख्या 7 (क्रं. 48) दिनांक 11.12.14 के प्रश्नांश (ख) के उत्तर में बताया गया कि नियमानुसार जांच उपरान्त स्थिति स्पष्ट की जा सकेगी ? तो क्या जांच कर ली गई है ? यदि हां, तो जांच उपरांत स्थिति बताएं कि जावरा, पिपलौदा, ताल, आलोट, पिपल्यामंडी, उज्जैन व प्रदेश के अन्य किस-किस स्थान पर शासन ने जिनिंग फैक्ट्री हेतु जो भूमि आवंटित की थी, वह किस तिथि को किन शर्तों के अधीन की थी, तथा लीज समाप्त होने के बाद भूमि शासन में न जाकर भू-माफिया के कब्जे में कैसे चली गई व कहां-कहां आवासीय कालोनी में किस तिथि को तब्दील हुई ? यदि नहीं, तो उक्त जांच कब तक पूर्ण कर ली जावेगी व देरी होने के क्या कारण हैं ? (ख) क्या यह सही है कि कस्बा पिपलौदा, जिला रतलाम रियासत सन् 1929-30 के अनुसार सर्वे क्रं. 1820 व 1821 के पंचशाला खसरा के कॉलम नं. 7 में तफशिलहक नाम हकदार मय वलदियत खास सरकार उल्लेखित है व कॉलम नं. 12 में नारायण दास पिता लक्ष्मीनारायण दास महाजन जिनिंग फैक्ट्री उल्लेखित है, तो उक्त भूमि पक्का कृषक कैसे व कब दर्ज हुआ ? (ग) जावरा तथा उज्जैन की जिनिंग फैक्ट्रियों की भूमि पर अभी किसका कब्जा है व किस आधार पर आवंटन हुए हैं ? क्या वहां भू-माफिया द्वारा कालोनियों व आवास बना दिये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) जिला रतलाम में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जावरा से प्राप्त जानकारी अनुसार तहसील कस्बा पिपलौदा,जिला रतलाम में खसरा रियासत पिपलौदा रिकार्ड अनुसार सन 1929-30 में सर्वे क्रमांक 1820 रकबा 0.92 सर्वे क्रमांक 1821 रकबा 0.74 पर खसरा कॉलम नं.7 में खास सरकार शब्द अंकित है तथा खसरा के कॉलम नं.12 में नारायणदास पिता लक्ष्मीनारायणजी महाजन साकिन जावरा जिनिंग फैक्ट्री रिकार्ड दर्ज है । वर्ष 1957-58 की बंदोबस्त खसरा रिकार्ड अनुसार नवीन सर्वे नं.1491 रकबा 0.04 सर्वे नं.1492 रकबा 3.03 हेक्टेयर है उक्त सर्वे नं. की भूमि पर खसरा कॉलम नं.-6 में वासुदेव पिता नारायणजी महाजन साकिन मंदसौर पक्का कृषक दर्ज रिकार्ड है । वर्तमान पटवारी रिकार्ड अनुसार 1491 रकबा 0.016 हेक्टेयर सर्वे नं.-1492 का कुल रकबा 1.226 हेक्टेयर जुमला रकबा 1.242 हेक्टेयर है । वर्ष 1990 में रजिस्ट्री क्रमांक 1196 दिनांक 08.07.1990 में भूमि स्वामी गौतम कुमार पिता वेंकटेस प्रसादजी गनेडीवाल निवारार रेल्वे स्टेशन के पीछे मंदसौर जिला मंदसौर से क्रेता क्रमांक-1 संगीतादेवी पति प्रकाश चंद्र कोठारी जाति जैन क्रमांक-2 सुशीलादेवी पति शांतिलाल काछेड जाति जैन क्रमांक-3 चन्द्रप्रकाश पिता बाबूलाल ओसवाल जाति जैन व क्रमांक-4 कुमारी तमन्ना पिता इंदरमल टुकडिया नावा सरपरस्त पिता इंदरमल पिता कस्तूरचंन्द्र टुकडिया समरत निवासीयान जावरा द्वारा क्रय की होकर ना क्रमांक 26 आदेश दिनांक 16.08.1990 नामांतरण स्वीकृत होकर क्रेतागण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ । उसके बाद न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जावरा-आलोट,जावरा के प्रकरण क्रमांक 71 अ-02/1990-91 में पारित आदेश दिनांक 11.07.1991द्वारा सर्वे क्रमांक 1492 रकबा 1.226 हेक्टेयर भूमि कृषि भिन्न आशय आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित किया गया । उक्त क्रेतागण खातेदारों में से वर्ष 2004-05 में ना.प.क्र.84/26 08.04 में आदेश दिनांक 20.09.2004 द्वारा सहकृषक 1-सुशीलादेवी पति शांतिलाल काठेढ जाति जैन व 2-कुमारी तमन्ना पिता इंदरमल टुकडिया नावा सरपरस्त पिता इंदरमल पिता कस्तूरचंन्द्र टुकडिया का नाम खाते कम किया गया । इस प्रकार शेष खातेदार में 1-संगीतादेवी पति प्रकाशचंन्द्र कोठारी जाति जैन 2-चन्द्रप्रकाश पिता बाबूलाल ओसवाल जाति जैन निवासी जावरा का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा होकर आज दिनांक तक प्रभाव से है । उक्त भूमियों के नाम से वर्तमान में सर्वे क्रमांक 1491 रकबा 0.016 व सर्वे क्रमांक 1492 में से रकबा 1.068 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.084 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में क्रमांक-1 संगीतादेवी पति प्रकाश चन्द्र कोठारी क्रमांक-2 चन्द्रप्रकाश पिता बाबूलाल ओसवाल जाति जैन निवासी जावरा के नाम से दर्ज है तथा शेष भूमि पृथक-पृथक व्यक्तियों को विक्रय की जा चुकी है । जिनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं । तहसील जावरा में जिनिंग फैक्ट्री नहीं होने से जानकारी निरंक है । उज्जैन जिले में जिनिंग फैक्ट्रियों को प्रदाय की गई भूमि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है ।** उपरोक्त भूमि मे से कोई भी भूमि भूमाफिया के कब्जे में नहीं है तथा आवासीय कालोनियां निर्मित नहीं हैं । (ख) तहसील पिपलौदा से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 1957-58 के बंदोबस्त रिकार्ड में पक्का कृषक दर्ज है । (ग) उज्जैन जिले में विभिन्न जिनिंग फैक्ट्रीयों को भूमि का आवंटन लीज के आधार पर किया गया था जिसमें वर्तमान में कब्जा शासन का है तथा जिले में कोई भी भूमि भूमाफिया के

कब्जे में नहीं है न ही आवासीय कालोनी में तब्दील हुई हैं । तहसील जावरा में जिनिंग फैक्ट्री नही होने से जानकारी निरंक है ।

शाजापुर जिले में हाई स्कूल भवनों के निर्माण में अनियमितता

37. **(क्र. 800) श्री इन्दर सिंह परमार :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या हाई स्कूल भवन पलसावद, हाई स्कूल भवन अवन्तिपुर बडोदिया, हाई स्कूल भवन बावड़ी खेड़ा का निर्माण लोक निर्माण विभाग परियोजना इकाई देवास द्वारा किया गया है ? (ख) प्रश्न (क) में उल्लेखित हाई स्कूल भवनों के कार्यादेश किस-किस दिनांक को जारी किये थे ? कार्य पूर्ण करने की अवधि कब-कब थी, तथा कार्य पूर्ण कब किया गया ? (ग) प्रश्न (क) में उल्लेखित भवनों को शिक्षा विभाग को कब हस्तांतरित किये गये ? हस्तांतरित करते समय कोई कार्य शेष रह गया था ? यदि हां, तो क्या-क्या कार्य शेष रहा था ? यदि शेष रहा था, तो भवनों को हस्तांतरित कैसे कर दिया गया ? (घ) प्रश्न (क) में उल्लेखित भवनों के अंतिम देयक किस आधार पर बनाये गये ? क्या जवाबदार के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) जी नहीं, प्रश्न में वर्णित कार्य लो.नि.वि. पी.आई.यू. उज्जैन, देवास एवं शाजापुर द्वारा कराये गये है । (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है । (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है । (घ) कार्य पूर्ण होने की दशा में अंतिम देयक बनाये गये । अत: शेष प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता ।

परिशिष्ट - "बारह"

विकास खण्ड हनुमना अंतर्गत चौरा घाट का निर्माण

38. **(क्र. 815) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के विकास खण्ड हनुमना अन्तर्गत चौरा घाट निर्माण कार्य की स्वीकृति कब प्राप्त हुई है ? इसकी लागत क्या है ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में अति महत्व का कार्य होते हुए भी इसे अभी तक क्यों पूरा नहीं किया गया ? यह कार्य कब तक पूरा करा दिया जावेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) दिनांक 07.01.2011 को । रूपये 459.74 लाख । (ख) वन विभाग से सशर्त अनुमति प्राप्त होने से रूपये 366.64 लाख वनीकरण हेतु वन विभाग में जमा कराये तद्उपरांत ही कार्य किया जावे । यह राशि प्रशासकीय स्वीकृति में सम्मिलित नहीं है । निश्चित तिथि बताना संभव नहीं ।

लेबड़-नयागॉव फोरलेन में ठेकेदार द्वारा अनियमितता

39. **(क्र. 826) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लेबड़-नयागॉव फोरलेन पर जिन 78 में से 65 स्थानों पर विद्युत संयोजन नहीं हुआ है वहॉ कब-कब किस-किस दिनांक को कनेक्शन हेतु म.प्र.प.क्षे.वि.वि कम्पनी को आवेदन कंसनेश्नर (ठेकेदार) द्वारा दिया गया दिनांकवार आवेदन की जानकारी देवें ? (ख) क्या यह सही है सम्पूर्ण लेबड़ नयागॉव फोरलेन अनुबंध अनुसार गत 5 वर्षो में जिन 78 स्थानों पर विद्युत संयोजन किया जाना था वहॉ सिर्फ 10 स्थानों के विद्युत कनेक्शन हेतु कंसनेश्नर (ठेकेदार) ने आवेदन दिया है ? (ग) क्या कंसनेश्नर द्वारा उक्त फोरलेन का सेफ्टी ऑडिट करा लिया गया है ? यदि हां, तो ऑडिट किस कम्पनी, व्यक्ति, अधिकारी के द्वारा किया गया ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) लेबड-जावरा मार्ग पर 73 स्थानों पर विधुत संयोजन किया जाना था जिसमे से 16 स्थानों पर विधुत संयोजन कार्य पूर्ण हो गया है । 73 मे से शेष 57 स्थानों पर विधुत संयोजन कार्य हेतु म.प्र.प.क्षे.वि.वि. कंपनी को आवेदन के संबंध मे निवेशकर्ता कंपनी द्वारा जानकारी उपलब्ध नही कराई गई है । जावरा नयागांव पर अनुबंधानुसार समस्त 14 स्थानों पर विद्युत संयोजन कार्य निवेश्कर्ता कंपनी द्वारा पूर्ण किया गया है । (ख) लेबड-जावरा फोरलेन पर निवेशकर्ता कंपनी द्वारा 73 स्थानो मे से सिर्फ 16 स्थानों पर विद्युत संयोजन कार्य पूर्ण किया गया है । जावरा-नयागांव पर अनुबंधानुसार समस्त 14 स्थानों पर विधुत संयोजन कार्य निवेश्कर्ता कंपनी द्वारा पूर्ण कर लिया गया है । (ग) जी हॉ । निवेशकर्ता कंपनी द्वारा लेबड़-जावरा फोरलेन की मेसर्स इन सीटू इन्वायरों केयर, भोपाल माह जून 2011 तथा जावरा नयागांव फोरलेन सडक की मेसर्स आईकोन इंजीनियरिंग प्रायवेट लिमिटेड, भोपाल द्वारा माह अप्रैल-2011 एवं 2012 मे विशेषज्ञो से सेफटी आडिट कराया गया ।

उज्जैन सम्भाग में कालोनाईजर के खिलाफ शिकायतें

40. **(क्र. 827) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में कितने कॉलोनाईजर के खिलाफ 1 जनवरी 2010 के पश्चात् किस-किस तरह की कितनी शिकायत कब-कब से लम्बित है ? कॉलोनाईजर का नाम, शिकायतकर्ता का नाम जांच अधिकारी के नाम सहित जानकारी दें ? (ख) क्या यह सही है कि 2014 बजट सत्र के दौरान विधानसभा में संशोधित विधेयक अधिसूचना के चलते अब कमजोर वर्ग के लिये अब भूखण्ड के बदले कॉलोनाईजर आश्रय निधि के रूप में राशि के बजाय कॉलोनी में 15 फीसदी आवास अति कमजोर और 10 प्रतिशत निम्न आय के लिए आरक्षित रहेगी ? (ग) प्रश्न (ख) का उत्तर यदि हां तो 1 मई 2014 के पश्चात् उज्जैन संभाग में कितनी-कितनी नवीन कॉलोनियों को संशोधित नियमों के तहत स्वीकृति दी गई तथा क्या नवीन कॉलोनाईजर इस नियम का पालन कर रहे है ?

(घ) प्रश्नांश (ग) का उत्तर यदि हां है तो उज्जैन संभाग में कहां-कहां किस कॉलोनाइजर ने किस-किस कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को आश्रय/प्लाट प्रदान किये इसकी कब-कब, किस-किस सक्षम अधिकारी ने जांच की तथा इस संबंध में कितनी शिकायतें विभाग के पास लम्बित है ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही हैं ।

पीलीया खाल नदी का पर्यावरण सुधार

41. **(क्र. 850) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा शहर के मध्य से होकर बहने वाली पीलीया खाल (बांडा खाल) नदी अब विगत कई वर्षों से एक बडे प्रदूषित गंदे नाले का रूप ले चुकी है ? (ख) यदि हां, तो क्या उक्त बहने वाले गंदे नाले के आसपास घनी आबादी का रहवासी क्षेत्र भी आता है, जो पीने के पानी की व्यवस्था ट्यूबवेल एवं कुंए, बावडियों के माध्यम से करता है ? (ग) यदि हां, तो क्या इससे ट्यूबवेल, कुऐं एवं बावड़ियों का जल प्रदूषित नहीं हो रहा है ? क्या इससे गंभीर बीमारियां फैलने का अंदेशा नहीं बना रहता है ? (घ) यदि हां, तो इस गंदे नाले को प्रदूषण मुक्त करने हेतु पर्यावरण एवं सौंदर्यीकरण हेतु कोई कार्ययोजना बनाई गई है ? यदि हां, तो कार्ययोजना की प्रगति से अवगत करावें ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) एवं (ख) जी हॉ । (ग) जल प्रदूषित होने की शिकायत प्राप्त नहीं है । (घ) कार्य योजना तैयार करने हेतु कन्सलटेन्ट को कार्यादेश क्रमांक 5261 दिनांक 07.10.2014 जारी किया गया है ।

बंद पड़ी शुगर मिल का उपयोग

42. **(क्र. 851) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या जावरा शुगर मिल विगत कई वर्षों से बंद पड़ी होकर वीरान अवस्था में हैं ? (ख) यदि हां, तो क्या इससे संलग्न सैंकड़ों एकड़ भूमि भी लावारिस होकर उन पर अतिक्रमण एवं अनाधिकृत कब्जे किए जा रहे हैं ? (ग) यदि हॉ, तो क्या वीरान पड़ी बंद शुगर मिल में लगातार होने वाली बेशकीमती मशीनों, कलपुर्जों, सामग्रियों की अज्ञात चोरियों एवं संलग्न भूमियों पर हो रहे अतिक्रमण अनाधिकृत कब्जों के कारण शासन को भारी हानि नहीं उठाना पड़ रही है ? (घ) यदि हां, तो इस हेतु शासन/उद्योग विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) जी हां । (ख) जी नहीं । (ग) एवं (घ) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नही होता है ।

शिक्षित बेरोजगारों का पंजीयन

43. **(क्र. 927) श्री संजय पाठक :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि रोजगार कार्यालय में शिक्षित बेरोजगार आवेदकों द्वारा रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराया जाता है ? (ख) यदि हां, तो क्या शासकीय अशासकीय उपक्रमों द्वारा इन शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया जाता है ? यदि हां, तो कटनी जिले के ऐसे कितने अशासकीय एवं अर्द्धशासकीय उपक्रम है, जिनके द्वारा विगत तीन वर्ष में रोजगार प्रदान किया गया, तथा कितने प्रतिशत रोजगार का विवरण श्रेणीवार, तथा उपक्रमवार, तथा विधानसभा क्षेत्रवार देवें ? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार रोजगार देने में क्या अशासकीय उपक्रम (फैक्ट्री) द्वारा शासन के स्थानीय लोगों को पचास प्रतिशत रोजगार देने की घोषणा अनुसार शर्त पूरी की है ? यदि हां, तो किस-किस फैक्टरी द्वारा ? यदि नहीं, तो शासन द्वारा घोषित नीति का पालन कब तक किया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) जी हॉ । (ख) जी हॉ । कटनी जिले में स्थापित अशासकीय एवं अर्द्धशासकीय उपक्रमों द्वारा विगत तीन वर्षो में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कोई भर्ती नहीं की गई है । अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) जी हॉ । **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है ।

परिशिष्ट - "तेरह"

पाटन विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत निर्माणधीन मार्ग

44. **(क्र. 936) श्री नीलेश अवस्थी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले की पाटन विधान सभा अन्तर्गत वित्त वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक तक लोक निर्माण एवं एम.पी.आर.डी.सी. के अधीन किन-किन मार्ग के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई ? निर्माण एजेंसी के नाम, स्वीकृत राशि सहित सूची देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मार्गों को अनुबंध की शर्तों के अनुरूप कब तक निर्मित होना था ? इनमें से कितने मार्गों का निर्माण कितनी लागत से पूर्ण हो चुका है एवं कौन-कौन से मार्ग अपूर्ण है ? सूची देवें इन अपूर्ण निर्माणाधीन मार्गों पर प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि से कौन-कौन से कार्य कराये गये तथा मार्ग निर्माण में विलंब के क्या कारण है ? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित मार्गों के निर्माण हेतु निर्माण सामग्री उत्खन्न की अनुमति किन-किन स्थलों से किन शर्तों के अधीन प्रदान की गई ? उत्खनन हेतु मंजूरी आदेश एवं निर्माण सामग्री की गुणवत्ता रिपोर्ट की छायाप्रति देवें ? मार्ग निर्माण की अपूर्णता एवं हो रहे विलम्ब हेतु निर्माण एजेंसियों पर क्या कार्यवाही की गई ? (घ) पाटन विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत हिरन नदी पर मुरैठ पुल निर्माण हेतु पिछले सत्रों में दिये आश्वासन में की गई कार्यवाही की जानकारी देवें एवं यह भी बतलावे की उक्त पुल का निर्माण कब से प्रारंभ कर दिया जावेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) एवं (ख) विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' , 'अ-1' अनुसार** है । (ग) उन्नयन की अनुमति का संबंध खनिज विभाग से है । निर्माण सामग्री गुणवत्ता टेस्ट रिपोर्ट **पुस्तकालय में रखे एनेक्सर-1 अनुसार** है । एक कार्य धारा 39 में समाप्त किये जाने के कारण अपूर्ण है । ठेकेदार के रिस्क एवं कास्ट पर निविदा स्वीकृत । एक कार्य हेतु शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है । (घ) प्राथमिक जानकारी अनुसार कार्य की लागत 650.00 लाख आंकी गई है । वर्तमान में न तो बजट में सम्मिलित है और न ही स्वीकृत है । अत: निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है ।

एम.पी.आर.डी.सी. के अधीन नेशनल हाइवे का निर्माण

45. **(क्र. 937) श्री नीलेश अवस्थी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कौन-कौन से नेशनल हाईवे के निर्माण का ठेका एम.पी.आर.डी.सी. के अधीन है एवं कौन-कौन से मार्गों का निर्माण प्रस्तावित है ? बतलावें ? मार्ग का नाम, कुल लागत, निर्माणकर्ता कम्पनी के नाम, अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य पूर्ण होने के दिनांक सहित सूची देवें ? (ख) प्रश्नांक (क) के उत्तर में उल्लेखित निर्माण कार्यों में से कितने पूर्ण एवं कितने अपूर्ण तथा कितने प्रस्तावित हैं ? इन अपूर्ण निर्माण कार्यों में अभी तक कितनी-कितनी राशि का भुगतान किस-किस कार्य हेतु प्रश्न दिनांक तक किया गया है ? मार्गवार सूची देवें ? (ग) प्रश्नांक (क) में वर्णित मार्गों में एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा सड़क निर्माण हेतु जारी रूपये के अनुपात में काम न हो पाने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि कुछ मार्गों का निर्माण, ठेकेदारों की प्रारंभिक भुगतान कर देने के बावजूद अभी तक प्रारंभ नहीं होने के क्या कारण हैं ? क्या शासन इसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 12 नेशनल हाईवे निर्माण हेतु म.प्र. शासन को सौपे गए है, जिनके निर्माण हेतु एम.पी.आर.डी.सी. को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है । उनकी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) प्रश्नांक-क मे वर्णित निर्माण कार्यो मे पूर्ण/अपूर्ण/प्रस्तावित मार्गो की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के अनुसार है । एम.पी.आर.डी.सी के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यो जो डी.बी.एफ.ओ.टी. पद्धति पर क्रियान्वित हो रहे है, उनमें म.प्र. शासन की ओर से मार्ग निर्माण हेतु किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाता है । ई.पी.सी. पद्धति पर निर्माणाधीन कार्यो पर आज दिनांक तक कोई भी भुगतान नहीं किया गया है । (ग) प्रश्नांश-क में वर्णित सडक निर्माण हेतु एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा कोई राशि जारी नहीं की गई है । अतएव अनुपातिक कार्य का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । यह सही नहीं है कि कुछ मार्गो के निर्माण हेतु ठेकेदार को प्रारंभिक भुगतान किया गया

है । तदापि एम.पी.आर.डी.सी. के स्वीकृत समस्त कार्य प्रारंभ होकर प्रगतिरत है । अतएव जांच एवं दोषियो पर कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - "चौदह"

खण्डवा के मास्टर प्लान 2031 को पुन: तैयार किया जाना

46. **(क्र. 976) श्री देवेन्द्र वर्मा :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खण्डवा नगर में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग नगरीय निकाय के अधिकारियों, प्रबुद्धजनों एवं जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा कर बनाए गए मास्टर प्लान 2031 में सैकड़ों आपत्तियॉ दर्ज हुई है यदि हां, तो कितनी आपत्तियां दर्ज की गई है ? (ख) विभाग द्वारा उक्त आपत्तियों के निराकरण में क्या कार्यवाही है तथा उनके निराकरण में आपत्तिकर्ताओं को/जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को शामिल करने का प्रावधान है ? यदि हां, तो इनका पालन क्यों नही किया गया ? (ग) क्या अत्यधिक आपत्तियों के कारण कलेक्टर खण्डवा द्वारा किसी स्वतंत्र जिला स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त कमेटी ने प्रारूप को निरस्त करने एवं नये प्लान को तैयार करने की अनुशंसा की है ? (घ) यदि हां, तो जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा की अनदेखी कर एवं जनता के व्यापक विरोध के बावजूद इसे लागू किया जायेगा ? यदि नहीं तो जनहित में मास्टर प्लान 2031 को पुन: तैयार करने के आदेश प्रसारित किए जाऐंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) अधिसूचित निवेश क्षेत्र की विकास योजना म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत वर्णित प्रक्रिया के अनुसार तैयार की जाती है । अधिनियम में प्रारूप विकास योजना प्रकाशन के पूर्व संस्था, जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है । प्रारूप प्रकाशन के उपरांत खण्डवा विकास योजना 2031 के संबध में कुल 506 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुये है । (ख) प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों की सुनवाई म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा-17 क (1) के अन्तर्गत गठित जनप्रतिनिधियों की समिति द्वारा किये जाने प्रावधान है । खण्डवा विकास योजना पर प्राप्त आपत्ति/सुझावों की सनुवाई उक्त समिति द्वारा की गई है । अतः पालन न किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) जी नहीं । कलेक्टर खण्डवा द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक-116 दिनांक 02/03/2013 के द्वारा खण्डवा विकास योजना पर प्राप्त आपत्ति सुझावों के संबध में कुछ सुझाव देते हुए विकास योजना प्रारूप को निरस्त करने तथा पुनः प्रारूप विकास योजना तैयार करने का प्रस्ताव दिया था । शेषाशं का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) खण्डवा विकास योजना 2031 की समस्त कार्यवाही मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधान अंतर्गत की गई है तथा शेष कार्यवाही भी अधिनियम के प्रावधान अनुसार ही की जायेगी ।

फोरलेन निर्माण में विलम्ब

47. **(क्र. 977) श्री देवेन्द्र वर्मा :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खंडवा विधानसभा क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र में कितने फोरलेन कहां से कहां तक एवं किस दिनांक से स्वीकृत है क्रमश: जानकारी दें ? (ख) क्या इन स्वीकृत कर्यो को ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कर लिया गया है ? ऐसे कितने निर्माणाधीन मार्ग है जिनके निर्माण की समयसीमा समाप्त हो चुकी है ? (ग) समयसीमा समाप्त होने के पश्चात ऐसे कौन-कौन से मार्ग निर्माण लंबित है तथा उनकी समय सीमा कितनी बार कब तक बढ़ाई गई है ? (घ) स्वीकृत फोरलेन कार्य कब तक पूर्ण करा लिए जाएगें ? निर्माण एजेंसियों के विरूद्ध समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं करने पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? विगत दो वर्षो में उनसे कितनी राशि पेनाल्टी के रूप में वसूल की गई ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) एवं (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार** है । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है ।

परफारमेंस गारंटी की राशि

48. **(क्र. 1009) इन्जी. प्रदीप लारिया :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सड़क निर्माण कार्यों की परफारमेंस गारंटी की राशि सड़क की गारंटी अवधि संतोषप्रद स्थिति में सड़क होने पर ही ठेकेदार को अवधि उपरांत वापिस की जाती है ? (ख) यदि हॉ, तो सागर जिले में विगत तीन वर्षों से प्रश्न दिनांक तक किन-किन ठेकेदारों/फर्मों को उक्त राशि कब-कब वापिस की गई है ? (ग) क्या लोक निर्माण विभाग सागर द्वारा सड़क मार्गों की परफारमेंस गारंटी अवधि पूर्ण होने के पहले ही यह राशि ठेकेदारों/फर्मों को वापिस कर दी गई है ? (घ) यदि हां, तो इसके लिये जिम्मेदार शासकीय सेवकों की जानकारी पदनाम सहित बतावें, तथा शासन द्वारा उक्त शासकीय सेवकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) जी हॉ । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं अ-1 अनुसार** है । (ग) जी हॉ, एक मार्ग में आंशिक राशि वापिस की गई । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है । (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है ।

नांरगी भूमि माना जाना

49. **(क्र. 1031) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वन विभाग किन जमीनों की नांरगी भूमि मानता है, वन मुख्यालय वर्तमान में कस वनमंडल

में कितनी नांरगी भूमि होना प्रतिवेदित करा रहा है ? (ख) नारंगी भूमि के संबंध में किस कानून,किस,नियम किस मैनुअल, किस न्यायालीन आदेश में क्या-क्या प्रावधान दिए गए हैं राज्य शासन ने किस दिनांक को जारी आदेश में किन जमीनों को नारंगी भूमि के प्रारंभिक सर्वे में शामिल किए जाने के निर्देश दिए ? (ग) जबलपुर वनवृत एवं बैतूल वनवृत में वन विभाग के पास ऐसे कितने मानचित्र वर्तमान में उपलब्ध है जिनमें नारंगी भूमि को नारंगी रंग से दर्शाया गया हैं यदि मानचित्र उपलब्ध न हो तो किस आधार पर जबलपुर एवं बैतूल वनवृत में गठित नारंगी क्षेत्र इकाईयों ने कितनी जमीनों को नारंगी भूमि के प्रारंभिक सर्वे में शामिल किया ? (घ) नारंगी भूमि को नारंगी रंग से दर्शाये जाने वाले मानचित्र वन विभाग के किस-किस कार्यालय में वर्तमान में उपलब्ध हैं यदि मानचित्र वन विभाग के पास उपलब्ध न हों तो उसका कारण बतावें ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार): (क) भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 में अधिसूचित एवं सीमांकित संरक्षित वन खण्डों के बाहर छोड़ी गई असीमांकित संरक्षित वनभूमि को नारंगी भूमि माना जाता है । **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है । (ख) नारंगी भूमि के असीमांकित संरक्षित वन भूमि होने के कारण संरक्षित वनभूमि पर लागू होने वाले भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं इसके अंतर्गत बनाये गये समस्त नियम, अन्य समस्त अधिनियम, नियम, मेन्युअल प्रभावशील हैं । मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के परिपत्र क्रमांक/ एफ 5/43/90/10-3/96 दिनांक 14 मई 1996 की कंडिका-3 में वन प्रबंधन हेतु उपयुक्त अच्छी श्रेणी के वन आच्छादित राजस्व भूमि के खसरों को प्रारंभिक सर्वे में शामिल किये जाने का लेख है । (ग) एवं (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है । शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - "पंद्रह"

नारंगी क्षेत्र की इकाई

50. **(क्र. 1032) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल वनवृत एवं जबलपुर वनवृत के अन्तर्गत किस नारंगी क्षेत्र इकाई के द्वारा किस अवधि में कौन-कौन सी कार्यवाहियॉ की गई, किस इकाई के द्वारा कौन-कौन सी कार्यवाहियां प्रश्नांकित तिथि तक भी किन-किन कारणों से पूरी नही की जा सकी हैं ? (ख) किस नारंगी क्षेत्र इकाई के द्वारा राजस्व ग्रामों के राजस्व अभिलेखों में दर्ज कितनी बड़े झाड़ के जंगल, कितनी छोटे झाड़ के जंगल, कितनी पहाड़ चट्टान एवं कितनी घास, चरनोई आदि मदों की जमीनों को नारंगी भूमि के प्रारंभिक सर्वे में शामिल किया इनमें से कितनी भूमियों को कितने वनखण्डों में सम्मिलित कर लिया गया ? (ग) सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में 12 दिसम्बर 1996 को परिभाषित वन भूमि एवं आई.ए. क्रमांक 791 एवं 792 में दिनांक 1 अगस्त 2003 को आदेशित बड़े झाड़ के जंगल एवं छोटे झाड़ के जंगल मद की जमीनों को नारंगी भूमि के प्रारंम्भिक सर्वे में शामिल किए जाने का क्या-क्या

कारण रहा हैं ? (घ) नारंगी भूमि सर्वे में शामिल बड़े झाड़ के जंगल, छोटे झाड़ के जंगल मद की कितनी जमीनों को नारंगी भूमि के आंकड़ों से प्रश्नांकित तिथि तक पृथक कर दिया गया हैं शेष भूमि को कब तक नारंगी भूमि के आंकड़ों से पृथक कर दिया जावेगा समय सीमा सहित बतावें ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार): (क) बैतूल एवं जबलपुर वन वृत्तों के अंतर्गत नारंगी क्षेत्र सर्वेक्षण सीमांकन इकाई बैतूल, जबलपुर एवं मंडला द्वारा वर्ष 1996 से वर्तमान तक की अवधि में मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र दिनांक 14.05.1996 के निर्देशानुसार वन प्रबंधन हेतु उपयुक्त क्षेत्रों (नारंगी क्षेत्र एवं राजस्व क्षेत्र) का चिन्हांकन एवं सर्वेक्षण उपरान्त तैयार किये गये अभिलेखों के आधार पर वनखण्डों के गठन हेतु भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के अंतर्गत कुछ अधिसूचनाओं का प्रकाशन किया गया । शेष वनखण्डों के गठन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने का मुख्य कारण अमले का अभाव रहा है । (ख) जबलपुर एवं मण्डला नारंगी इकाईयों की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है । बैतूल नारंगी इकाई की जानकारी संकलित की जा रही है । (ग) मध्यपदेश शासन के परिपत्र दिनांक 14.05.1996 की कंडिका -3 में निर्धारित मापदण्ड को पूरा करने वाली शासकीय भूमियों को प्रारम्भिक सर्वे में शामिल किया गया है । प्रश्नांकित याचिकाओं के आधार पर किसी भूमि को प्रारंभिक सर्वे में शामिल नहीं किया गया है । (घ) बैतूल जिले में आवश्यक होने के कारण नारंगी इकाई द्वारा प्रारंभिक सर्वेक्षण में नारंगी भूमि के आंकड़ों में सुधार करते हुए 83,884.214 हेक्टेयर भूमि को नारंगी भूमि के ऑकड़ों से पृथक किया गया है । शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>लघु वनोपज के संबंध में प्रावधान</u>

51. **(क्र. 1056) श्रीमती रेखा यादव :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 में किस-किस लघु वनोपज को परिभाषित किया हैं उसमें से किस-किस लघु वनोपज के वर्तमान में वन विभाग किस-किस कानून, नियम के तहत वन अपराध पंजीबद्ध कर रहे है ? (ख) जनवरी 2008 से प्रश्नांकित तिथि तक किस वर्ष में जबलपुर एवं बैतूल वनवृत में बांस और बांस से निर्मित वस्तुओं के कितने वन अपराध पंजीबद्ध कर कितना जुर्माना वसूला गया कितनों को गिरफ्तार किया गया, पी.ओ.आर. की प्रति सहित बतावें ? (ग) वन अधिकार कानून में परिभाषित लघु वनोपज बांस के जनवरी 2008 के बाद वन अपराध पंजीबद्ध किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है ? बांस को लघु वनोपज माने जाने का प्रश्नांकित तिथि तक भी आदेश जारी न किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है ? (घ) जनवरी 2008 के बाद लघु वनोपज के पंजीबद्ध वन अपराध प्रकरणों को समाप्त किए जाने हेतु शासन क्या कार्यवाही कर रहा है कब तक इस बावत् आदेश जारी कर दिए जावेंगे समय सीमा सहित बतावें ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार): (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है । वन विभाग द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927, मध्यप्रदेश वनोपज (व्यापार एवं विकास) अधिनियम, 1969, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 एवं जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत वनोपज संबंधी वन अपराध पंजीबद्ध किये जाते हैं । (ख) प्रश्नांकित अवधि में जबलपुर एवं बैतूल वन वृत्त में बांस से निर्मित वस्तुओं के 72 वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किये जाकर 54 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । इन प्रकरणों में कुल राशि रू. 42,924 मुआवजा एवं महसूल वसूल की गई । पंजीबद्ध 72 वन अपराध प्रकरणों में से उपलब्ध 61 प्राथमिक अपराध रिपोर्ट (पी.ओ.आर.) की प्रतियां **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है । (ग) प्रश्नांश "क" में उल्लेखित वन अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर वन अपराध प्रकरण दर्ज किये गये । अधिनियम/नियम में प्रावधानित बांस के संबंध में पृथक से वर्गीकरण करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) प्रकरणों पर परीक्षणोपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी । समय सीमा बताया जाना संभव नहीं ।

रीवा जिले में विभाग द्वारा किये गये कार्य

52. **(क्र. 1066) श्रीमती शीला त्यागी :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के रीवा नगर निगम व नगर परिषद मनगंवा, नईगढ़ी एवं सिरमौर में 2012 से 2014 तक कितने निर्माण कार्य करायें गये हैं, सड़क भवन व अन्य कार्यों की सूची उपलब्ध करायें ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में किये गये कार्यों के लिए व्यय राशि एवं तकनीकी एस्टीमेट की प्रतियां उपलब्ध करायें ? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त नगर परिषदों से किन-किन स्त्रोतों से कितनी राजस्व वसूल की गई है ? सूची उपलब्ध कराऐं ? (घ) प्रश्नांश (क) (ग) के संदर्भ में कितनी दुकानें व कितने मकानों के निर्माण करके उनका आवंटन किये गये हैं क्या आवंटन में अनु. जाति / जनजाति वर्गों के आरक्षण का पालन किया गया है ? आरक्षित वर्गों के हितग्राहियों की सूची नगर निगम रीवा व परिषदवार सूची उपलब्ध कराऐं ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) से (घ) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अ, ब, स एवं द अनुसार** है ।

भुगतान में अनियमितता

53. **(क्र. 1069) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग भवन / पथ ओर पी आई यू के अंतर्गत वर्ष 2012 से प्रश्नांश दिनांक तक किस-किस निर्माण कार्य के किस आदेश से भुगतान किया गया ? भुगतान करने से पूर्व किस स्तर के अधिकारी ने निरीक्षण किया ? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत

शिकायत और जांच के उपरांत भुगतान करने के क्या कारण है ? (ग) क्या यह सही है कि वर्ष 2014 से प्रश्नांश दिनांक तक निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की गम्भीर शिकायतों के बावजूद भुगतान किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? मा. मंत्री जी द्वारा स्वयं गुणवत्ता का निरीक्षण किया गया ? उन कार्यों का भुगतान हुआ क्यों ? जानकारी दें ? (घ) क्या यह सही है कि भिण्ड जिले के अंतर्गत शतप्रतिशत निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन है गुणवत्ता सुधार के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? गुणवत्ता नियंत्रण करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) लोक निर्माण विभाग भवन/पथ एवं परियोजना क्रियान्वयन ईकाई भिण्ड से संबंधित संपूर्ण **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है । (ख) लोक निर्माण विभाग भवन/पथ के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" में दिये गये कार्यो की सूची में से तीन मार्गो में शिकायत एवं किया गया भुगतान व भुगतान का कारण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है एवं परियोजना क्रियान्वयन ईकाई भिण्ड में प्रगतिरत कार्यो के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) जी नहीं । माननीय मंत्रीजी द्वारा निरीक्षण किये गये कार्यो पर जांच एवं भुगतान की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** एवं परियोजना क्रियान्वयन ईकाई भिण्ड के अंतर्गत प्रश्न अवधि में किसी भी कार्य की गुणवत्ता के संबंध में गंभीर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते । (घ) जी नहीं । भिण्ड जिले के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग संभाग भिण्ड में शत प्रतिशत कार्य निर्धारित मापदण्ड के अनुसार हो रहे है, एवं गुणवत्ता सुधार के लिये कार्यो में उपयोग हो रही सामग्री की जांच लोक निर्माण विभाग संभाग भिण्ड की प्रयोगशाला, कार्यस्थल के समीप ठेकेदार द्वारा स्थापित प्रयोगशाला, परिक्षेत्रीय प्रयोगशाला लोक निर्माण विभाग ग्वालियर, एवं एन.ए.बी.एल. द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला में परीक्षण किया जा रहा है एवं परिणाम मापदण्डानुसार आने पर ही कार्य संपन्न कराया जा रहा है । परियोजना क्रियान्वयन ईकाई भिण्ड द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यो की सामग्री की जांच/परीक्षण कंसलटेंसी एवं शासकीय प्रयोगशाला में कराई गई है । गुणवत्ता नियंत्रण, विभागीय अधिकारियों के पर्यवेक्षण एवं नियमानुसार सामग्री गुणवत्ता परीक्षण द्वारा किया जाता है ।

<u>मार्ग निर्माण में अनियमितता</u>

54. **(क्र. 1070) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यपालन यंत्री भिण्ड के पत्र क्रमांक 4054/तक/पथ/प्रस्ताव/07 दिनांक 19.09.2007 द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन पर अधीक्षण यंत्री द्वारा 05.12.07 को क्या आपत्ति ली गई ? प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति सितम्बर 2010 तक लंबित क्यों रही ? छाया प्रति सहित जानकारी दें ? (ख) हवलदार सिंह के पुरा से राजसिंह का पुरा तक अस्वीकृत मार्ग का व्यय रू 6134878.00

व्हा.क्रं.105/30.8.08 एवं 66/30.3.09 मुख्य लेखाशीर्ष 24/5054-04-800-0101- 6590-64-002 नाबार्ड से व्यय किया गया है ? छाया प्रति सहित जानकारी दें ? (ग) मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग के पत्र क्रं. एफ 17/7/09/स्था/119 दि. 09.07.12 विभागीय जांच की जा रही है यदि हां, तो प्रश्नांश दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई छाया प्रति सहित जानकारी दें ? (घ) भिण्ड जिले के अर्न्तगत किन-कन मार्ग निर्माण मे अनियमितता होने के पश्चात भुगतान किया जा रहा है ? किस-किस निर्माण की जांच लंबित होने के पश्चात भुगतान प्रश्नांश तक किया गया ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) जी हॉ । पत्र में दर्शाए मार्गोकी तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राक्कलन की आपत्ति का निराकरण कर पुन: प्रस्तुत नहीं होने के कारण लंबित रहीं । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) मुख्य लेखा शीर्ष 24-5054-04-800-0101-6590-64-02 नाबार्ड से (1) व्हा.क्रं. 105/30.08.08 द्वारा राशि रू. 43.00 लाख व (2) व्हा.क्रं. 66/30.03.09 से राशि रू. 36.80 लाख इस प्रकार कुल राशि रू. 79.80 लाख का भुगतान किया गया । इसमें से हवल सिंहपुरा से राजसिंहपुरा पर राशि रू. 61.35 लाख का भुगतान जामना-बिलाव मार्ग के अनुबंध क्रं. 95/2006-07 के तहत हुआ है । (ग) विभागीय जांच अंतिम सुनवाई दिनांक 07.03.2014 को पूर्ण हो गई थी । निर्णय अपेक्षित है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (घ) लोक निर्माण विभाग संभाग भिण्ड के अंतर्गत निर्माणाधीन ऐसा कोई मार्ग नहीं है, जिसमें अनियमितता पाए जाने के पश्चात् भुगतान किया जा रहा है । शिकायत जांच एवं भुगतान संबंधी जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है ।

सतनबाड़ा से नरवर सड़क का निर्माण

55. **(क्र. 1097) श्री प्रहलाद भारती :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतनबाड़ा-नरवर सड़क निर्माण किस योजनान्तर्गत स्वीकृत हुआ है ? इस हेतु कितना आवंटन प्रदाय किया गया है ? एवं वर्तमान में सड़क निर्माण की अद्यतन स्थिति क्या है ? एवं कितनी राशि प्रश्न दिनांक तक व्यय की जा चुकी है एवं कितना कार्य शेष है ? (ख) सतनबाड़ा-नरवर सड़क निर्माण हेतु टेंडर कब स्वीकृत हुए एवं किस फर्म का टेंडर पास हुआ ? ठेकेदार का नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें उक्त सड़क का निर्माण कब तक पूर्ण होना था ? समय सीमा में कार्य पूर्ण न होने के क्या कारण है व इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार है व उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा की जावेगी ? (ग) सतनबाड़ा-नरवर सड़क कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा वर्तमान में उक्त सड़क के निर्माण हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? समय-सीमा बतावें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) बी.ओ.टी. (एन्युटी) योजनांतर्गत । बी.ओ.टी. (एन्युटी) योजना का कार्य होने से आवंटन प्रदाय नहीं किया गया है । अद्यतन स्थिति एवं शेष कार्य की

जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । बी.ओ.टी. (एन्युटी) का कार्य होने से किये गये कार्य का कोई भुगतान नहीं किया गया है । (ख) दिनांक 16.12.2011 को । मेसर्स कॉनकास्ट इन्फ्राटेक लिमिटेड एवं मेसर्स रोमन टारमेट नई दिल्ली को स्वीकृत किया गया । अनुबंधानुसार दिनांक 28.12.2014 तक । निवेशकर्ता द्वारा कार्य में विलंब करने के कारण । संबंधित निवेशकर्ता । अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी । (ग) कार्य पूर्ण करने का पुनरीक्षित लक्ष्य दिसम्बर-2015 रखा गया है । संबंधित निवेशकर्ता को कार्य शीघ्र प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया गया है ।

परिशिष्ट - "सोलह"

शिवपुरी जिले में यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी योजना आवंटित राशि

56. **(क्र. 1098) श्री प्रहलाद भारती :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले में भारत सरकार से यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी योजना के तहत कुल कितनी धनराशि आवंटित हुई है नगर पालिका/परिषद वार विस्तृत जानकरी उपलब्ध करावें ? तत्संबंधी पत्रों की छायाप्रतियां भी उपलब्ध करावें ? (ख) प्रश्नांश (क) कें संदर्भ में स्वीकृत विकास कार्यो में से कौन-कौन से विकास कार्य कहॉ-कहॉ स्वीकृत किये गये ? स्वीकृत कार्यो की कार्यवार, स्थानवार विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें ? (ग) यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो के निर्माण हेतु कब-कब, किस-किस समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित की गई व इस हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई व किस-किस फर्म को कार्य आदेश जारी किये गये ? (घ)प्रश्नांश (ग) अनुसार किस-किस फर्म को किस-किस कार्य हेतु कब-कब कितना-कितना भुगतान किस आधार पर किया गया ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) से (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट अ, ब, स एवं द अनुसार है ।

सीएम. युवा इंजीनयर कांट्रक्टर योजना का क्रियान्वयन

57. **(क्र. 1120) श्री आरिफ अकील :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवा पंचायत आयोजित कर वर्ष 2013 में सीएम. युवा इंजीनियर कांट्रेक्टर योजना की घोषणा की थी ? (ख) यदि हां, तो उक्त घोषणा दिनांक से प्रश्न दिनांक तक युवा इंजीनियरों को विभाग द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कब-कब, कहां-कहां, कितनी-कितनी राशि व्यय कर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए और कितने युवा इंजीनियरों के पंजीयन किए गए बतावें ? (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषण के बाद प्रश्न दिनांक तक कितने व किन-किन युवा इंजीनियरों को कितनी-कितनी राशि का किस प्रकार/विधा के अनुसार ऋण प्रदान किया गया ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) जी हां । (ख) प्रशिक्षणार्थियों को दिनांक 12/02/2014 से 06/06/2014 तक की अवधि में 2 पृथक-पृथक बैचों को ''राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय'' भोपाल में ऐकेडमिक प्रशिक्षण दिलाय गया । जिस हेतु विश्वविद्यालय को रू. 10.00 लाख का भुगतान किया । तत्पश्चात् मैदानी प्रशिक्षण हेतु 3 माह के लिये प्रदेश के जिलों में कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्यपालन यंत्रियों के अधीनस्थ निर्माणाधीन कार्यो पर प्रशिक्षण दिलाया गया । प्रत्येक प्रशिक्षणार्थियों को प्रत्येक माह रू. 5000/- मानदेय एवं मैदानी प्रशिक्षण हेतु रू. 2000/- अतिरिक्त रूप से मानदेय दिया गया । 500 में से कुल 426 प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र जारी किये गये । इनमें से वर्तमान में 139 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा ठेकेदारी का ''सी'' श्रेणी में रजिस्ट्रेशन कराय लिया गया है । (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

शामगढ़ ओवर ब्रिज का निर्माण

58. **(क्र. 1157) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में शामगढ़, आलमगढ़ की फाटक संख्या 46 पर ओव्हर ब्रिज के संबंध में कोटा रेल्वे मण्डल द्वारा विभाग को कौन-कौन से लेटर प्राप्त हुए हैं ? (ख) विभाग द्वारा फाटक संख्या 46 आलमगढ़ ओव्हर ब्रिज के बारे में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ? (ग) शामगढ़ फाटक पर ई.व्ही.यू. 1 लाख से अधिक होने पर केन्द्र सरकार से नियमानुसार अपना अंश राशि स्वीकृति का पत्र प्राप्त होने के बाद भी राज्य सरकार से प्रस्ताव अभी तक नहीं गये हैं क्या कारण है ? (घ) कोटा मण्डल से प्राप्त जानकारी के अनुसार 03.02.2012 व 23.07.2012 को मुन्सीपल लोक निर्माण विभाग को प्राप्त पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में शामगढ, आलमगढ की फाटक संख्या 46 पर ओव्हर ब्रिज के संबंध में मुख्य पुल अभियंता पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर का पत्र दिनांक 20.06.14 प्राप्त हुआ है । (ख) विभाग ने फाटक संख्या 46 आलमगढ ओव्हर ब्रिज के बारे मे प्रारंभिक आकलन कर लिया है । विस्तृत सर्वेक्षण शीघ्र किया जा रहा है । (ग) रेल्वे से उनके अंश की स्वीकृति का कोई पत्र प्राप्त नही हुआ है । अत: शेष प्रश्न ही उपस्थित नही होता । (घ) प्रश्नांश मे उल्लेखित पत्र प्राप्त नही हुए है । अत: शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नही होता ।

नगर निगम उज्जैन में पदस्थ कर्मचारी

59. **(क्र. 1169) डॉ. मोहन यादव :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन नगर निगम अंतर्गत कुल कितने पद स्वीकृत है, विभागवार पृथक-पृथक विवरण दें ? स्वीकृत पदों में से कितने पदों पर अधिकारी पदस्थ है तथा कितने पद रिक्त है ? (ख) क्या यह सत्य है कि उज्जैन नगर निगम में अधिकारियों के पद रिक्त होने के कारण वहां के कार्य

प्रभावित हो रहे हैं ? यदि हां, तो अधिकारियों की नियुक्ति कब तक कर दी जावेगी ? (ग) क्या यह सत्य है कि उज्जैन नगर निगम में ज्यादातर पदों पर मूल अधिकारियों के स्थान पर प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक मूल अधिकारियों की पदस्थी कर दी जावेगी ? यदि नहीं, तो मूल अधिकारियों के पदस्थी नहीं किये जाने का क्या कारण है ? (घ) क्या सिंहस्थ 2016 को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम उज्जैन में पद स्वीकृत किये जाने की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो पद कब तक स्वीकृत कर अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जावेगी ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) विवरण **पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' तथा ''ब'' अनुसार** है । (ख) जी नहीं । राज्य शासन व्दारा निगम में रिक्त विभिन्न पदों पर उपलब्धता अनुसार अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किये गये हैं। (ग) एवं (घ) नगर पालिक निगम उज्जैन की आर्दश कार्मिक संरचना विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-52/2012/18-1 दिनांक 28-02-2014 से स्वीकृत की गई है। निगम स्थापना में सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिये नियत पदों की पूर्ति स्वयं नगर पालिक निगम व्दारा की जाना है। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है ।

उज्जैन जिले में इण्डस्ट्रियल कारिडोर अंतर्गत स्वीकृत प्रोजेक्ट

60. **(क्र. 1170) डॉ. मोहन यादव :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अंतर्गत उज्जैन संभाग में कौन-कौन से प्रोजेक्ट स्वीकृत किये जाकर उनका कार्य कब प्रारंभ होना है ? (ख) क्या यह बात सही है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समीट में उज्जैन जिला अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर उद्योग लगाये जाने हेतु स्थानों का चयन किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर कौन-कौन से प्लांट शासन अथवा निजी उद्योगपतियों द्वारा स्थापित किया जाना है ? संपूर्ण विवरण स्थान एवं समय सीमा सहित दें ? (ग) वर्ष 2001 से दिसम्बर 2014 तक उद्योग विभाग द्वारा उज्जैन जिला अंतर्गत कितने औद्योगिक क्षेत्रों को घोषित किया गया है ? घोषित औद्योगिक क्षेत्रों में क्या-क्या सुविधाऐं उपलब्ध कराई गई है ? (घ) वर्ष 2001 के पश्चात बनाये गये औद्योगिक क्षेत्रों में कितने उद्योग स्थापित हुए हैं ? यदि औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग स्थापित नहीं हो पाये हैं, तो इसका क्या कारण हैं ? (ड़) क्या यह बात सही है कि उज्जैन जिला अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र में जहां उद्योग स्थापित नहीं हो पाये हैं, जिन्हें प्लॉट आवंटित किये गये थे ? आज वह प्लाट कई गुना अधिक कीमत के हो जाने पर उनका विक्रय संबंधित लोगों द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां, तो नियमानुसार ऐसा किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो प्लाट विक्रय करने वाले प्लाटधारकों के प्लाट निरस्त किये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अंतर्गत उज्जैन संभाग में प्रथम चरण में 'विक्रम उद्योगपुरी' प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है । जिसके विकास हेतु कार्य आरंभ किया जा चुका है । (ख) जी हां । ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उज्जैन जिले में औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपलब्ध शासकीय भूमि चिन्हित की गई है । ग्राम रानाबड एवं ग्राम गोंदिया में 19 निजी उद्योगपतियों द्वारा उद्योग स्थापना के प्रस्ताव दिये गये है । उक्त के अतिरिक्त 20 इकाईयों ने उज्जैन जिले में इन्टेंशन टू इन्वेस्ट अंतर्गत उद्योग लगाने हेतु रूचि प्रदर्शित की है । उपरोक्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (ग) उज्जैन जिले में वर्ष 2001 से दिसम्बर 2014 तक ग्राम ताजपुर तहसील उज्जैन के 83.00 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया जाकर विभाग द्वारा भूमि प्रबंध संचालक म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम उज्जैन को औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु हस्तान्तरित की गई है । म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम उज्जैन द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में विकास कार्य सडक निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है । (घ) जिले में वर्ष 2001के पश्चात घोषित औद्योगिक क्षेत्र ताजपुर में औद्योगिक क्षेत्र में अंधोसंरचना विकास कार्य पूर्ण होने उपरांत भूमि आवंटन किया जावेगा वर्तमान में किसी भी इकाई को कोई भूखण्ड आवंटन नही किया गया है । (ड) विभाग द्वारा संचालित व संभावित औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक इकाईयों को लीज पर आंवटित भूमि विक्रय करने के अधिकार नही है । औद्योगिक इकाई को लीज पर आंवटित भूमि पर उद्योग स्थापना की कार्यवाही न की जाने पर रिक्त भूखण्ड निरस्तीकरण की कार्यवाही म.प्र. राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम,2008 में किये गये प्रावधान अनुसार निरस्त की जाती है ।

सड़क निर्माण कराया जाना

61. **(क्र. 1179) पं. रमेश दुबे :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधान सभा अता. प्रश्न संख्या 96 (क्रमांक 1257) दिनांक 11/12/2014 में उत्तर दिया था कि छिन्दवाड़ा जिले के विधान सभा क्षेत्र चौरई में खमारपानी-लोधीखेड़ा मार्ग से खैरी घोराड़ सड़क निर्माण अनुपूरक बजट में सम्मिलित किये जाने हेतु कार्यों की सूची में मांग संख्या 42 के अंतर्गत सरल क्रमांक 8 पर प्रस्तावित है, तो अनुपूरक बजट में उक्त सड़क निर्माण को शामिल क्यों नहीं किया गया ? कारण स्पष्ट करें ? (ख) क्या शासन प्रश्नकर्ता विधायक के विधान सभा क्षेत्र चौरई के आदिवासी विकास खण्ड विछुवा में नागरिकों के आवागमन की सुविधा और उनकी मांग को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान बजट में उक्त सड़क को शामिल कर सड़क निर्माण की स्वीकृति देगा ? यदि हां, तो कब तक सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया जावेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) जी हॉ । वित्तीय संसाधन के अभाव में जिले में योजना सीमा उपलब्ध न होने से अनुपूरक बजट में प्रस्ताव शामिल किया जाना संभव नहीं हो सका । (ख) उत्तरांश-क अनुसार वर्तमान में संभव नहीं है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते ।

वनग्रामों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाना

62. **(क्र. 1180) पं. रमेश दुबे :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले में कुल कितने वनग्राम है ? तहसीलवार, वनपरिक्षेत्रवार वनग्रामों की जानकारी दें ? (ख) वनग्रामों में सड़क, बिजली, पानी इत्यादि जैसे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना किस विभाग की जबावदारी है ? तथा उस विभाग द्वारा अभी तक क्या सार्थक पहल की गयी है ? अभी तक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के क्या कारण है ? कौन लोग जिम्मेदार है ? (ग) छिन्दवाड़ा जिले के विकास खण्ड चौरई एवं विछुवा के वनग्रामों में सड़क बिजली पानी उपलब्ध कराने हेतु अभी तक क्या प्रयास किये गये है ? कौन-कौन से वनग्राम आज भी विद्युत विहीन है ? विद्युत विहीन वनग्रामों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु किस स्तर से क्या प्रयास किये जा रहे है ? कब तक इन वनग्रामवासियों को विद्युत सुविधा उपलब्ध करा दी जावेगी ? (घ) विकास खण्ड चौरई एवं विछुवा के सड़क विहीन वनग्रामों को सड़क मार्ग से जोड़े जाने हेतु विभाग ने अभी तक क्या कार्यवाही की है ? नहीं की है तो क्यों ? कब तक सड़क का निर्माण कराकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ दिया जावेगा ? समय सीमा बतावें ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार): (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है । (ख) वनग्रामों में सड़क, बिजली, पानी इत्यादि उपलब्ध कराने की जवाबदारी शासन के क्रमश: पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ऊर्जा तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभागों की है । जिले के सभी वन ग्रामों में पानी की सुविधा उपलब्ध है, 01 वनग्राम को छोड़कर समस्त वनग्रामों में बिजली उपलब्ध है, 23 वनग्रामों में पक्का मार्ग है एवं शेष 26 वनग्रामों में कच्चा मार्ग है । अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है । (घ) उत्तरांश 'ग' में वर्णित दो वनग्रामों में पक्की सड़क का निर्माण संबंधित विभाग द्वारा समयानुसार किया जायेगा । समय सीमा बताया जाना संभव नहीं ।

परिशिष्ट - "सत्रह"

एन.एच. 12 आंदलहेड़ा से आगर-आगरी सड़क का निर्माण

63. **(क्र. 1188) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि एन.एच. - 12 आंदलहेड़ा से आगर-आगरी लगभग 7-8 कि.मी. सड़क का निर्माण कार्य लगभग 16 वर्ष पूर्व जल संसाधन विभाग द्वारा कराया गया था ? क्या इस मार्ग के बारे में पूर्व में भी जल संसाधन विभाग से हस्तांतरित होकर लोक निर्माण विभाग को हस्तगत करने हेतु निवेदन किया जा चुका है, किंतु दोनों विभागों में अंतरण प्रक्रिया पूर्ण न होने से उक्त सड़क का नवीनीकरण कार्य नहीं हो पा रहा है ? (ख) क्या उक्त मार्ग को लोक निर्माण विभाग द्वारा शीघ्र आधिपत्य में लिया जाकर उसका नवीनीकरण कार्य कराया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) जी हॉ । जी नही लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व मे जल संसाधन विभाग से हस्तांतरित होकर लो.नि.वि. को हस्तगत करने हेतु कोई निवेदन नही किया गया है । अपितु जिला पंचायत की मीटिंग दिनांक 5.4.12 के दौरान माननीय सांसद (पूर्व) राजगढ एवं कलेक्टर राजगढ द्वारा प्रश्नाधीन मार्ग को लो.नि.वि. की पुस्तिका पर लेने हेतु निर्देशित किया गया था । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार,** जी हॉ । (ख) मार्ग हस्तांतरण के प्रस्ताव का परीक्षणोपरांत स्वीकृति प्रदान करने के उपरांत ही नीवनीकरण की कार्यवाही की जाने पर विचार किया जा सकेगा ।

श्योपुर-बड़ोदा-कुहांजापुर मार्ग पर पुलिया निर्माण

64. **(क्र. 1207) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि श्योपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत श्योपुर-बड़ौदा-कुहांजापुर मार्ग का निर्माण कार्य अनुबंध अनुसार दिनांक 16.12.14 तक पूर्ण होना था यदि हां तो इस तिथि के व्यतीत हो जाने के पश्चात भी कार्य पूर्ण न होने के क्या कारण हैं ? वर्तमान तक कितना कार्य पूर्ण तथा शेष रह गया है ? इसे कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा ? (ख) उक्त कार्य के प्राक्कलन में बड़ौदा कुहान्जापुर के मध्य ग्राम ललितपुरा के निकट अहेली नदी की पुरानी पुलिया के स्थान पर नई पुलिया बनाने के कार्य को शामिल न करने के क्या कारण है ? (ग) क्या यह सच है कि उक्त पुलिया बहुत ही सकरी व नीची है ? प्रतिवर्ष बारिश में अहेली नदी के उफान पर आ जाने पर ये पुलिया कई बार डूब जाती हैं ? कई-कई दिन/घण्टो तक आवागमन बन्द हो जाता है ? (घ) उक्त समस्या के समाधान हेतु क्या उक्त पुलिया को नवीन व ऊंचा बनाया जावेगा ? (ड.) यदि हां तो क्या शासन नवीन पुलिया निर्माण कार्य का प्राकलन तैयार करने के उपरांत उसे स्वीकृत कर स्वीकृत राशि का प्रावधान वर्ष 2015-16 के वार्षिक बजट में करेगा यदि नहीं तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) जी हॉ, अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण होने की तिथि 12.12.2014 है । दिसम्बर माह में वर्षा एवं कोहरे के कारण डामरीकरण का कार्य बाधित रहा । वर्तमान में डी.बी.एम. कार्य पूर्ण है, तथा बिटुमिन कांक्रीट का कार्य प्रगति पर है जो फरवरी-2015 तक पूर्ण होने की संभावना है । पुल एवं पुलिया का कार्य पूर्ण हो चुका है । (ख) फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करते समय एवं वर्तमान में भी उक्त पुलिया की स्थिति संतोषजनक है । अत: नवीन निर्माण प्रस्तावित नहीं किया गया । (ग) जी हॉ । जी हॉ । जी हॉ । (घ) परीक्षण किया जा रहा है । (ड.) परीक्षण उपरांत गुण-दोष के आधार अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी ।

शाजापुर जिले की देव गुलर जोड़ से अरन्दिया की सड़क में नाला निर्माण

65. **(क्र. 1245) श्री इन्दर सिंह परमार :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या देवगुलर जोड़ से अरन्दिया तक सड़क एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा किये जा रहे

निर्माण में आबादी क्षेत्र (मोरटा केवड़ी, पोलाय कला, पगराबद कलां, अवलिपुर-बड़ोदिया पाड़लिया) में सड़क के दोनों तरफ नाले का प्रावधान किया गया है ? (ख) प्रश्नांश (क) उल्लेखित सड़क में आबादी क्षेत्र में पुरी लंबाई तक सी.सी. सड़क क्यों नहीं बनाई ? सी.सी.सड़क के बाद बनाई गई डामरीकृत सड़क में नालों का निर्माण दोनों तरफ क्यों नहीं किया गया है ? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सड़क में आबादी क्षेत्रों में सी.सी. कार्य के बाद डामरीकृत सड़क से दोनों तरफ का पानी आगे नालों तक कैसे पहुंचाने की व्यवस्था की जावेगी ? क्या बारिश का पानी लोगों के घरों में नहीं घुसेगा ? (घ) प्रश्नांश (क) उल्लेखित सड़क में पूरे आबादी क्षेत्र तक क्या नाला निर्माण सड़क के दोनों तरफ करवाये जावेंगे ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) जी हॉ । (ख) प्रश्नांश-क में उल्लेखित ग्रामो मे आबादी क्षेत्र मे अनुबंध के प्रावधानुसार उपलब्ध भूमि के अनुरूप सी.सी. सडक बनाई गई है । सी.सी. सडक के बाद डामरीकृत सडक मे दोनो ओर आवश्यकतानुसार कच्ची नाली का निर्माण किया गया है । (ग) सीमेट कांक्रीट मार्ग निर्माण के बाद डामरीकृत मार्ग के पानी के निकास हेतु आवश्यकतानुसार कच्ची नाली का निर्माण कर वर्षा का पानी पुल पुलियाओं तक पहुचाने की व्यवस्था की गई है । वर्षा का पानी आबादी क्षेत्र के घरो तक नही पहुचता है । (घ) प्रश्नांश-क में उल्लेखित सडकों मे अधिकांश आबादी क्षेत्र उपलब्ध भूमि के अनुसार नाली निर्माण का कार्य पूर्ण कराया गया है । भविष्य में आवश्यकतानुसार नाली की आवश्यकता होने पर निवेशकर्ता से आबादी क्षेत्र मे नाली निर्माण कराया जा सकता है ।

अवैध कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाना

66. **(क्र. 1270) श्री आर.डी. प्रजापति :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर में कितनी अवैध कॉलोनियां अवस्थित है कृपया क्षेत्रवार सूची तथा कॉलोनाइजरों के नाम व पते भी प्रदाय किए जावें ? उक्त अवैध कॉलोनाइजरों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? (ख) छतरपुर नगर एवं राजनगर तहसील में स्थित अवैध कॉलोनियों के कॉलोनाइजरों पर कितने आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए गए हैं ? यदि नहीं तो कब तक कराए जाएगें ? (ग) जिला छतरपुर में ऐसी कितनी अवैध कॉलोनियां है जिनके कॉलोनाइजरों से विकास शुल्क अभी तक नहीं वसूला गया है ? विवरण तथा सूची के साथ कॉलोनीवार बनाया विकास शुल्क की राशि की जानकारी प्रदाय करें ? (घ) बकाया विकास शुल्क कब तक वसूला जावेंगा ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) जिला छतरपुर के अनुभाग छतरपुर में 112, राजनगर में 13, बड़ामलहरा में 01 तथा नौगांव में 25, इस प्रकार कुल 151 अवैध कालोनियां अवस्थित है । इन अनुभागों में से अनुभाग नौगांव की 25 अवैध कालोनियों में से 17 कालोनियों की भूमि अधिग्रहण की गयी एवं 02 कालोनियों पर रूपये 25-25 लाख का अर्थदण्ड अनुविभागीय

अधिकारी (रा) नौगांव द्वारा अधिरोपित किया गया तथा नौगांव अनुभाग की शेष 06 अवैध कालोनियों सहित जिले की अन्य अनुभागों की कुल 132 कालोनियों के विरूद्ध प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है । (ख) छतरपुर नगर में स्थित 110 अवैध कालोनियों के विरूद्ध तहसीलदार द्वारा थाना प्रभारी सिविल लाईन तथा सिटी कोतवाली छतरपुर में अवैध कालोनाईजर्स के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने का पत्र जारी किया गया है, परंतु पुलिस द्वारा अहस्तक्षेप योग्य धारायें होने से एफ.आई.आर. दर्ज नहीं किया गया तथा पत्र क्रमांक 345 बी-121/198-99 दिनांक 22.03.2005 से नगर निरीक्षक सिविल लाईन छतरपुर को एफ.आई.आर. करने हेतु पत्र जारी किया गया था । पुलिस से प्रतिवेदन अपेक्षित है । राजनगर तहसील में अवैध कालोनियों के कालोनाईजर पर कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है । (ग) जिला छतरपुर में अवस्थित कुल 151 अवैध कालोनियों में से 19 कालोनियों पर विकास शुल्क अधिरोपित किये जाने का कार्यवाही जारी है तथा शेष 132 अवैध कालोनियों के प्रचलित न्यायालयीन प्रकरणों पर निर्णय न हो पाने के कारण ऐसे कालोनाईजर्स पर विकास शुल्क नहीं हो पाया है, जिसके कारण उनके विकास शुल्क की वसूली नहीं हो सकी, इसलिये वसूली निरंक है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स"** अनुसार है । (घ) अवैध कालोनियों के दर्ज प्रचलित प्रकरणों पर निर्णय होने पश्चात उन पर विकास शुल्क निर्धारित कर वसूली की कार्यवाही की जायेगी ।

<u>नील गाय अभ्यारण्य की स्थापना</u>

67. **(क्र. 1271) श्री आर.डी. प्रजापति :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(एफ) के खंड (ख) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा नीलगायों को मारने के लिये कितने आदेश जारी किए हैं ? सन् 2008 के जनवरी माह से दिसंबर 2014 तक की जानकारी दें ? (ख) उक्त आदेशों के तहत कितनी नील गाय मारी गई हैं ? क्षेत्रवार विवरण देवें ? (ग) नील गाय अभ्यारण्य हेतु शासन ने क्या नीति बनाई है ? और अब तक इसमें कौन-कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई हैं ? (घ) नीलगाय अभ्यारण्य हेतु शासन ने क्या समय-सीमा निर्धारित की है ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार): (क) एवं (ख) प्रश्नाधीन जिले में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व द्वारा नीलगायों को मारने हेतु कोई आदेश जारी नहीं किया गया है । अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) एवं (घ) नीलगाय अभयारण्य हेतु कोई नीति शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है । शेष का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सोन नदी में पीपा पुल लगाये जाने बाबत

68. **(क्र. 1309) श्रीमती सरस्वती सिंह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र चितरंगी अंतर्गत देवरा घाट सोन नदी में वर्ष 2013-14 में पीपा पुल निर्माण कराया गया था ? जिसका उद्घाटन भी कराया गया था, क्या जुलाई 2014 में वर्षा के कारण पीपा पुल हटा दिया गया है ? क्या कारण है कि बरसात समाप्त होने पर भी आज दिनांक तक नहीं लगाया गया है ? (ख) यदि पीपा पुल लगाया जाएगा तो कब तक समय सीमा बतावें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) जी हॉ । जी हॉ । जी हॉ । कार्य प्रगति पर है, 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है । (ख) कार्य फरवरी-2015 तक पूर्ण किया जाना संभावित है ।

इंदौर में आयोजित इन्वेस्टर समिट

69. **(क्र. 1330) श्री जितू पटवारी :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सत्य है कि सन् 2014 इंदौर में आयोजित इन्वेस्टर समिट म.प्र. में अभी तक आयोजित समिट में से सबसे भव्य एवं सबसे सफल समिट रही है ? (ख) उपरोक्त समिट में देश एवं विदेश से कौन-कौन सी कंपनियों के उद्योगपति/प्रतिनिधी उपस्थित हुये थे ? कंपनी के नाम, पते सहित एवं उपस्थित प्रतिनिधि के नाम सहित जानकारी प्रदान करें ? (ग) क्या उपरोक्त समिट सम्पन्न होने के पश्चात प्रश्न दिनांक तक म.प्र. शासन एवं कंपनी में उद्योग स्थापित करने हेतु कोई करार या अनुबंध हुआ है ? यदि हॉ, तो कौन-कौनसी कंपनी से अनुबंध हुआ है ? अनुबंध की प्रति उपलब्ध करवाये ? (घ) अनुबंधित कंपनी द्वारा कहॉ पर, किस प्रकार का उद्योग स्थापित किया जा रहा है एवं क्या अनुबंधित कंपनी को उद्योग स्थापित किये जाने हेतु भूमि का आवंटन किया जा चुका है ? यदि हॉ, तो कितनी भूमि किन-किन शर्तों पर आवंटित की गई है ? (ड.) उपरोक्त उद्योग स्थापित होने से कितने लोगों को रोजगार प्राप्त होगा ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) पूर्व में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तरह 2014में इन्दौर में आयोजित समिट भी भव्य एवं सफल रही है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है** । (ग)वर्ष 2014 इंदौर में इन्वेस्टर समिट सम्पन्न होने के पश्चात किसी कम्पनी से उद्योग स्थापित करने हेतु कोई करार या अनुबंध हस्ताक्षरित नहीं हुआ है । अत: शेष प्रश्न उपस्थित नही होता है । (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ड)प्रश्नांश **ग** के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नही होता है ।

किसानों को मुआवजा भुगतान

70. **(क्र. 1344) श्री राजेन्द्र मेश्राम :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सिंगरौली जिले के तहसील देवसर में स्थापित त्रिमुला आयरन इण्डस्ट्रीज से काफी प्रदूषण हो रहा है एवं जन-जीवन तथा किसानों की भूमि एवं फसलों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ? (ख) क्या यह भी सही है कि प्रश्नांश (क) को लेकर ग्रामीण किसानों द्वारा धरना, प्रदर्शन भी किया गया है ? यदि हॉ तो शासन, प्रशासन द्वारा जांच कराकर इस संबंध में अभी तक कार्यवाही की गई ? इसके लिए जिम्मेदार कंपनी, अधिकारी या कर्मचारी कौन है, इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ? कारण बतायें ? (ग) प्रश्नांश (क) के संबंध में कितने किसानों के भूमि की उर्वरा शक्ति व फसल नष्ट हुई है, ग्रामवार जानकारी देवें ? साथ ही क्या प्रभावित किसानों को मुआवजा या सहायता राशि कंपनी अथवा शासन द्वारा भुगतान किया गया है, यदि नहीं तो कब तक किया जायेगा ? (घ) प्रश्नांश (क) कंपनी/शासन/प्रशासन द्वारा प्रदूषण की रोकथाम हेतु क्या ठोस प्रयास किये जा रहें है ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) उद्योग से परिसर के बाहर प्रदूषित जल का निस्त्राव नहीं है तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित कर संचालित की जाती है,जिससे वर्तमान में उद्योग से किसी गंभीर प्रदूषण होने जैसी स्थिति नही है । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ख) ग्रामवासियों के द्वारा पूर्व में धरना प्रदर्शन किया गया था जिस पर जिला प्रशासन की ओर से संयुक्त टीम गठित कर जॉच कराई गई थी । जॉच में जल प्रदूषण से जन जीवन प्रभावित होना व भूमि बंजर होना नहीं पाया गया था । उक्त अवधि में तेज हवा चलने पर उद्योग के कोयला के भंडारण स्थल से अल्प मात्रा में वायु प्रदूषण की स्थिति निर्मित हुई थी । उद्योग द्वारा वायु अधिनियम,1981 के प्रावधानों के अंतर्गत सम्मति शर्तो का पालन नहीं करने के कारण संबंधित उद्योग मेसर्स त्रिमुला इंडस्ट्रीज लि. के विरूद्व वायु अधिनियम,1981 की धारा 37,38,39 एवं 40 के तहत माननीय मुखय दण्डाधिकारी बैढ़न न्यायालय में वाद दायर किया गया है जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है । वर्तमान में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित है तथा प्रदूषण की स्थिति नहीं है । (ग) उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है ।

परिशिष्ट - "अठारह"

प्रदूषित पानी से किसानों को नुकसान

71. **(क्र. 1345) श्री राजेन्द्र मेश्राम :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सिंगरौली जिले के अंतर्गत तहसील देवसर में स्थापित त्रिमुला आयरन इण्डस्ट्रीज से निकलने वाला प्रदूषित पानी कृषकों की भूमि को बंजर बना रहा है ? यदि हॉ, तो इस

संबंध में शासन, प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक में क्या ठोस कार्यवाही की जावेगी ? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में ग्रामवासियों के द्वारा शासन-प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने के उपरांत भी अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ? (ग) क्या शासन-प्रशासन द्वारा त्रिमुला आयरन इण्डस्ट्रीज गोदवाली के प्रदूषित पानी से कृषकों की भूमि बंजर रोकने के संबंध में कोई कार्यवाही अविलंब की जावेगी ? यदि हॉ तो कब तक ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) उद्योग से परिसर के बाहर प्रदूषित जल का निस्सारण नहीं है अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ख) ग्रामवासियों के द्वारा पूर्व में धरना प्रदर्शन किया गया था जिस पर जिला प्रशासन की ओर से संयुक्त टीम गठित कर जॉच कराई गई थी । जॉच में जल प्रदूषण से जन जीवन प्रभावित होना व भूमि बंजर होना नहीं पाया गया था । (ग) उत्तरांश "क" एवं "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

इंदौर बायपास का निर्माण

72. **(क्र. 1360) श्री राजेश सोनकर :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर बायपास राउ से देवास बायपास तक छः लेन सड़क का निर्माण किस कंपनी को दिया गया है ? निर्माण कार्य अनुबंध के अनुसार कब तक पूर्ण किया जाना था ? समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर जिम्मेदार कंपनी व अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ? (ख) प्रश्नांक (क) के संदर्भ में कंपनी द्वारा छः लेन मार्ग के निर्माण की गुणवत्ताओं की जांच संबंधित अधिकारियों द्वारा समय-समय पर की जा रही है ? यदि हॉ, तो किन अधिकारियों के माध्यम से की जा रही है ? कार्य में हो रही लापरवाही के लिये कंपनी व अधिकारियों पर क्या कार्यवाही करेंगे ? (ग) कंपनी द्वारा बनाये जा रहे मार्ग की ऊंचाई के कारण आसपास के किसानों के खेतों में पानी भर रहा है व खेतों के सामने नालियां अधूरी पडी है ? विगत 3 वर्षों से किसानों की फसलें खराब हो रही है तथा सर्विस रोड़ कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ? क्या कंपनी पर कोई कार्यवाही की जावेगी ? (घ) छः लेन मार्ग पर कई जगह फ्लाय ओवर की ऊंचाई इतनी कम है कि उसके नीचे सर्विस रोड़ पर आने जाने हेतु क्रासिंग के लिए छोड़ी गयी जगह पर सामान्य छोटी स्कूल बस भी नहीं आ जा रही है ? इस कारण स्कूल के बच्चों को 5 से 10 किलोमीटर अधिक घूमकर आना पड़ रहा है, यह जगह इतनी कम है कि दो गाडियां भी इसमें से क्रास नहीं हो सकती है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) प्रश्नांकित मार्ग विभाग के अधीन नही है सडक का निर्माण कार्य भारतीय राष्टीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत है । भारतीय राष्टीय राजमार्ग

प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई इंदौर से प्राप्त **उत्तर संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) से (घ) **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है ।

परिशिष्ट - "उन्नीस"

बड़े उद्योगों एवं लघु उद्योगों की स्वीकृति

73. **(क्र. 1377) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2011 से 2013 तक सतना जिले में कितने बड़े उद्योग एवं कितने लघु उद्योग लगाने की स्वीकृति राज्य शासन द्वारा प्रदान की गई है वर्षवार उद्योगवार जानकारी देवें ? (ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त नीति के तहत उद्योग स्थापित करने के लिये किसानों की जमीन अधिग्रहित कर उद्योपतियों को दी जावेगी यदि हां तो अभी तक सतना जिले में किन-किन स्थानों पर किस उद्योगपति को कितनी-कितनी एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है ? (ग) क्या यह सही है कि शासन द्वारा जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की जायेगी उनके परिवार के एक सदस्य को उस उद्योग में नौकरी पर रखा जायेगा यदि हां तो वर्ष 2011 से 2013 तक में सतना जिले में कितने लोगों को रोजगार में रखा गया ? उद्योगवार रखे गये श्रमिकों की जानकारी देवें ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) वर्ष 2011 से 2013 तक सतना जिले में राज्य शासन द्वारा 88 लघु उद्योग लगाने की अभिस्वीकृति दी है । वर्षवार इकाईवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । बडे उद्योग लगाने की अभिस्वीकृति केन्द्र शासन द्वारा दी जाती है । (ख) सतना जिले में किसानों की कोई जमीन उद्योग हेतु अधिग्रहित नहीं की गई है । (ग) प्रश्नाधीन अवधि में सतना जिले में किसानों की कोई भूमि उद्योग हेतु अधिग्रहित नहीं की गई है । अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

केवलारी विधान सभा क्षेत्र में सड़कों का डामरीकरण

74. **(क्र. 1399) श्री रजनीश हरवंश सिंह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा केवलारी से छीदां से धनौरा मार्ग की स्थिति को देखते हुए माननीय मंत्रीजी का ध्यान विधान सभा प्रश्न के माध्यम से आकृष्ट किया गया है ? (ख) यदि नहीं, तो विभाग द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? कारण स्पष्ट करें ? (ग) उक्त मार्ग का दुरूस्तीकरण कब तक किया जावेगा ? समयावधि बतावें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) जी हॉ । विधान सभा सत्र जून-जुलाई 2014 के तारांकित प्रश्न क्रमांक 1153 द्वारा ध्यान आकृष्ट किया गया था । (ख) प्रश्न ही उपस्थित नही होता है । (ग) सुधार हेतु कार्यवाही प्रगति पर है । समयावधि बताना संभव नही ।

छपारा ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा

75. **(क्र. 1400) श्री रजनीश हरवंश सिंह :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिवनी जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत छापारा वि.खं. छपारा को नगर पंचायत घोषित किये जाने हेतु स्थानीय नागरिकों एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा मांग की गई है ? (ख) यदि हां, तो अभी तक नगर पंचायत छापारा को क्यों नहीं बनाया गया है एवं कब तक बनाया जावेगा ? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में शासन द्वारा छपारा को नगर पंचायत बनाये जाने की निश्चित तिथि से अवगत करावें ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) जी हॉ । (ख) एवं (ग) कलेक्टर, जिला-सिवनी द्वारा 06 ग्राम सम्मिलित करते हुये संशोधित प्रस्ताव दिनांक 18.06.2014 को प्रेषित किया गया है, जो विचाराधीन है, समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

टोल नाको की दूरी

76. **(क्र. 1405) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले के ग्राम अटा-मालथौन से लेकर जिला नरसिंहपुर तक एन.एच. 26 पर कितने टोल नाके हैं ? और ये कहॉ-कहॉ है ? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में बतायें कि इन टोल नाकों के बीच कितनी कितनी दूरी है ? सामान्यत: एक टोल नाका से दूसरे टोल नाका की कितनी दूरी होना चाहिये ? टोल नाके बनाये जाने हेतु दूरी के संबंध में शासन के क्या प्रावधान हैं ? (ग) क्या यह सच है कि सागर जिले में ही आवश्यकता से अधिक और मनमानी मर्जी की दूरी पर टोल नाका बनाये गये और कुछ टोल नाका हटा दिये गये हैं जो नियमों के विपरीत है ? (घ) क्या विभाग पुन: समीक्षा कर गाइड लाइन के अनुसार टोल नाकों की दूरी का निर्धारण कर नये सिरे से टोल नाका बनायेगा ? यदि हॉ तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ? कारण बतायें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) प्रश्नाधीन मार्ग भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है । (ख) से (घ) उत्तरांश-क के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

दै.वे.भो. कर्मचारियों का नियमितीकरण

77. **(क्र. 1416) श्री तरूण भनोत :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि नगर पालिका निगम जबलपुर में लगभग 15 से 20 वर्षो से कार्यरत 650 दैनिक वेतनभागी कर्मचारी है जिन्हें आज दिनांक तक शासन/निगम द्वारा नियमित नहीं किया गया ? (ख) क्या यह भी सही है कि आयुक्त नगर निगम जबलपुर द्वारा दिनांक 28/01/2013 को अपने पत्र क्रमांक स्था./2013/913 के द्वारा प्रमुख सचिव नगरीय एवं विकास विभाग म.प्र. को लेख

करते हुए उक्त 650 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण हेतु अनुशंसा की गई थी एवं यह भी लेख किया गया था कि उक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाता है तो निगम का स्थापना व्यय 65 प्रतिशत के भीतर ही रहेगा ? (ग) अब कब तक उक्त वर्णित (क) कर्मचारियों को नियमित कर दिया जावेगा ? समय सीमा बतावें ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) नगरपालिक निगम जबलपुर में वर्तमान में 638 कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्यरत है । (ख) जी हॉ । (ग) म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 5-3/2006/1/7 दिनांक 16-5-2007 के अनुसरण में नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 4-146/2007/18-1 दिनांक 13-10-2008 तथा समसंख्यक परिपत्र दिनांक 18-06-2010 के अंतर्गत नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को निर्धारित मापदंड अनुसार पदों की उपलब्धता, वरिष्ठता तथा आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए नियमित किये जाने की व्यवस्था है । समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है ।

उपयंत्री एवं सहायक यंत्रियों का स्थानांतरण

78. **(क्र. 1417) श्री तरूण भनोत :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल जबलपुर में कितने उपयंत्री, सहायक यंत्री कार्यरत है ? जानकारी उनके नामवार, क्षेत्रों के प्रभारवार एवं जबलपुर में पदस्थी के दिनांक वार बताई जावें ? (ख) क्या यह सही है कि उक्त उपयंत्री एवं सहायक यंत्रियों में ऐसे कई है जो विगत कई वर्षों से जबलपुर में पदस्थ है और इनका स्थानांतरण अन्यत्र नहीं किया गया है ? क्या शासन की स्थानांतरण नीति उक्तों पर लागू नहीं होती ? (ग) कब तक उक्त कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानांतरण हेतु कार्यवाही की जावेगी ? समय बतावें ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) जबलपुर वृत्त के अन्तर्गत 10 सहायक यंत्री (नियमित एवं चालू प्रभार) एवं 20 उपयंत्री पदस्थ है । **जानकारी संलगन परिशिष्ट** में दी गई है । (ख) संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित तिथियों से उक्त उपयंत्री एवं सहायक यंत्री जबलपुर में पदस्थ हैं तथा प्रशानिक कार्य सुविधा के दृष्टिगत उनकी पदस्थापना की गई है । शासन की स्थानानंतरण नीति मण्डल में लागू नही है । (ग) मण्डल में यात्रिंकी संवर्ग सीमित होने के कारण स्थानांतरण आवश्यकतानुसार किये जाते हैं समय सीमा बताना संभव नही है ।

परिशिष्ट - "बीस"

तहसील सबलगढ़ की रोड का निर्माण

79. **(क्र. 1461) श्री मेहरबान सिंह रावत :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सबलगढ़ तहसील के अंतर्गत नैपरी से विजयपुर रोड पर ग्राम चिलवार का पुरा में

सड़क निर्माण का कार्य किस ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है ? नाम बताऐं ? सड़क निर्माण का स्टीमेट एवं स्वीकृत राशि बतावें ? (ख) क्या यह सही है कि संबंधित ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण का कार्य स्टीमेट अनुसार न करते हुए घटिया किस्म का कार्य कराया जा रहा है ? जांच करवा कर कब तक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी ? समयावधि बताऐं ? (ग) कार्य प्रारंभ की अवधि एवं कार्य समाप्ति की समयावधि बतावें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) प्रश्नाधीन मार्ग का निर्माण ग्रामीण यांत्रिकी संभाग मुरैना द्वारा कराया जा रहा है । प्रश्नांश का शेष भाग **संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित जानकारी अनुसार** है । (ख) एवं (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है ।

परिशिष्ट - "इक्कीस"

निर्माण कार्यों की जानकारी

80. **(क्र. 1469) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वन विद्यालय अमरकंटक में पिछले 5 वर्षों में कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये ? स्वीकृत निर्माण कार्यों के पृथक-पृथक प्राक्कलन अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति की अद्यतन जानकारी, व्यय राशि, शेष राशि एवं निर्माण ऐजेंसी का नाम, पता सहित निर्माण कार्यों की तकनीकी मार्गदर्शनकर्ता अधिकारी/कर्मचारी सहित जानकारी दें ? (ख) वन विद्यालय अमरकंटक में स्वीकृत, भरे पद एवं रिक्त पदों की जानकारी दें ? कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं ? विद्यालय द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की गई है ? (ग) वन विद्यालय में कितने वन प्रक्षेत्रों के◌ा कितनी अवधि के लिये आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है ? प्रत्येक बैच में कितने वनकर्मी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं ? प्रशिक्षण के दौरान स्वल्पाहार क्या शासन द्वारा दिया जाता है ? यदि हां तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के दर से कितनी राशि दी जाती है ? (घ) प्रशिक्षण के दौरान शासन द्वारा मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी का विस्तृत ब्यौरा दें ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार): (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है । (ख) **जानकारी परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है । रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रचलित है । (ग) वन विद्यालय में अप्रशिक्षित वन रक्षकों को 6 माह तथा अप्रशिक्षित वनपालों को 45 दिवस का प्रशिक्षण दिया जाता है । वर्तमान में 50 वन रक्षकों तथा 25 वनपालों के प्रशिक्षण हेतु सीटें आवंटित हैं । प्रशिक्षण दौरान शासन से स्वल्पाहार का कोई प्रावधान नहीं है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) प्रशिक्षण के दौरान शासन द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को वन विद्यालय परिसर में नि:शुल्क आवास व्यवस्था एवं नि:शुल्क प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है ।

परिशिष्ट - "बाईस"

सड़क निर्माण की स्वीकृति

81. **(क्र. 1470) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से सडक निर्माण हेतु लो.नि.वि. अनुविभाग राजेन्द्र ग्राम एवं जैतहरी को गत 5 वर्षो से अब तक कितने कार्य स्वीकृत हुये हैं ? प्रत्येक कार्य का नाम, स्वीकृति दिनांक, राशि निविदा प्रकाशन की तिथि एवं कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि सहित विवरण दें ? (ख) पूर्ण कार्यो का भौतिक सत्यापन कब-कब एवं किसके द्वारा किया गया तथा सत्यापन में क्या-क्या कमियां पाई गई ? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार कितने कार्य अपूर्ण हैं ? ऐसे कितने कार्य हैं जिनके पूर्ण होने की निर्धारित अवधि पूर्ण होने के उपरांत भी कार्य पूर्ण नही हुये हैं ? (घ) ऐसे कितने ठेकेदार हैं जिन्होंने कार्य पूर्ण नहीं किये हैं ? कार्य पूर्ण न होने के क्या कारण हैं ? ऐसे ठेकेदारों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? (ड.) उपरोक्तानुसार विलंब के लिये कौन उत्तरदायी है तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है तो कब की जावेगी ? (च) उक्त अवधि में कौन-कौन से अनुविभागीय अधिकारी एवं उप यंत्री पदस्थ रहे नाम एवं पद सहित जानकारी दें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) कुल 23 कार्य, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है । (ग) 12 कार्य अपूर्ण **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है । (घ) 12 । ठेकेदारों की उदासीनता । 6 ठेकेदारों के विरूद्ध अनुबंध की धारा 3 सी के तहत कार्यवाही की गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** तथा 5 ठेकेदारों से पेनाल्टी वसूली की कार्यवाही की गई व 1 ठेकेदार से पेनाल्टी वसूली की कार्यवाही की जानी है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' के स्तंभ 14 अनुसार** है । (ड.) उत्तरांश-घ अनुसार । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (च) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी नरसिंहगढ द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का उल्लघंन

82. **(क्र. 1479) श्री गिरीश भंडारी :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधायको के पत्रों का उत्तर देने संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का पालन C.M.O नरसिंहगढ़ को करना चाहिए ? (ख) क्या प्रश्नकर्ता विधायक ने क्रमश: पत्र क्र. 223 व 224 दिनांक 17/12/2014 को C.M.O नरसिंहगढ़ से लिखित में कुछ जानकारी चाही गई थी ? व क्या इस संबंध में क्रमंश: पत्र क्रं. 381 एवं 382 दिनांक 21/01/2015 द्वारा पुन: स्मरण पत्र भेजा था ? (ग) प्रश्न की कंडिंका (ख) का उत्तर यदि हां है तो C.M.O नरसिंहगढ़ ने G.A.D द्वारा दिये गये निर्देशों के तारंत्मय में किस-किस दिनांक को क्या-क्या कार्यवही की ? की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराये ? (घ) क्या कंडिका (ग) में की गई कार्यवाही G.A.D द्वारा निर्वाचित

विधायकों के पत्रों के उत्तर देने संबंधी दिए गये निर्देशो के अनुरूप है ? यदि नहीं तो क्या शासन C.M.O नरसिंहगढ़ के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा ? हॉ तो कब क्या ? नहीं तो क्यों नहीं ? कारण बताये ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) एवं (ख) जी हॉ । (ग) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद, नरसिंहगढ़ व्दारा कार्यालय के पत्र क्र. 264 दिनांक 22-01-2015 एवं पत्र क्र. 343 दिनांक 05-02-2015 के व्दारा माननीय विधायक को वांछित जानकारी उपलब्ध करायी गई । (घ) जी हॉ, शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

नगर पालिका पथरिया एवं बटियागढ़ अंतर्गत स्वीकृत प्रकरण

83. **(क्र. 1488) श्री लखन पटेल :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में नगर पालिका पथरिया एवं बटियागढ़ में वर्ष 2013-2014 एवं 2014-2015 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनांतर्गत (यू.एस.ई.पी.) में कितने प्रकरण स्वीकृत किए गए व कितने लंबित हैं ? (ख) स्टेप अप योजनांतर्गत उपरोक्त वर्षों में कितने हितग्राहियों का चयन किया गया, कितने लंबित है ? (ग) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत कितने मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया गया है ? (घ) शहरी महिला स्वसहायता कार्यक्रम अंतर्गत कितने समूह गठित किए गए हैं एवं आवर्ती निधि अब तक कुल कितनी स्वीकृत की गई है ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) दमोह जिले में नगर पालिका पथरिया में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (यूएसईपी) अंतर्गत वर्ष 2013-14 में 25 प्रकरण स्वीकृत किये गये तथा कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई है। बटियागढ़ नगरीय निकाय नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) नगर परिषद् पथरिया में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के स्टेप-अप कार्यक्रम में वर्ष 2013-14 में 120 हितग्राहियों का चयन किया जाकर सभी हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया गया, कोई लंबित नहीं है। (ग) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम में कोई आबंटन प्राप्त नहीं हुआ। (घ) नगर परिषद पथरिया में 18 स्वसहायता समूह गठित किये गये, जिसमें चार स्वसहायता समूह को वर्ष 2013-14 में आवर्ती-निधि राशि रूपयें 86,000/- स्वीकृत किया जाकर भुगतान किया गया है।

भोपाल में अवैध कब्जा हटाया जाना

84. **(क्र. 1513) श्री बाला बच्चन :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्री होम्स रहवासी वेलफेयर सोसायटी तथा कार्यालय प्रभारी मंत्री जिला भोपाल द्वारा आयुक्त नगर निगम भोपाल को गौरी गृह निर्माण समिति, चूना भट्टी के प्लाट नं. 16 पर अवैध

निर्माण को रोके जाने के लिए अवगत कराया था ? (ख) क्या उक्त पत्रों के आधार पर आयुक्त नगर निगम द्वारा निर्माणाधीन स्थल का निरीक्षण अपने अमले से करवाया गया था ? क्या नगर निगम भोपाल के निरीक्षण दल द्वारा उक्त निर्माण को अवैध पाया गया ? (ग) यदि हां तो नगर निगम द्वारा दी गई निर्माण अनुमति और भू-मालिक द्वारा किए जा रहे निर्माण में क्या-क्या विसंगतियां पाईं गईं ? मौके पर किए जा रहे अवैध निर्माण को हटाने के लिए नगर निगम द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? (घ) इस प्रकार के अवैध निर्माण कार्यों के संबंध में कार्यवाही न किए जाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो कब तक की जावेगी ? एवं अवैध निर्माण कब तक हटाया जायेगा ? समय सीमा बतावें ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) जी हॉ । (ख) एवं (ग) जी हॉ । दी गयी निर्माण अनुमति के अतिरिक्त अवैध निर्माण भी पाया गया । दी गई निर्माण अनुमति और भू-मालिक द्वारा किये जा रहे निर्माण में स्वीकृति के अतिरिक्त एम.ओ.एस.में निर्माण पाया गया । मौके पर किये जा रहे अवैध निर्माण को हटाने के लिये नगर निगम द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों अनुसार विधिवत कार्यवाही की जाकर जो निर्माण समझौता योग्य नहीं था, उसे दिनांक 05.01.2015 को हटा दिया गया है । (घ) उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

<u>भोपाल में लीज नवीनीकरण।</u>

85. **(क्र. 1514) श्री बाला बच्चन :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल शहर के ई-6 एवं ई-7 अरेरा कालोनी क्षेत्र में गृह निर्माण मंडल को आवंटित नजूल भूमि की लीज अवधि कब से कब तक है ? (ख) क्या गृह निर्माण मंडल को आवंटित भूमि के लीज नवीनीकरण के आदेश कलेक्टर से प्राप्त कर लिये गये हैं ? (ग) मंडल द्वारा आवंटितियों को लीज नवीनीकरण के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई हैं ? (घ) क्या वरिष्ठ नागरकि मंडल भोपाल द्वारा लीज नवीनीकरण के लिए गृह निर्माण मंडल को ज्ञापन दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर की गई कार्यवाही बतावें ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट में दी गई** है । (ख) जी नहीं । (ग) लीज नवीनीकरण की प्रत्याशा में शासन द्वारा अधिरोपित की जाने वाली शर्तों एवं निर्धारित लीज रेंट दरों के अधीन आवंटितियों के लीज नवीनीकरण आगामी 30 वर्ष की अवधि के लिये प्रक्रिया अपनायी गई है । (घ)जी हां । वरिष्ठ नागरिक मण्डल की आपत्तियों को आयुक्त गृह निर्माण एवं अद्योसंरचना विकास मण्डल भोपाल के आदेश क्र. 6/2013,दिनांक 25.03.2013 से अमान्य किया गया है ।

<u>परिशिष्ट - "तेईस"</u>

महिदपुर वि.स. क्षेत्र के मार्ग निर्माण में अनियमितता

86. **(क्र. 1519) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र के झारड़ा से छज्जूखेड़ी, कानड़ रोड, व्हाया गेलाखेड़ी, नागपुरा मार्ग एवं खेड़ा खजूरिया से कुंडीखेड़ा रोड व्हाया कासोन घट्टिया, जस्सा मार्ग की स्वीकृति दिनांक, राशि एवं राशि आहरित करने की दिनांक पृथक-पृथक बतावें ? (ख) उपरोक्त मार्गों के निर्माण राशि आहरित होने के बाद मार्ग संधारण के लिए कितनी राशि कब-कब आवंटित की गई ? दोनों मार्गों का पृथक-पृथक बतावें ? (ग) क्या कारण है कि इतनी राशि आवंटित होने के बाद भी दोनों मार्ग जर्जर स्थिति में हैं ? (घ) मार्ग जर्जर होने के उत्तरदायी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा ? समय सीमा बतावें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** । (ख) से (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** ।

महिदपुर के बड़ा राम मंदिर में अतिक्रमण

87. **(क्र. 1520) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र के बड़ा राम मंदिर झारड़ा के न्यायालयीन प्रकरण में लगी समस्त तारीखों का विवरण दें ? (ख) यह भी बताये कि शासन की ओर से पैरवी करने वाले किन-किन तारीखों पर उपस्थित नहीं हुए और क्यों ? (ग) क्या मंदिर सीमा में दुकानों का निर्माण अनुमति लेकर किया गया है ? यदि हां तो समस्त अनुमतियों की छायाप्रतियां देवें ? यदि नहीं तो इस अतिक्रमण को कब तक हटाया जायेगा ? (घ) (ग) अनुसार इस अतिक्रमण की अनदेखी करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) न्यायालयीन प्रकरणों में लगी तारीखों एवं उनमे शासन की ओर से पैरवी हेतु उपस्थित अधिवक्ताओं की **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अ अनुसार** है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अ अनुसार** है । (ग) मंदिर की सीमा में दुकानों का निर्माण नही है । (घ) प्रश्नांश ग के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नही होता ।

खेल संघो को प्रदत्त अनुदान एवं खेल मैदानो की स्थिति

88. **(क्र. 1529) श्री हर्ष यादव :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विगत तीन वर्षों में विभाग द्वारा सागर संभाग के किन-किन खेल संघो व संस्थाओं को वर्षवार कितना-कितना अनुदान दिया गया है ? इन संस्थाओं द्वारा उक्त राशि से किन-किन खेलों के क्षेत्र में

क्या-क्या कार्य कराया गया, विवरण दें ? राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र दें ? (ख) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा कबड्डी खेल के प्रति उदासीनता अपनाते हुए इससे संबंधित खेल संघो को अनुदान में कटौती की गई है अथवा अनुदान नहीं दिया गया, क्यों ? (ग) देवरी विधानसभा क्षेत्र के किन-किन विद्यालयों/ग्राम पंचायतों में विभाग की योजनानुसार खेल मैदानों का निर्माण/विस्तार प्रस्तावित है ? यह कार्य कब तक पूर्ण कराये जावेंगे ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) सागर संभाग के खेल संघों/संस्थाओं को विगत तीन वर्षों में प्रदत्त अनुदान से संबंधित **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) जी नही । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नही होता है । (ग) देवरी में मल्टीपरपज हॉल एवं सिलारी में प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य क्रमश दिनांक 07.12.2013 एवं 30.06.2013 को पूर्ण हुआ है । खेल प्रशिक्षण केन्द्र सिलारी हेतु रूपये 48.79 लाख के अतिरिक्त कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 26.07.2013 प्रदान की गई है, जिसके पूर्ण होने की संभावित तिथि वर्तमान में बताई जाना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट - "चौबीस"

औद्योगिक इकाइयों/समूहों के सामाजिक दायित्व

89. **(क्र. 1533) श्री नारायण त्रिपाठी :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रदेश में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों/समूहों के लिए प्रभावित/कार्यरत क्षेत्र में समाज कल्याण, पर्यावरण व विकस कार्यों को कराने सम्बंधी सोशल कार्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी के तहत कोई घोषित/अघोषित व उल्लेखित नियम, नीति, निर्देश, प्रावधान लागू अथवा प्रचलित हैं ? यदि हां तो क्या-क्या ? (ख) क्या किसी उद्योग समूह/संस्था द्वारा अपने प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा, पर्यावरण, पेयजल, विकास व जन कल्याण संबंधी कोई कार्य कराये जाते हैं ? क्या इस हेतु कोई नीति निर्धारित हैं ? (ग) सतना जिले में स्थापित औद्योगिक इकाइयों द्वारा विगत पॉच वर्षों में क्या किन्हीं क्षेत्रों में प्रश्नांश (ख) वर्णित कार्य कराये गये हैं ? यदि हां तो किन संस्थाओं, निकायों के माध्यम से किस उद्योग द्वारा कहां-कहां पर क्या-क्या विकास/समाज कल्याण के कार्य कराये गए हैा ? इन पर उद्योग संस्था/इकाई द्वारा कार्यवार कितनी राशि व्यय की गई हैं ? क्या शासन की किसी इकाई/एजेंसी द्वारा इनका निरीक्षण कभी कराया गया हैं ? नहीं तो क्यों ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) जी हॉ । कार्पोरेट सामाजिक दायित्व की निर्वहन के संबंध में केन्द्रीय सरकार कंपनी अधिनियम 2013की धारा की 135 के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पांच सौ करोड रूपये या अधिक के शुद्ध मूल्य वाली या एक हजार करोड रूपये या अधिक के आवर्त वाली या पांच करोड रूपये या अधिक के शुद्ध लाभ वाली प्रत्येक कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ठीक तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान किए गये कंपनी के

औसत शुद्ध लाभों का कम से कम दो प्रतिशत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुसरण में खर्च करती है । कंपनियो के द्वारा कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के निर्वहन को व्यवस्थित करने के लिये कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अधीन कंपनी कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति नियम,2014 जारी किये गये जो एक अप्रैल 2014 से लागू हो गये हैं । इन नियमों के तहत प्रत्येक कंपनी को कार्पोरेट सामाजिक दायित्व की बाध्यता है तथा उस दायित्व का निर्वहन प्रत्येक कंपनी में गठित कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति के माध्यम से होगी । कार्पोरेट सामाजिक दायित्व की गतिविधियों के संबंध में कंपनी अधिनियम के शेडयूल-7 के तहत चौडा कार्य वर्ग निर्धारित है । इनके संबंध में समय समय पर स्पष्टीकरण जारी करते हुये भारत सरकार ने उन कार्यों की उदार व्याख्या की है । (ख) जी हॉ,कंपनी अधिनियमों के प्रावधान के तहत बडी संख्या में प्रारंभ होने वाले कार्पोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों को सुगम करने तथा उनके क्रियान्वयन को सुव्यस्थित करने के उद्देश्य से राज्य शासन के द्वारा कार्पोरेट सामाजिक दायित्वों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये जाने हेतु कार्यवाही प्रचलन में है । (ग) सतना जिले में स्थापित दो औद्योगिक इकाईयों यथा मेसर्स युनिवर्सल केबल्स लिमिटेड एवं सतना सीमेंट वर्क्स द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अनुसार विगत 5 वर्षों में सोशल कार्पोरेट रिसपोन्सबिलिटी के तहत संपादित कार्यो एवं व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । राज्य शासन द्वारा कार्पोरेट सामजिक दायित्व के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये जाने के पश्चात प्रभावी कार्यवाही संभव होगी ।

<u>सीहोर जिले में स्थापित उद्योग</u>

90. **(क्र. 1537) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2012, 2013, 2014 में सीहोर जिले में कितने उद्योग स्थापित हुए ? कितने उद्योग स्थापना हेतु कहां-कहां प्रस्तावित हैं ? (ख) स्थापित उद्योगों से कितना रोजगार सृजन हुआ ? इन उद्योगों से कितने जिले के स्थानीय निवासियों को रोजगार मिला ? (ग) इन उद्योगों में कितनी ट्रेड यूनियन कहां-कहां गठित है ? अगर नहीं तो क्यों ? (घ) ट्रेड यूनियन गठन के क्या नियम हैं ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) वर्ष 2012,2013,2014 में सीहोर जिले में क्रमश: 96,61 तथा 59 कुल 216 उद्योग स्थापित हुए । 144 उद्योग स्थापना हेतु प्रस्तावित हैं । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) उक्त स्थापित उद्योगों में कुल 3501 का प्रत्यक्ष रोजगार सृजन हुआ है । इन उद्योगों से जिले के 2295 स्थानीय निवासियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है । (ग) प्रश्नागत अवधि के उक्त उद्योगों में कोई भी यूनियन गठित नही है । कोई भी यूनियन स्वप्ररेणा से गठित होने हेतु अग्रसर होती है । (घ) ट्रेड यूनियनों का गठन व्यवसाय संघ अधिनियम,1926 (केन्द्रीय अधिनियम) के अनुसार होता है ।

घोड़ाडोंगरी विधानसभा क्षेत्र में वन परिक्षेत्र

91. **(क्र. 1545) श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में कितने वन परिक्षेत्र है ? कितने हेक्टेयर वन भूमि है ? (ख) वन ग्राम कांटावाड़ी लघु सिंचाई योजना कब प्रारंभ हुई थी ? (ग) शाहपुर से कांटावाड़ी तक माचना नदी में कोई सिंचाई योजना प्रस्तावित है ? (घ) वनग्राम में कितने आदिवासी पट्टे धारी है ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार): (क) प्रश्नांकित क्षेत्र में **07** वन परिक्षेत्र हैं । जिनमें **112026.526** हेक्टैयर वनभूमि है । (ख) कांटावाड़ी, जो वनग्राम नहीं हैं, में लघु सिंचाई योजना प्रारंभ नहीं की गई है । (ग) वन विभाग द्वारा कोई सिंचाई योजना प्रस्तावित नहीं की गई है । (घ) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

निर्माणधीन रतलाम-बांलवाडा मार्ग में अनियमितता

92. **(क्र. 1546) श्रीमती संगीता चारेल :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है रतलाम बांलवाडा मार्ग निर्माणधीन होकर अधूरा है ? यदि हॉ, तो कार्य बंद होने का कारण बतायें ? (ख) रतलाम बालवाडा मार्ग चौड़ीकरण कार्य कितनी लागत में, किस व्यक्ति/फर्म/कंपनी को, किस दिनांक को दिया गया ? इसकी प्रशासकीय, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति कब-कब प्राप्त हुई ? कार्य कितने दिनों में पूर्ण होने का लक्ष्य रखा ? (ग) प्रश्न (ख) से संदर्भित कार्य क्या निर्धारित अवधि में पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो इसमें देरी के लिये ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही तथा ठेकेदार से पेनलटी वसूल की जाएगी ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) रतलाम सैलाना बासवाडा मार्ग का कार्य बी.ओ.टी. (टोल एन्युटी) आधार पर निर्माणाधीन है । जी नहीं, अपितु कार्य प्रगतिरत है, अत: शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । (ख) रतलाम बासवाडा मार्ग निर्माण हेतु बी.ओ.टी. (टोल एन्युटी) योजनांतर्गत निवेशकर्ता कंपनी अग्रोहा रतलाम सैलाना टोलवेज प्रा.लिमि. इन्दौर के साथ दिनांक 17.05.13 को अनुबंध किया गया है । प्रशासकीय स्वीकृति रू. 117.28 करोड़ की दिनांक 23.3.2013 को जारी की गई । बी.ओ.टी. कार्य होने से तकनीकी स्वीकृति अपेक्षित नहीं । कन्सेशन अनुबंध अनुसार निर्माण अवधि 730 दिन है जो दिनांक 09.11.2013 (अपाइंटेड डेट) से प्रारंभ होकर दिनांक 08.11.2015 तक है । (ग) कार्य की समयावधि अभी शेष है, अत: ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही एवं पेनल्टी वसूल करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

जीर्ण-शीर्ण शासकीय आवासों की मरम्मत

93. **(क्र. 1550) श्री रणजीतसिंह गुणवान :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लो.नि.वि. भोपाल के नया संभाग अंतर्गत अनुविभागीय कार्यालयों, टी.टी. नगर क्षेत्र, तुलसी नगर क्षेत्र, शिवाजी नगर क्षेत्र में 1 जनवरी 2014 से प्रश्न दिवस तक कितने शासकीय आवास (वर्गवार) जीर्ण शीर्ण अवस्था में है ? (ख) क्या प्रश्नांकित शासकीय आवासों के जीर्ण-शीर्ण अवस्था/रिक्त स्थिति की जानकारी संपदा संचालनालय को दे दी है ? इनमें से कितने आवास सुधार कर आवंटित किये जाने योग्य है, इन्हें सुधार किये जाने हेतु कोई प्रस्ताव शासन को भेजे गये है ? वेकेन्ट रिपोर्ट के आधार पर वर्गवार कितने शासकीय आवास वर्तमान में रिक्त हैं ? (ग) प्रश्नांकित क्षेत्र में जीर्ण-शीर्ण आवासों को तोड़ने हेतु किन-किन को (एजेंसियों) अधिकृत किया गया है ? इन क्षेत्रों के आवासों से कितनी मात्रा में खिड़किया, दरवाजे निकाले गये तथा इन्हें कहां-कहां भण्डारति किया गया हैं तथा इनका क्या उपयोग किया जाना है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) दिनांक 01.01.2014 से प्रश्न दिनांक तक क्षतिग्रस्त घोषित जीर्ण-शीर्ण आवासो की वर्गवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है । (ख) जी हॉ । इनमे से कोई भी आवास सुधार कर आवंटित किये जाने योग्य नही है । इन्हे सुधार किये जाने हेतु कोई प्रस्ताव प्रश्न दिनांक तक शासन को नही भेजे गये है । शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है । (ग) प्रश्नांकित क्षेत्र मे जीर्ण-शीर्ण आवासो को तोडने हेतु (प्रश्न दिनांक से पूर्व मे क्षतिग्रस्त घोषित) आदर्श पेकर्स एण्ड मूवर्स एजेंसी भोपाल को दिनांक 24.04.2013 को अधीकृत किया गया है । अनुबंधानुसार जीर्ण-शीर्ण आवासो को तोडने के उपरान्त निकलने वाली सामग्री (बिजली उपकरण छोडकर) पर संबंधित एजेंसी का अधिकार है । अत: शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नही होता है ।

परिशिष्ट - "पच्चीस"

दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही

94. **(क्र. 1636) श्री आरिफ अकील :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 31 मार्च 2013 को समस्त वित्तीय वर्षो के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर सी.ए.जी रिपोर्ट अध्याय-2 में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. में बनाओं, चलाओ, हस्तांतरण करों योजना का मूल्यांकन एवं प्रबंधन पर समीक्षा सी.ए.जी. की रिपोर्ट में की गई है ? (ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में किन-किन अनियमित्ताओं पर उल्लेख किया गया है ? यदि हां, तो कितनी राशि की वित्तीय अनियमित्ताओं का पर्दाफाश किया गया बतावें ? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि किन-किन के विरूद्ध कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई, तथा किन-किन के विरूद्ध कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है ? यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बतावें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) जी हॉ । (ख) सी.ए.जी. का प्रतिवेदन अनुशंसात्मक है । इसमें दी गई अनुशंसायें **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । इसमें किसी वित्तीय अनियमितता का उल्लेख नहीं है । (ग) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - "छब्बीस"

अतारांकित प्रश्नोत्तर

यातायात बढ़ने के कारण सड़को का चौड़ीकरण

1. **(क्र. 66) श्री मुकेश नायक :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह-हटा, अमानगंज-पन्ना, अजयगढ़-नरेली राज्य मार्ग क्रमांक 47 का निर्माण कार्य कब हुआ था और वर्ष 2012-13, 2013-14 में लगभग 180 किलमीटर लंबे इस राज्य मार्ग पर सुधार मरम्मत कार्य में कितना खर्च हुआ है ? (ख) इस राज्य मार्ग पर यातायात परिवहन के बढ़ते दबाव को ध्यान में रखकर क्या इसके चौड़ीकरण का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं तो क्या उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले इस राज्य मार्ग के चौड़ीकरण के लिये शासन विचार करेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) जी नहीं । वर्तमान में नहीं ।

परिशिष्ट – ''सत्ताइस''

जिला शाजापुर में स्थित मंदिर के नाम दर्ज भूमि

2. **(क्र. 109) श्री अरूण भीमावद :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शाजापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत धर्मस्व विभाग (देव स्थान) के अंतर्गत कितने मंदिर हैं ? इनमें से किस-किस मंदिर के नाम भूमि/कृषि भूमि मंदिर के खातों में दर्ज है ? (ख) क्या धर्मस्व विभाग के मंदिरों की भूमि को पुजारी द्वारा किसी अन्य को अंतरित की जाकर खसरे में विक्रेता का नाम अंकित किया जा चुका है ? इस संबंध में कलेक्टर शाजापुर को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? व उनका क्या निराकरण किया ? (ग) क्या म.प्र. शासन द्वारा ऐसे अवैध अंतरण के संबंध में खसरे से अवैध भूमि अन्तरण के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जाकर पुन: मंदिर के नाम किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं ? (घ) विधान सभा क्षेत्र शाजापुर में कितने मंदिर की भूमि का अन्तरण जो अवैध रूप से किया गया था, उसे वापस मंदिर के नाम कराया गया है, की सूची प्रदान करें ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क)शाजापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत धर्मस्व विभाग (देवस्थान) के अंतर्गत कुल 700 मंदिर है इनमें से जिस-जिस मंदिर के नाम भूमि/कृषि भूमि मंदिर के खातों मे दर्ज है **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है (ख) धर्मस्व विभाग के मंदिरों की भूमि को पुजारी द्वारा किसी अन्य को अंतरित की जाकर खसरे मे विक्रेता का नाम अंकित नही किया गया है । इस संबंध में कलेक्टर शाजापुर को एक शिकायत प्राप्त हुई है जो श्रीराम मंदिर नीमवाडी शाजापुर के भूमि से संबंधित है । श्रीराम मंदिर नीमवाडी जिस भूमि पर स्थित है वह नजूल आबादी की है । नगरपालिका से प्रतिवेदन प्राप्त कर अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर से जांच कराई जा रही है जिसका निराकरण किया जा रहा है । (ग) (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न

उपस्थित नही होता । (घ) विधानसभ क्षेत्र शाजापुर मे कुल 180 मंदिरों की भूमि का अंतरण जो अवैध रूप से किया गया था उसे वापस मंदिर के नाम कराया गया है तहसीलवार सूची **परिशिष्ट अ पुस्तकालय मे रखे अनुसार**।

मक्सी विश्राम गृह को सुसज्जित किया जाना

3. **(क्र. 110) श्री अरूण भीमावद :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शाजापुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मक्सी औद्योगिक क्षेत्र होकर प्रमुख टप्पा है ? (ख) क्या यह सही है कि शाजापुर विधानसभा में टप्पा मक्सी में लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह है, किन्तु शासन द्वारा उसमें किसी भी प्रकार की सुविधाएँ प्रदान नहीं की जा रही है ? (ग) क्या शासन द्वारा इस विश्राम गृह में कोई अतिरिक्त सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई है, यदि हाँ तो उन का विवरण दिया जावें ? (घ) यदि नहीं, तो कब तक मक्सी विश्राम गृह को सु-सज्जित किए जाने के निर्देश दिए जावेंगे ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) जी हाँ । (ख) जी हाँ । जी नहीं । विश्राम गृह में आवश्यक सुविधाए उपलब्ध है । (ग) जी नहीं । (घ) विश्राम गृह में आवश्यक सुविधाए उपलब्ध होने से आवश्यकता नहीं है ।

वन मण्डल ग्वालियर में खैर के वृक्षो की कटाई

4. **(क्र. 216) श्री भारत सिंह कुशवाह :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वन मण्डल ग्वालियर में खैर के वृक्षों की कटाई हेतु कोई योजना लागू है बतावें ? (ख) वनमण्डल ग्वालियर में वर्ष 2005-06 से 2012-13 तक कितनी रेंजो में कितने-कितने खैर वृक्षों को कटाई हेतु किस-किस कक्ष में मार्क किया गया एवं उन पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? मार्क किये गये खैर के वृक्षों का निवर्तन किस प्रकार किया गया एवं उनसे शासन को कितनी आमदनी हुई ? (ग) यदि खैर के वृक्षों से सरकार को आमदनी नहीं हुई तो मार्क किये गये वृक्षों का क्या हुआ ? क्या वह आज भी मौके पर खड़े है या नहीं ? (घ) यदि मार्क किये गये खैर के वृक्ष खुर्दबुर्द किये गये है तो आज की स्थिति में वृक्षों की कीमत कितनी होगी ? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी है ? उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार): (क) वन मंडल ग्वालियर में वर्तमान में लागू कार्य आयोजना में खैर वृक्षो की मार्किंग एवं कटाई का कोई प्रावधान नहीं है । (ख) प्रश्नांकित अवधि में किसी भी रेंज में खैर वृक्षों को कटाई हेतु मार्क नहीं किया गया है । अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) एवं (घ) उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त प्रस्तावों पर कार्यवाही

5. **(क्र. 235) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन्द्रीय सड़क निधि तथा अन्य कौन-कौन सी योजनाओं में भारत सरकार द्वारा सड़क/भवन निर्माण हेतु राज्य शासन को राशि दी जाती है ? (ख) इस संबंध में क्या-क्या शर्तें, मापदण्ड, प्रावधान है ? पूर्ण विवरण दें ? (ग) रायसेन एवं देवास जिले में केन्द्रीय सड़क निधि से किन-किन सड़कों के प्रस्ताव विभाग को किन-किन माध्यम से 1-1-14 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त हुए ? (घ) उक्त प्रस्तावों पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? पूर्ण विवरण दें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) भारत सरकार सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा सी.आर.एफ., आई.एस.सी., ई.आई. एवं एल.डब्ल्यू.ई. योजना में सडक एवं पुल कार्यो हेतु, राष्ट्रीय राजमार्गो का संधारण हेतु गैर योजना तथा न्याय विभाग अंतर्गत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के निर्माण योजना के अंतर्गत भवन निर्माण हेतु राज्य शासन को राशि दी जाती है । (ख) केन्द्रीय सडक निधि योजना के अंतर्गत सडक परियोजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 24.7.2014 को प्रकाशित राजपत्र में निहित शर्तें, मापदण्ड, प्रावधान के अनुसार प्रदान की जाती है । भवन कार्यो हेतु कोई नीती निर्धारक परिपत्र नहीं है । पूर्ण **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है । (ग) दिनांक 01.01.2014 से प्रश्न दिनांक तक केन्द्रीय सडक निधि योजना के अंतर्गत रायसेन जिले का कोई भी प्रस्ताव विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है एवं देवास जिले के चार कार्यो के प्रस्ताव मुख्य अभियंता लो.नि.वि. उज्जैन एवं प्रमुख अभियंता लो.नि.वि. के माध्यम से प्राप्त हुए है । (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब एवं स, द, इ अनुसार** ।

अभ्यारण्य क्षेत्र के ग्रामों में सुविधाएं

6. **(क्र. 236) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिघोरी अभ्यारण्य में रायसेन जिले के कौन-कौन से ग्राम आते हैं ? (ख) अभ्यारण्य क्षेत्र के ग्रामों में सड़क, बिजली, शालाभवन, नलकूप खनन, हैण्डपम्प जैसी मूलभूत सुविधाओं हेतु क्या-क्या प्रावधान, मापदण्ड, शर्ते हैं ? शासन के निर्देशों की प्रति दें ? (ग) सिघोरी अभ्यारण्य क्षेत्र के ग्रामों में उक्त प्रश्नांश (ख) की मूलभूत सुविधाओं के निर्माण कार्यों पर विभाग के अधिकारियों ने क्यों रोक लगा रखी है ? (घ) उक्त ग्रामों में प्रश्नांश (ख) की मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हों इस हेतु शासन क्या-क्या कार्यवाही करेगा पूर्ण विवरण दें ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार): (क) सिंघौरी अभयारण्य में रायसेन जिले के ग्राम केसली, डुंगरियापाली, बेलगाँव, डूडादेह, पांझिरपा, डगडगा, जैतगढ़, डुंगरिया माधामऊ, नयाखेड़ा, रमपुरा, बाजनी, कुकवाड़ा, भजिया, चैर पिपरिया, सियलबाड़ा, गोपालपुर वीरान, गगनबाड़ा, रमगढ़ा वीरान, करतोली, बिलाई एवं पोंड्री आते हैं । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (ग) एवं (घ) प्रश्नाधीन

क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के निर्माण कार्यों पर रोक नहीं लगाई गई है । नियमानुसार आवेदन प्राप्त होने पर मूलभूत सुविधाओं के निर्माण हेतु अनुमति जारी की जाती है ।

ग्वालियर जिले के मंदिरो एवं अन्य स्थलों में व्यय की गई राशि

7. **(क्र. 255) श्री भारत सिंह कुशवाह :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) ग्वालियर जिले में धर्मस्व एवं पुरातत्व विभाग के अंतर्गत कौन-कौन धार्मिक मंदिर एवं अन्य स्थल आते है ? स्थान, गांव का नामवार सूची बतायें ? (ख) 01 जनवरी 2012 से 31 दिसम्बर 2014 तक कितने मंदिरों एवं अन्य स्थलों का जीर्णोद्धार कब-कब कराया गया तथा उक्त कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? (ग) मंदिरों एवं अन्य स्थलों के जीर्णोद्धार हेतु विभाग द्वारा जो राशि जिस कार्य के लिये स्वीकृत की गई थी ? उनमें कौन-कौन से स्थलों के कार्य पूर्ण हो चुके है एवं किन-किन स्थलों के कार्य अपूर्ण है ? शेष स्थानों के अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण किये जायेंगे ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार

8. **(क्र. 270) श्री मधु भगत :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कितने ऐसे मंदिर एवं धार्मिक स्थल हैं, जिनको धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व में शामिल किया गया है ? (ख) परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कितने मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु शासन द्वारा विगत 10 वर्षों में कितनी राशि स्वीकृत की गई ? ग्रामवार मंदिरों के नाम तथा स्वीकृत राशि की जानकारी दें ? (ग) धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा मंदिरों तथा धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार हेतु कौन-कौन सी योजनाऐं संचालित हैं ? (घ) परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अंतर्गत मंदिरों के खातों में कितनी राशि तथा कितनी भूमि मंदिरों के स्वामित्व में है ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिताएं

9. **(क्र. 271) श्री मधु भगत :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य स्तर, संभाग स्तर एवं जिला स्तर पर कौन-कौन सी प्रतियोगिताएं एवं किस-किस वर्ग के लिये एवं कब-कब आयोजित की जाती है, इसके क्या नियम है ? (ख) जबलपुर संभाग में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में संभाग स्तर एवं जिला स्तरों पर कौन-कौन सी खेल प्रतियोगिताएं कब-कब आयोजित की गई एवं किन-किन विभागों एवं संस्थाओं द्वारा इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया एवं उस पर कितना-कितना व्यय किया गया ? (ग) क्या संभाग स्तर एवं जिला स्तरों पर क्रिकेट एवं कबड्डी प्रतियोगितायें भी आयोजित की जाती है, यदि हां, तो इन प्रतियोगिताओं के लिये क्या नियम है ? इनके लिये कितना-कितना बजट

उपलब्ध कराया जाता है ? क्या वर्ष 2014-15 के लिये प्रतियोगिताओं के आयोजन की तैयारी कर ली गई है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी प्रतियोगिताएं कहां-कहां आयोजित की जावेगी ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा निम्नानुसार नियमित प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है- 1. ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता - विकासखण्ड, जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर । 2. महिला खेलकूद प्रतियोगिता - जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर । 3. युवा अभियान प्रतियोगिता - अंतरथाना, विकासखण्ड, जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर । ग्रामीण एवं महिला खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भारत सरकार के निर्धारित कैलैण्डर अनुसार माह अगस्त से माह मार्च के मध्य किया जाता है एवं युवा अभियान प्रतियोगिता का आयोजन माह दिसंबर से माह मार्च के मध्य विभिन्न स्तरों पर किया जाता है । महिला, ग्रामीण खेलकूद एवं युवा अभियान प्रतियोगिताओं के नियमों की मार्गदर्शिका **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है । (ग) जी हाँ । नियम **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है । आवंटित बजट की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है । जी हाँ । कबड्डी खेल का आयोजन दिनांक 13 से 15 मार्च 2015 तक इंदौर में किया जाना है तथा क्रिकेट खेल का आयोजन दिनांक 21 से 23 फरवरी, 2015 तक शिवपुरी में किया जाना है ।

कटनी जिले के मार्गो की स्थिति

10. **(क्र. 318) श्री संजय पाठक :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, जिला-मार्ग, उपजिला मार्ग, ग्रामीण मार्ग है, तथा ये कहां से कहां तक है ? मार्गवार ब्योरे सहित सूची दें ? (ख) प्रश्नांश (क) मार्गों में से कितने मार्ग पक्के एवं कितने कच्चे मार्ग है ? तथा इन मार्गों का निर्माण किन-किन योजनाओं के अंतर्गत कब-कब कराया गया ? ब्योरा दें ? (ग) प्रश्नाधीन मार्गों में से जो मार्ग कच्चे हैं उनका निर्माण किन योजनाओं से कराया जाना प्रस्तावित है ? ब्योरे सहित सूची प्रश्नांश (क) के अनुसार उपलब्ध करावें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार** है । (ख) उत्तरांश 'क' अनुसार । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ-1'** के कॉलम 12 अनुसार है ।

पिपरी से मछलगांव मार्ग निर्माण

11. **(क्र. 409) श्री सचिन यादव :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिपरी से मछलगॉव मार्ग के संबंध में क्या मु.अ.लो.नि.वि. (प) जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 4527 दिनाँक 30.09.14 का पत्र प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि., भोपाल को कब प्राप्त हुआ और उस

पर प्रश्न दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई ? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित प्रतिवेदन के संबंध में कितने-कितने पत्र प्रश्नकर्ता एवं किस-किस के माध्यम से कब-कब प्राप्त हुए और विभागीय स्तर पर कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (ग) उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? समय सीमा बतायें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) दिनांक 10.10.2014 को । **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ग) स्वीकृति प्राप्त न होने से वर्तमान में समय-सीमा बताना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट - "अट्ठाइस"

सड़क मार्ग के निर्माण कार्य

12. **(क्र. 410) श्री सचिन यादव :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मु.अ.लो.नि.वि. (प) जिला इंदौर का पत्र क्रमांक 5444-45, दिनाँक दिनाँक 26.11.14 प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि. भोपाल को कब प्राप्त हुआ और उस पर प्रश्न दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई ? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में कितने-कितने पत्र प्रश्नकर्ता एवं किस-किस के माध्यम से कब-कब प्राप्त हुए और विभागीय स्तर पर कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (ग) उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? समय सीमा बतायें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) दिनांक 10.02.2015 को । पत्र पर परीक्षण प्रक्रियाधीन है । (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ग) प्रस्ताव प्रक्रियाधीन होने से समय-सीमा बताना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट - "उनतीस"

वन विभाग के अमले द्वारा की गई गोली कांड की जांच।

13. **(क्र. 520) श्री जतन उईके :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि बिछुआ थाना क्षेत्र के ग्राम गुलशी में दिनांक 22 सितम्बर 2014 को वन विभाग के अमले द्वारा की गई गोली कांड में संगीता पति नरेश एवं शामराव पिता मन्नु की मृत्यु हो गई है ? क्या राज्य शासन इस गोली कांड की सघन तथा तत्काल जांच कर दोषियों को दण्डित किये जाने की कोई कार्यवाही कर रहा है ? (ख) यदि हां, तो जांच कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जावेगी ? एवं दोषियों को कब तक दण्डित किया जायेगा ? (ग) क्या इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए भी शासन द्वारा कोई नीति बनायी जायेगी ? (घ) क्या शासन द्वारा मृतक परिवार को मृतक सहायता प्रदाय की गयी है ? यदि हां, तो कितनी है ? यदि नहीं तो कब तक एवं कितनी सहायता राशि प्रदाय की जावेगी ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार): (क) एवं (ख) जी हां । कलेक्टर छिन्दवाडा द्वारा शासन को प्रेषित घटना की मजिस्ट्रियल जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही प्रचलित है । समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है । (ग) इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए पृथक से दिशा -निर्देश जारी किये जायेंगे । (घ) जी हां । मृतकों के परिवार को दो-दो लाख रूपये की अनुग्रह राशि प्रदान की गई है । शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

चम्बल नदी में बढ़ते प्रदूषण पर रोक

14. **(क्र. 611) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 25 जनवरी 2015 तक की स्थिति में चम्बल नदी का जल किस स्थान पर सबसे अधिक व किस स्थान पर सबसे कम प्रदूषित है ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत चम्बल में बढ़ते प्रदूषण का करण क्या हैं ? प्रदूषण की रोकथाम के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ? (ग) क्या चम्बल में हो रहे निरंकुश उत्खनन से उसका मूल स्परूप नष्ट हो रहा है ? क्या निरंकुश उत्खनन से जीव जन्तुओं के अस्तित्व को लेकर कोई खतरा उत्पन्न हो रहा है ? यदि हां, तो क्या ? उत्खनन पर रोक लगायी जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? कैसे ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) चंबल नदी के 13 बिंदुओं पर जल गुणवत्ता का मापन किया जाता है । भारतीय मानक 2296 के अनुसार चंबल नदी की गुणवत्ता "ए" से "ई" के बीच है । ग्राम गीदगढ़, जिला उज्जैन नागदा शहर से लगभग तीन किलोमीटर दूरी पर "ई" श्रेणी में है तथा धोलपुर रोड ब्रिज के पास मुरैना में "ए" श्रेणी में है । (ख) नागदा कस्बे के रहवासी क्षेत्र से अनुपचारित निस्त्राव तथा उद्योग मेसर्स ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज लि. नागदा से उत्पन्न औद्योगिक निस्त्राव नाले के माध्यम से चंबल नदी मे मिलता है । उद्योग में प्रक्रिया से उत्पन्न निस्त्राव हेतु उपचार संयंत्र स्थापित है तथापि उपचारित निस्त्राव की पूर्ण मात्रा का प्रक्रिया में पुर्नउपयोग नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उद्योग को उपचारित निस्त्राव को पुर्नउपयोग करने हेतु निर्देशित किया गया है । (ग) जीव जंतुओं के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है । चंबल नदी में रेत के अवैध उत्खनन को रोकने हेतु प्रशासन द्वारा सखत कार्यवाही की जाती है ।

शासकीय आवासों में मरम्मत एवं पुताई

15. **(क्र. 612) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड एवं ग्वालियर जिलों में शासकीय आवासों में मरम्मत/पुताई के लिये वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में व्यय करने के लिये आवंटित की गयी ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिलों में समयानुसार उक्त आवंटित राशि से किस-किस स्थान पर कितनी-कितनी राशि के मरम्मत एवं पुताई के कार्य कराये गये ? जिलेवार/राशिवार/वर्षवार/दर वार/भुगतानवार/कार्यवार/स्थानवार विवरण दें ? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित जिलों में कराये गये मरम्मत एवं पुताई के कार्यों का कितना-कितना भुगतान किस-किस

को कब-कब किया ? वर्षवार/जिलेवार/राशिवार/फर्मवार/विवरण दें ? (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित जिलों में कराये गये मरम्मत एवं पुताई के कार्यों का स्थल पर भौतिक सत्यापन किस-किस नाम/पदनाम के अधिकारियों द्वारा कब-कब किया गया ? वर्षवार/जिलेवार/कार्यवार/स्थलवार जानकारी दें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार** है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार** है । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार** है । (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार** है ।

उद्योगों एवं रोजगार की जानकारी एवं अनियमितता

16. **(क्र. 643) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) गुना जिले में ऐसी कितनी भूमि उद्योगों को आवंटित की थी जो समय सीमा में उपयोग नहीं हुई या रिक्त पड़ी है ? क्या वह भूमि नवीन उद्यानियों को देने की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो कब तक, किस रीति से देंगे जानकारी दें ? (ख) गुना जिले में आगामी वित्त वर्षों में क्या उद्योगों को कोई भूमि आवंटन की योजना है ? यदि हॉ, तो कब तक एवं क्या रोजगार बढ़ाने हेतु बेरोजगारी, गरीबो, महिलाओं अनु.जाति, जनजाति, ओ.बी.सी. के लोगो को रोजगार दिया जायेगा ? कब और कैसे कारण सहित विवरण दें ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) गुना जिले में ग्राम बमौरी बुजुर्ग/ढोलबाज में मेसर्स जे.के.जूट मिल्स, कानपुर को वर्ष 1987 में 7.980 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया था, किन्तु इकाई द्वारा अपना उद्‌योग स्थापित न करने से भूमि उद्‌योग विभाग को वापस प्राप्त हो गई । इस भूमि का आवंटन मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम-2008 के तहत किया जाएगा । औद्योगिक क्षेत्र, कुसमौदा में 48630 वर्गमीटर औद्योगिक भूमि उद्योग स्थापित करने हेतु आवंटित की गई है । विद्युतीकरण के अभाव में इकाईयां स्थापित नहीं हो सकी हैं । वर्तमान में विद्युत व्यवस्था लगभग पूर्ण हो चुकी है । उद्योग स्थापित करने हेतु छः माह की अवधि में उद्योग प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया गया है । उक्त् समय-सीमा में उद्योग स्थापित न करने से उक्त भूमि स्वमेव निरस्त मान्य करने संबंधी उल्लेख किया गया है । यदि उक्त इकाईयां समय-सीमा में उद्योग स्थापित नहीं करती हैं तो शासन के भूमि आवंटन के नियमों के तहत नवीन उद्यमियों को भूमि आवंटन की कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में की जावेगी । (ख) ग्राम सकतपुर, तहसील गुना में 80.00 हेक्टेयर एवं ग्राम पिपरौदा खुर्द में 37.329 हेक्टेयर, ग्राम कुंभराज में 26.482 हेक्टेयर, ग्राम कुसमौदा (विस्तार) में 8.333 हेक्टेयर, कुल 152.144 हेक्टेयर भूमि नवीन उद्यमियों को आवंटित करने हेतु उद्योग विभाग को प्राप्त हो चुकी है । औद्योगिक विकास केन्द्र, चैनपुरा, तहसील राधौगढ में 234.760 हेक्टेयर विकसित भूमि आवंटन हेतु आई.आई.डी.सी.,ग्वालियर के आधिपत्य में है । डी.एम.आई.सी. गुना पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड को 90

हेक्टेयर भूमि के आवंटन की योजना है । इकाई द्वारा भूमि आवंटन हेतु पूर्ण राशि जमा करने पर भूमि आवंटित की जावेगी । इकाई स्थापित होने पर, उनकी आवश्यकतानुसार लोगों को रोजगार दिया जावेगा ।

ट्रस्टों की संपत्ति पर कब्जा एवं वित्तीय अनियमितता

17. **(क्र. 644) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या गुना जिले के समस्त धार्मिक मंदिरों एवं माफीदार, ईमानदार एवं ट्रस्टो के मंदिर पुजारी जीवित है ? यदि नहीं, तो कब तक नये पुजारी बनेगे एवं क्या उक्त सम्पत्ति जो ग्रामीण एवं शहरों में है उन पर कितनी भूमि, भवनों, मंदिरों पर कब्जा है, वह कब और कैसे हटेगें ? (ख) गुना जिले के ग्रामीण अंचलों की ऐसी कितनी सम्पत्ति है जिन पर पुजारी द्वारा संचालन नहीं है ? उन पर विभाग ने क्या व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो कब तक करेंगे एवं क्या मंदिर माफी भूमि को भूमि सुधार हेतु विक्रय का अधिकार है, जानकारी दें ? (ग) क्या मंदिर माफी भूमि, शहरी मंदिर ट्रस्टी की भूमि, भवन, मंदिर, ईनामदार, छूटदार, खातेदार की भूमि पर कोई वित्तीय अनियमितता या अवैध कब्जा या विक्रय होने से अनियमितता हुई है कारण सहित जानकारी दें ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) गुना जिले मे चाचौडा के 13 एवं तहसील कुंभराज के 1 कुल 14 मंदिरों के पुजारी फौत हो चुके है । तहसील कुंभराज के एक पुजारी के नामांतरण की कार्यवाही की जा चुकी है । शेष पुजारियों क नामांतरण की मंदिर एवं माफीदार ईमानदार एवं ट्रस्टों के पुजारी जीवित है और उनका मंदिरों एवं ट्रस्टों के पुजारी जीवित है और उनका मंदिरों एवं ट्रस्टों की सम्पति पर कब्जा है । (ख) जिला गुना क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण अंचलों मे ऐसी कोई सम्पत्ति नही है जिसमें पुजारियों द्वारा संचालन नही किया जा रहा है । मंदिर माफी भूमि को विक्रय का अधिकारी नही है । (ग) गुना जिले मे मंदिर माफी भूमि, शहरी मंदिर ट्रस्टों की भूमि भवन मंदिर ईनामदार छूटदार खातेदार की भूमि पर कोई वित्तीय अनियमितता या अवैध कब्जा या विक्रय होने से संबंधी कोई अनियमितताऐं नही हुई है ।

सुतारी कार्य में आने वाले औजारों पर प्रतिबंध

18. **(क्र. 654) श्री आशीष गोविंद शर्मा :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले की कन्नौद खातेगांव तहसील में सुतारी कार्य के कितने लायसेंस धारी कारखाने हैं ? (ख) क्या शासन द्वारा कन्नौद खातेगांव तहसील में सुतारी कार्य के लायसेंस धारी कारखानों में उपयोग किये जाने वाले औजारों मशीन उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ? यदि हॉ, तो कब से ? दिनांक व वर्ष बतावें ? (ग) अगर शासन द्वारा सुतारी कार्य में आने वाले औजारों रूलदा एवं कटर मशीनों पर रोक लगा दी गई है ? यदि हॉ, तो रोक (पाबंदी) कब तक हटाई जावेगी, स्पष्ट करें ? (घ) क्या रून्दा कटर मशीन के अलावा लकड़ी के कार्य के लिये उपयोग में आने वाले अन्य औजारों मशीन उपकरणों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है ? कृपया नाम सहित बतावें ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार): (क) प्रश्नाधीन क्षेत्र में वर्ष 2014 में 32 विनिर्माताओं का पंजीकरण किया गया था तथा वर्ष 2015 में विनिर्माता हेतु 38 आवेदन प्राप्त हैं । (ख), (ग) एवं (घ) जी नहीं । शासन द्वारा सुतारी कार्य में आने वाले औजारों, रून्दा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है । केवल चक्राकार आरा (कटर), 12 इंच व्यास तक, पर दिनांक 11.01.2011 से प्रतिबंध है ।

कन्नौद से आष्टा सड़क निर्माण

19. **(क्र. 656) श्री आशीष गोविंद शर्मा :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले के कन्नौद से सिहोर जिले के आष्टा तक M.P.R.D.C द्वारा किये गये सड़क निर्माण में कितनी राशि व्यय की गई थी वर्ष वार जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर सड़क निर्माण के साथ-साथ दोनो तरफ की पट्टी (साइड) को भरकर सड़क के बराबर (लेवल) तक भरी जाना थी जो नहीं भरी गई क्यों ? कारण बतावें ? (ग) क्या यह सही है कि मार्ग की हालत पूर्णत: जर्जर होकर मार्ग में बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं जिसके कारण आये दिन दुर्घटना होती रहती है क्या इस मार्ग के दुरूस्तीकरण हेतु कार्य योजना है ? यदि हां, तो योजना में कितना व्यय होगा एवं योजना का क्रियान्वयन कब से प्रारंभ होगा, समयावधि बतावे ? (घ) उक्त मार्ग को पुन: निर्माण हेतु विभाग द्वारा कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है ? यदि हां, तो कार्य का प्रारंभ दिनांक एवं कार्यपूर्ण होने का दिनांक बतावें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) देवास जिले के कन्नौद से सिहोर जिले के आष्टा तक एम.पी.आर.डी.सी द्वारा सडक निर्माण में वर्ष 2008-09 मे रेग्यूलर कान्टेक्ट के तहत 31.62 करोड रूपये व्यय किये गये । (ख) जी नही । सडक निर्माण के साथ-साथ दोनो तरफ की पटरी भरी गई थी । (ग) जी नही । मार्ग के नियमित रखरखाव हेतु ओ.एम.टी योजना मे कार्यवाही प्रचलित है । योजना में राशि का व्यय निजी निवेशक द्वारा किया जावेगा एवं योजना का क्रियावयन शीघ्र प्रारम्भ होने की संभावना है । (घ) जी नही । शेष का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता ।

ई-वेस्ट को नष्ट करने की योजना

20. **(क्र. 670) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा ई-वेस्ट को नष्ट करने की योजना क्रियांवित है ? (ख) यदि हां, तो इन्दौर जिले में विगत पॉच वर्षों में कितना ई-वेस्ट नष्ट किया गया ? विवरण दें ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) जी नहीं । (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

इन्दौर के होटल प्रेसीडेंट पार्क में पांच मंजिला भवन के निर्माण में अनियमितता

21. **(क्र. 671) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि इन्दौर में बायपास स्थित होटल प्रेसीडेंट पार्क में पांच मंजिला भवन का निर्माण नियमानुसार नहीं किया गया है ? (ख) यदि हां, तो होटल निर्माण में क्या-क्या अनियमितताएं हुई ? (ग) होटल निर्माण में की गई अनियमितताओं हेतु संबंधित विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) जी हॉ । (ख) अवैध निर्माण । (ग) अवैध निर्माण संबंधी जांच एवं कार्यवाही जिला प्रशासन इन्दौर द्वारा किया गया है। तेरहवें अपर जिला न्यायाधीश इन्दौर के समक्ष दीवानी प्रकरण क्रमांक 102-ए/2012 में आदेश दिनांक 18.05.2013 द्वारा अन्तिम निराकरण होने तक अवैध निर्माण के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया है।

सिवनी जिले के मनरेगा कार्य में व्यय राशि

22. **(क्र. 685) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में वर्ष 2009 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा एवं अन्य मद से कौन-कौन से विभागीय कार्य किये गये और कितनी राशि खर्च की गई ? विधानसभा क्षेत्र वार जानकारी देवें ? (ख) क्या यह सही है कि वन विभाग सिवनी डिविजन में मनरेगा से तार फैसिंग हेतु तार खरीदी हुई ? यदि हां तो यह कार्य कब और कहां हुआ ? इस कार्य का मूल्यांकन किस एजेंसी द्वारा किया गया और कितना आया ? (ग) यदि नहीं हुआ तो इतने दिनों से खरीदे हुए तार एवं राशि का क्या उपयोग किया गया ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार): (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है । (ख) एवं (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है ।

पुल-पुलियाओं की मरम्मत

23. **(क्र. 686) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में विभिन्न विभागों द्वारा निर्मित पुल-पुलिया जो आज जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है उनकी देख-रेख अथवा मरम्मत का कार्य संबंधित विभाग करेगा या शासन अलग से राशि उपलब्ध कराएगा ? (ख) सिवनी जिले में कितने पुल-पुलियाएं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ? जिनकी गारंटी की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है ? क्या उनकी मरम्मत का कार्य होगा ? यदि हां, तो कब तक ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत जीर्ण-शीर्ण पुलियों की संख्या शून्य है । अत: शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । अन्य विभागों से संबंधित **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र - 1 एवं 2 अनुसार** है । (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - "तीस"

खेल संचालनालय में खेल सामग्री के क्रय में अनियमितता

24. **(क्र. 726) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खेल एवं युवक कल्याण विभाग में वित्तीय वर्ष 2014-15 में कितनी-कितनी राशि की कौन-कौन सी खेल सामग्री किस-किस संस्था/फर्म से क्रय किए जाने हेतु किस अधिकारी के द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई ? (ख) क्या खेल सामग्री क्रय किए जाने हेतु क्रय समिति का गठन किया गया था ? यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम व पद सहित बताएं ? (ग) क्या यह सही है कि संचालक, खेल एवं युवक कल्याण को एक करोड़ से अधिक की राशि की सामग्री क्रय करने के अधिकार नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या एक करोड़ से अधिक की खेल सामग्री क्रय किए जाने हेतु शासन से अनुमति प्रदान की गई ? यदि हां, तो कब ? (घ) क्या खेल सामग्री बिना ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया के क्रय की गई ? यदि हां, तो इस नियम विरूद्ध क्रय की गई सामग्री की जांच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी ? (ड.) क्या यह सही है कि भण्डार क्रय नियम के अनुसार एस्टीमेट कॉस्ट की तीन प्रतिशत राशि निविदाकारों से ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों, तथा इसके लिए कौन दोषी है ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) से (ड.) की जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

अजनार मंगरौल मार्ग पर सिंध नदी पर निर्मित पुल का स्लेब क्षतिग्रस्त होना

25. **(क्र. 727) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भिण्ड जिले के लहार उपसंभाग के अंतर्गत अजनार मंगरौल मार्ग पर सिंध नदी का जिला सरकार द्वारा निर्मित कराए गए पुल का एक स्लेब रेत के हजारों ओव्हरलोड वाहनों के गुजरने से आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है ? (ख) यदि हां, तो क्या प्रश्नकर्ता द्वारा विभाग को सुधार हेतु अनेक पत्र लिखने के बाद भी विभाग द्वारा सुधार न कराने से जनहानि होने की जिम्मेदारी विभाग की बनती है ? (ग) यदि हां, तो क्या उक्त पुल को विभाग के अंतर्गत लिया जाकर सुधार कार्य किया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) प्रश्नाधीन पुल विभाग द्वारा निर्मित नही है । (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य मे प्रश्न उपस्थित नही होता । (ग) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य मे प्रश्न उपस्थित नही होता ।

प्रदेश में 2014-15 में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट पर व्यय

26. **(क्र. 758) श्री रामनिवास रावत :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में उद्योग विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 में आयोजित उद्योग इंवेस्टर्स मीट इंदौर, होशंगाबाद एवं ग्वालियर में कुल कितनी राशि किस-किस मद में किस-किस कार्य के लिए व्यय की गई ? इन्वेस्टर्स मीट में किस-किस उद्योग/संस्था द्वारा कितनी-कितनी राशि के कहां-कहां पर कौन-कौन से उद्योग स्थापित किए जाने के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार इंदौर में आयोजित इंवेस्टर्स मीट के आयोजन का उत्तरदायित्व बगैर निविदा बुलाए जिस फर्म को सौंपा गया उसका नाम एवं उस फर्म को किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है ? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में 31 दिसंबर 14 तक कितने प्रकरणों में उद्योग स्थापित करने की स्वीकृति, भूमि आवंटन कब-कब किया गया एवं कितने वास्तविक कार्य प्रारंभ हुए ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) वर्ष 2014-15 में केवल ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, इन्दौर आयोजित की गयी । इस कार्यक्रम में कुल राशि रूपये 24.83करोड खर्च हई । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1-अनुसार है ।** ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, 2014 इंदौर के दौरान एम.पी.ट्रायफेक के वेबपोर्टल पर निवेशकों द्वारा ऑनलाइन इंटेशन टू इन्वेस्ट प्रस्तुत किए गए है । विभिन्न उद्योग/संस्था द्वारा उद्योग स्थापित किये जाने के प्रस्ताव संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है ।** (ख) भारतीय उद्योग संघ (Confederation of Indian Industry-WR) को अब तक व्यय राशि रूपये 16.91 करोड के विरूद्व अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि रूपये 11.60 करोड की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-के प्रपत्र- 3 अनुसार है ।** (ग) ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2014के इंदौर के दौरान ऑनलाइन प्राप्त इंटेशन टू इन्वेस्ट प्रस्तावों को ऑनलाइन स्वीकार्य किया गया है । इनमें से औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों द्वारा 36उद्योगों को भूमि आवंटन एवं वास्तविक स्थिति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 4 अनुसार** है ।

श्योपुर में कराये गये कार्यों में अनियमितता

27. **(क्र. 759) श्री रामनिवास रावत :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के पूर्व के प्रश्न क्र. 174 दिनांक 17 जुलाई 2014 प्रश्नांश (क) एवं (ख) के उत्तरानुसार प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारियों द्वारा क्या जांच पूर्ण कर ली गई है ? (ख) यदि हां, तो जॉच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए बतावें कि जॉच में क्या-क्या तथ्य पाए गए हैं तथा जॉच प्रतिवेदन अनुसार दोषी पाए गए किस-किस अधिकारी/कर्मचारी एवं ठेकेदार के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो कब तक जॉच पूर्ण कर कार्यवाही की जावेगी ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) जी हां । प्रश्नकर्ता के पूर्व के प्रश्न क्रमांक 174 में उल्लेख क एवं ख के उत्तरानुसार सिर्फ एक मार्ग गोरस आवदा अजापुर की जांच जिलाधीश श्योपुर

द्वारा गठित कमेटी द्वारा की जा रही है । शेष मार्गो की जांच पूर्ण की जा चुकी है । (ख) जांच प्रतिवेदन की प्रतियां **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** है । जांच प्रतिवेदन के अनुसार श्री डी.के. जैन, उपयंत्री (तत्कालीन प्रभारी सहायक यंत्री) श्री योगेद्र शर्मा उपयंत्री (तत्कालीन प्रभारी सहायक यंत्री) श्री ए.के. सिंघल उपयंत्री एवं श्री एस.के. बंसल उपयंत्री को निलंबित किया जा चुका है । संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । विभाग द्वारा जांच की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है ।

मुख्यमंत्री रोजगार योजना के बारे में

28. **(क्र. 794) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) ता. प्रश्न संख्या 18 (क्र. 1780) दिनांक 10.07.14 के संदर्भ में बताएं कि उद्योग मंत्री ने मुख्यमंत्री रोजगार योजना के बारे में क्या सुधार किये हैं ? (ख) संदर्भित प्रश्नांश क, ख में बताया गया है कि 1039 बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया गया था उसमें से 678 बेरोजगारों द्वारा स्वयं का रोजगार स्थापित किया गया व शेष लोगों का रोजगार स्थापित नहीं हो पाया इसके क्या कारण है ? (ग) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा तो रोजगार स्थापित करने हेतु स्वीकृति दे दी जाती है किन्तु बैंकों द्वारा समय पर ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाता ? जिससे कई हितग्राहियों को योजना का लाभ नहीं मिल पाता ? उक्त कारणों को सुधार करने हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) स्वरोजगार योजनाओं को अधिक व्यवहारिक बनाने हेतु आवश्यक सुधार यथा योजना हेतु स्थानीय निवासी की पात्रता रू. 10.00 लाख की परियोजना हेतु कोलेटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता समाप्त करना, प्रशिक्षण की अनिवार्यता समाप्त करना, किये गये हैं । (ख) 1039 बेरोजगारों में से शेष 361 बेरोजगारों के द्वारा बैंकों की औपचारिकताएं समय पर पूर्ण नहीं करने से रोजगार स्थापित/ऋण वितरण नहीं हो सका है । (ग) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधिकारियों द्वारा लगातार बैंकों से संपर्क कर हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है, तथा हितग्राहियों को प्रकरणों में शीघ्रतापूर्वक ऋण प्रदाय के लिये जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति/जिला अग्रणी बैंक का भी सहयोग लिया जाता है ।

सड़क निर्माण कार्य

29. **(क्र. 820) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र मऊगंज अंतर्गत मऊगंज से घोघम मार्ग, मऊगंज से उपजेल मार्ग, पन्नी से पकरा मार्ग, माठी से नाउन कलामार्ग, खटखरी से घोघम मार्ग, हाटा से कोढ़वा पहुंच मार्ग, बन्ना महात्मान प्लाट टोला से घोघम पहुंच मार्ग , मुख्य मार्ग बरही से कोढ़वा पहुंच मार्ग, मुख्य मार्ग हाटा से जड़कुड़ पहुंच मार्ग, मुख्य मार्ग अल्हवा से लासा पहुंच मार्ग, प्रधानमंत्री सड़क अटारी बांध से कन्हैया पहुंच मार्ग को ग्राम कन्हैया होते हुए मुख्य मार्ग अरयपुर पहुंच मार्ग, रमनगरी माइनर से गड़रा पहुंच मार्ग, बन्ना जवाहर सिंह से झंडहिया पटरी होते हुए

गांधी नगर पहुंच मार्ग, बरौंली से झमिगवां होते हुए लास पहुंच मार्ग, प्रधानमंत्री सड़क पधरौंही कैलाशपुर हरिजन बस्ती से होते हुए कैलाशपुर रेंहड़ा कठार पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य आवागमन को सुव्यवथित करने हेतु किया जावेगा ? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि हां तो कब तक ? समय सीमा बताएं ? यदि नहीं तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) जी नहीं । पांच मार्ग विभागीय संधारण के अंतर्गत है जो किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है व शेष मार्ग अन्य विभाग से संबंधित है । **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - "इकतीस"

<u>नगरीय निकाय की भूमि का रूपान्तरण</u>

30. **(क्र. 840) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में कितनी-कितनी भूमि किस-किस किस्म में रूपान्तरण के अधिकार स्थानीय निकाय के किस-किस स्तर के अधिकारी के पास हैं ? नियमों की प्रति सहित विवरण दें ? (ख) नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में भूमि रूपान्तरण हेतु किस-किस प्रयोजन हेतु कितना-कितना शुल्क जमा कराया जाता है ? इस संबंध में जारी आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें ? (ग) कृषि भूमि को फार्म हाउस में रूपान्तरण के लिये न्यूनतम कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल की सीमा के लिये लीज व प्रीमियम राशि जमा कराना नियमानुसार आवश्यक है ? नियमों की प्रति उपलब्ध करायें ? (घ) क्या नगरीय निकाय क्षेत्रों में मैरिज गार्डन निर्माण की अनुमति देते समय पार्किंग हेतु क्या मापदण्ड हैं ? यदि हां, तो अवगत करायें ? यदि नहीं, तो शहर के यातायात को प्रभावित करने वाले मैरिज गार्डन के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाती है ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में भूमि रूपांतरण का अधिकार निकाय के किसी भी स्तर के अधिकारी के पास नहीं हैं । (ख) उत्तरांश-क अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 अनुसार कृषि भूमि पर फार्म हाऊस की अनुज्ञा के लिये न्यूनतम 4000 वर्गमीटर भूमि होना आवश्यक है, इस हेतु रूपये 30,000/- प्रति हेक्टेयर के मान से अनुज्ञा शुल्क निर्धारित है जो **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट अनुसार** है । (घ) म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार नगरीय निकाय क्षेत्रों में मैरिज गार्डन निर्माण की अनुज्ञा देते समय पार्किंग हेतु भूखण्ड के सामने परिसर के अंदर भूखण्ड/भूमि क्षेत्र का 30 प्रतिशत (2 से 5 लाख की जनसंख्या वाले निवेश क्षेत्र) अथवा भूखण्ड/भूमि क्षेत्र का 40 प्रतिशत (5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले निवेष क्षेत्र) क्षेत्रफल पर पार्किंग स्थल रखना आवश्यक है ।

जावरा शहर के मध्य रेल्वे फाटक पर अंडर/ओवर ब्रिज का निर्माण

31. **(क्र. 860) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा शहर मध्य स्थित रेलवे स्टेशन के पास रेलवे फाटक बार-बार बंद होने से आवागमन में गंभीर व्यवधान उत्पन्न हो रहा है ? तथा यात्री एवं मालवाहक रेलो के लगातार आवागमन से संपूर्ण शहर का यातायात रेलवे फाटक पर आकर रूका रहता है ? (ख) यदि हाँ, तो रेलवे फाटक के एक ओर विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं को भारी दिक्कतें आती है, तो दूसरी ओर महिला-चिकित्सालय एवं सिविल हास्पिटल होने से गंभीर रोगियों को उपचार सुविधा मिलने में बाधा होकर जनहानि होने का अंदेशा बना रहता है ? साथ ही संपूर्ण शहर रेलवे फाटक पर रूका सा रहता है ? (ग) उपरोक्त गंभीर स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए क्या माननीय मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद यात्रा वर्ष 2013 में ब्रिज निर्माण की घोषणा की गई थी ? यदि हाँ विभाग/सेतु निगम द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) जी हाँ । रेल्वे फाटक बंद होने की स्थिति में आवागमन अवरूद्ध होता रहता है । (ख) जी हाँ । जी हाँ । (ग) जी हाँ । विभाग द्वारा सर्वेक्षण कर, रेल्वे से उनके हिस्से में बनने वाले पुल की ड्राइंग एवं प्राक्कलन देने हेतु कलेक्टर रतलाम के माध्यम से रेल्वे को लेख करने का अनुरोध किया गया है ।

खेल स्टेडियम, स्विमिंग पुल एवं इन्डोर स्टेडियम का निर्माण

32. **(क्र. 861) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या खेल मैदान, स्विमिंग पूल एवं इन्डोर स्टेडियम हेतु विभाग द्वारा क्रीड़ा गतिविधियों को बढ़ाये जाने एवं जन सुविधा को प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश भर में उक्त निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृतियां दी जा रही है ? (ख) यदि हां, तो क्या प्रतिनिधियों के माध्यम से भगत सिंह शासकीय महाविद्यालय जावरा की जनभागीदारी समिति के माध्यम से एवं नगरपालिका परिषद जावरा के माध्यम से मांग एवं प्रस्ताव शासन/विभाग को अग्रेषित किये गये है ? यदि हां, तो शासन / विभाग द्वारा खेल स्टेडियम, स्विमिंग पूल एवं इंडोर स्टेडियम निर्माण हेतु कोई कार्य योजना जावरा नगर हेतु बनाई गई है ? (ग) यदि हां, तो उपरोक्त हेतु बनाई गई कार्य योजना पर स्वीकृति कब दी जाकर कार्य कब प्रारंभ किया जावेगा ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) जी हाँ । (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

शिवपुरी जिले में मंदिरों, मठों के पुजारियों को दी जा रही आर्थिक सहायता

33. **(क्र. 920) श्री राम सिंह यादव :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शिवपुरी जिले में किन-किन मंदिरों/मठों के कौन-कौन पुजारियों/सेवादारों को कितनी-कितनी राशि प्रति माह के मान से वर्ष 2013-14 से वर्ष 2014-15 में प्रश्न दिनांक जारी की गई है ?

मंदिर/मठ का नाम, उनके पुजारी/सेवादार का नाम, एवं पिता का नाम, जाति सहित बतावें ? (ख) उक्त मंदिरों/मठों पर कितनी-कितनी भूमि मंदिर/मठ की सेवा खर्च हेतु लगी हुई है ? उक्त भूमि की सम्पूर्ण विवरण सहित जानकारी देवें ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) एवं (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है ।

<u>माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में उपलब्ध वन्य प्राणियों एवं पर्यटकों की जानकारी</u>

34. **(क्र. 921) श्री राम सिंह यादव :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले के माधव राष्ट्रीय उद्यान में दिसम्बर 2014 की स्थिति में कौन-कौन से वन्य प्राणी कितनी-कितनी संख्या में वर्तमान गणना के अनुसार उपलब्ध थे ? (ख) उक्त वन्य प्राणियों को देखने के लिए विगत 04 वर्षों में कितने-कितने देशी-विदेशी पर्यटक माधव राष्ट्रीय उद्यान में आए ? एवं उनसे माधव राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन को वर्षवार कितनी-कितनी आमदनी हुई ? (ग) माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में विगत 03 वर्षों में किस-किस प्रजाति के कितने-कितने वन्य प्राणियों का अवैध शिकार किन-किन के द्वारा कब-कब किया गया ? एवं इनके विरूद्ध क्या-क्या वैधानिक कार्यवाही की गई ? (घ) माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी एवं उसमें विचरण करने वाले वन्य प्राणियों के रख-रखाव एवं निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014-15 प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ? एवं प्राप्त राशि किन-किन मदों पर कितनी-कितनी कब-कब व्यय की गई ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार): (क) माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी में अखिल भारतीय वन्यप्राणी गणना (जनवरी, 2014 की अवधि) के आंकड़े निर्धारित सॉफ्टवेयर में भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून को प्रेषित किये गये हैं । परीक्षण उपरान्त अंतिम आंकड़े प्राप्त होना शेष है । (ख) माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में विगत 04 वर्षों में आये देशी-विदेशी पर्यटकों एवं उनसे हुई आमदनी का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष (जुलाई से जून)	पर्यटकों की खंख्या		पर्यटकों से प्राप्त राशि (रू. में)
	देशी	विदेशी	
2010-11	27131	110	11,20,391.00
2011-12	26276	64	10,54,749.00
2012-13	26452	78	11,31,733.00
2013-14	28284	37	13,71,040.00

(ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है । (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है ।

परिशिष्ट - "बत्तीस"

नगर पालिका शिवपुरी द्वारा कराए गए निर्माण/विकास कार्य

35. **(क्र. 922) श्री राम सिंह यादव :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर पालिका परिषद शिवपुरी को जनवरी 2012 से सितम्बर 2014 तक कितनी-कितनी राशि किन-किन मदों/कार्यों हेतु कब-कब प्राप्त हुई ? प्राप्त राशि कौन-कौन से बैंकों के किन-किन खातों में कितनी-कितनी कब-कब जमा करायी गई ? (ख) उक्त मदवार/कार्यवार प्राप्त राशि से क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि के कब-कब कहां-कहां कराए गए ? (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित किन-किन कार्यों का पूर्णत: प्रमाण पत्र जारी किया गया ? (घ) प्रश्नाधीन वर्णित अवधि में पी.आई.सी./परिषद की स्वीकृति की पुष्टि की प्रत्याक्षा में कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किए गए ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) से (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है । (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है ।

ग्रामीणों की शिकायत पर कार्यवाही

36. **(क्र. 930) श्री संजय पाठक :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधान सभा क्षेत्र के विगत पॉच वर्षों में किन-किन ग्रामों में बंदरों के घुसनें तथा उनके द्वारा ग्रामीणों का नुकसान करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा कब-कब कितने पत्र बंदरों से ग्राम मुक्त किये जाने के संबंध में उक्त अवधि में विभाग को प्रेषित किये गये ? पत्र की छायाप्रति सहित की गई कार्यवाही का ब्योरा दें ? (ग) क्या बंदरों के आतंक से निजात दिलाये जाने हेतु विभाग सक्षम है ? यदि नहीं तो इस संबंध में किस विभाग द्वारा क्या और कब तक कार्यवाही की जावेगी ? नहीं तो क्यों ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार): (क) जी हॉ । प्रश्नांकित क्षेत्र अंतर्गत विगत पांच वर्षों में बरही, करोंदीकलॉ, केवलारी, बिचपुरा, धौरा एवं देवरी मझगवॉ ग्रामों में शिकायतें प्राप्त हुईं । (ख) पत्रों की छायाप्रति **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब'** में है । पत्रों के उत्तर वन संरक्षक, कटनी द्वारा कलेक्टर कटनी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, विजयराघगढ को दिनांक 20.11.2014 एवं 27.12.2014 को भेजकर बंदरों को पकड़ने वाले मथुरा (उत्तर प्रदेश) के व्यक्तियों के सम्पर्क नं. सूचित किए गए । उक्त पत्रों की प्रतिलिपि माननीय विधायक जी को दी गई । (ग) बंदरों की समस्या मुख्य रूप से जन सामान्य द्वारा बंदरों को खाद्य पदार्थ देने से उत्पन्न होती है । अत: विभाग जनता की सहभगिता के बिना उक्त समस्या हल नहीं कर सकता । बंदरों को पकड़कर अन्यत्र छोड़ने तथा बंदरों की आबादी नियंत्रित करने के लिये संस्थायें कार्यरत हैं । नगरीय निकाय इन संस्थाओं से संपर्क कर बंदरों के आतंक को नियंत्रित करने की पहल कर सकते हैं । बंदरों के आतंक की सूचना मिलने पर वन विभाग के अमले द्वारा भी समाधान का प्रयास किया जाता है ।

परिशिष्ट - "तैंतीस"

स्वीकृत कार्यों की जानकारी

37. **(क्र. 971) श्री जितेन्द्र गेहलोत :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले में विशेषकर आलोट विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013-2014 में लोक निर्माण विभाग में कितने एवं कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये व कितनी राशि उन पर स्वीकृत की गई ? (ख) स्वीकृत कार्यों में कितने कार्य पूर्ण हो चुके ? कितने अधूरे होकर अब तक पूर्ण नहीं हो सके तथा किस कारण से ? वर्षवार, स्थानवार ब्यौरा क्या है ? (ग) कितने स्वीकृत कार्यों में घटिया कार्यों एवं गुणवत्ता कम होने की शिकायतें प्राप्त हुई ? उन पर क्या कार्यवाहियां की गई ? ब्यौरा क्या है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) रतलाम जिले मे आलोट विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013-2014 मे म.प्र. सडक विकास निगम द्वारा आलोट बायपास निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है एवं स्वीकृत राशि रूपये 4.76 करोड है । (ख) स्वीकृत एक मात्र कार्य आलोट बायपास निर्माण कार्य पूर्ण नही हुआ है, जो प्रगति पर है एवं मार्च 2015 तक पूर्ण होने की संभावना है । कार्यादेश दिनांक 24.10.2014 को जारी किया गया था । कुल लंबाई 2.80 कि.मी. मे रो मार्ग निर्माण में आवश्यक निजी भूमि लंबाई 1.55 कि.मी. का अधिपत्य अवार्ड पारित होने के कारण दिनांक 30.01.2014 को सौपा गया है, जिसके कारण विलंब हुआ है । (ग) स्वीकृत एकमात्र कार्य मे घटिया कार्य एवं गुण्वत्ता कम होने की कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है । अत: कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नही होता है ।

खंडवा जिले में सड़क निर्माण में अनियमितता

38. **(क्र. 991) श्री देवेन्द्र वर्मा :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खंडवा जिला के खंडवा - डुल्हार मार्ग लगभग 16 किलोमीटर को कब स्वीकृति प्रदान की गई थी एवं इसके निर्माण कार्य पूर्ण होने की समय सीमा क्या है ? (ख) विगत एक वर्ष से निर्माण कार्य बंद होने से खंडवा से बुरहानपुर मार्ग के यात्रियों को जो पीड़ा झेलनी पड़ी उसके लिए कौन जिम्मेदार है लोक निर्माण विभाग या संबंधित ठेकेदार ? (ग) व्यापक जनहित में खंडवा डुल्हार सड़क मार्ग का निर्माण कब तक पूर्ण करा लिया जाएगा ? समय सीमा में कार्य पूर्ण न करने पर ठेकेदार एवं जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही की जाएगी ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) दिनांक 12.04.2013 को । अनुबंधानुसार दिनांक 11.01.2015 तक थी । (ख) वर्तमान में कार्य प्रगति पर है । पर्यावरण विभाग की अनुमति नहीं मिलने के कारण कार्य की गति धीमी रही है, अत: जिम्मेदारी का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है । (ग) खनिज उत्खनन हेतु ठेकेदार को पर्यावरण विभाग की अनुमति प्राप्त होने पर ही कार्य पूर्ण कराना संभव है । अत: समय-सीमा बताना वर्तमान में संभव नहीं है । उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन

39. **(क्र. 994) श्री देवेन्द्र वर्मा :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खण्डवा जिले में विगत तीन वर्षों में मुख्यमंत्री स्वरोजगार ऋण योजना अन्तर्गत कितने बेरोजगारों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए ? कितने प्रकरणों को तैयार कर बैंकों में प्रेषित किया गया ? तहसीलवार जानकारी दें ? (ख) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत विगत 3 वर्षों में कितने प्रकरणों पर बैंक द्वारा स्वीकृति प्रदान कर ऋण दिया गया ? जानकारी तहसील एवं वर्षवार दी जाए ? (ग) कितने बेरोजगारों के आवेदन उक्त अवधि में निरस्त किए गए अथवा स्वीकृति उपरान्त बैंक ऋण राशि प्रदाय नहीं की गई ? क्या ऐसे प्रकरणों को अन्य योजना में स्वीकृति प्रदान किए जाने का प्रावधान है ? (घ) प्रश्नांश (क) अवधि में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन के संबंध में उद्योग विभाग द्वारा बैंकों के अधिकारियों से कब-कब बैठकें आयोजित की गई एवं इनके निराकरण के क्या प्रयास किए गए ? क्या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को इन बैठकों में आमंत्रित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना दिनांक 01.08.2014 से प्रारंभ की गई हैं । अत: दिनांक 01.08.2014 से जनवरी 2015 तक बेरोजगार युवाओं के 805 आवेदन प्राप्त हुये । जिसमें से जनवरी 2015 तक 802 प्रकरण जिलें की विभिन्न बैंक शाखाओं को अग्रेषित किये गये । तहसीलवार जानकारी निम्नानुसार हैं :-

क्रमांक	तहसील का नाम	बैंकों को अग्रेषित प्रकरण संख्या
1	खण्डवा	370
2	पंधाना	153
3	हरसूद	76
4	खालवा	80
5	पुनासा	123
	योग	802

(ख) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना दिनांक 01.08.2014 से प्रारंभ की गई । अत: दिनांक 01.08.2014 से जनवरी 2015 तक स्वीकृत प्रकरणों की तहसीलवार जानकारी निम्नानुसार हैं :-

क्रमांक	तहसील का नाम	बैंकों द्वारा स्वीकृत प्रकरण	बैंकों द्वारा वितरित प्रकरण
1	खण्डवा	163	73
2	पंधाना	79	42
3	हरसूद	27	19
4	खालवा	37	12
5	पुनासा	55	32
	योग	361	178

(ग) विभागीय चयन समिति द्वारा उक्त अवधि में कोई आवेदन निरस्त नहीं किया गया है । 802 बेरोजगारों के प्रकरण विभागीय चयन समिति द्वारा विभिन्न बैंकों के लिये प्रेषण हेतु अनुशांसित किया गया है । खंडवा जिले को योजनान्तर्गत 360 हितग्राहियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य हैं । अद्यतन स्थिति तक 361 प्रकरणों में जिले की विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा स्वीकृति प्रदान कर 178 प्रकरणों में ऋण वितरण किया जा चुका है । शेष बचे स्वीकृत प्रकरणों में नियमानुसार वितरण की कार्यवाही बैंक शाखाओं में प्रचलित है । मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त होने पर अन्य योजना में स्वीकृति प्रदान किये जाने का प्रावधान नहीं है । (घ) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन संबंधी विभागीय चयन समिति की बैठक निम्नानुसार आयोजित की गई हैं :-

क्रमांक	विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक	चयनित कर अनुशांसित किये गये प्रकरणों की संख्या
1	30.08.2014	94
2	19.09.2014	98
3	30.09.2014	54
4	16.10.2014	76
5	25.10.2014	60
6	28.10.2014	107
7	05.11.2014	51
8	21.11.2014	44
9	26.11.2014	65
10	09.12.2014	75
11	08.01.2015	78
	योग	802

हर तीन माह में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली डी.एल.सी.सी. की बैठक जिसमें बैंक अधिकारी उपस्थित रहते हैं, में बैंकों को प्रेषित प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रयास किये जाते है तथा विभाग के अधिकारियों द्वारा बैंक शाखाओं से सतत् जीवंत संपर्क कर निराकरण के प्रयास किये जाते हैं । शासन द्वारा गठित जिला चयन समिति की बैठक में जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किये जाने का प्रावधान नहीं है ।

नारंगी भूमि का प्रारंभिक सर्वे

40. **(क्र. 1041) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल वनवृत एवं जबलपुर वनवृत में नारंगी भूमि सर्वे इकाई का गठन किस आदेश से किया गया, किस आदेश में डीनोटीफाईड जमीनों एवं बड़े झाड़ के जंगल, छोटे झाड़ के जंगल, पहाड़ चट्टान मद में दर्ज सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों की जमीनों को नारंगी भूमि के प्रारंभिक सर्वे में शामिल किया जाने के निर्देश दिए गए ? (ख) वन मुख्यालय भोपाल के द्वारा नारंगी भूमि सर्वे में शामिल डीनोटीफाईड भूमियों, बड़े झाड़ के जंगल एवं छोटे झाड़ के जंगल मद में दर्ज जमीनों को नारंगी भूमि के आंकड़ों से पृथक किए जाने के आदेश या निर्देश किस दिनांक को दिए यदि आदेश नहीं दिए हो तो कारण बतावें ? (ग) नारंगी भूमि सर्वे में डीनोटीफाईड जमीनों को शामिल किए जाने, बड़े झाड़ एवं छोटे झाड़ के जंगल मद की जमीनों को शामिल किए जाने की गत तीन वर्षो में किस-किस के द्वारा की गई लिखित शिकायतें वन मुख्यालय भोपाल को किस दिनांक को प्राप्त हुई उन पर वन मुख्यालय ने किस दिनांक को किसे क्या-क्या आदेश या निर्देश दिये या पत्र लिखे प्रति सहित बतावें ? (घ) नारंगी वन भूमि के आंकड़ों से डीनोटीफाईड जमीनों एवं बड़े झाड़, छोटे झाड़ के जंगल मद की जमीनों को पृथक करवाए जाने हेतु वन मुख्यालय क्या कार्यवाही कर रहा हैं, कब तक करेगा समय सीमा बतावें ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार): (क) मध्यप्रदेश राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ-5/34/91/10-3 दिनांक 07.02.1996 से नारंगी भूमि सर्वे इकाई का गठन किया गया । मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-5/43/90/10-3/96 दिनांक 14.05.1996 की कंडिका- 3 में वन प्रबंध हेतु उपयुक्त अच्छी श्रेणी के वन आच्छादित राजस्व भूमि के खसरों को प्रारंभिक सर्वेक्षण में शामिल किया गया । (ख) असीमांकित संरक्षित वनभूमि से भिन्न स्वरूप की राजस्व भूमि को नारंगी भूमि के ऑंकड़ों में सम्मिलित नहीं किया जाता है । त्रुटिवश सम्मिलित होने पर संबंधित कार्यालय अपने स्तर से ही ऐसे आंकड़ों को नारंगी भूमि के आंकड़ों से पृथक कर सकता है । इस कारण ऐसे किसी आदेश या निर्देश उपलब्ध नहीं हैं । (ग) **जानकारी संलग्न** में है । (घ) उत्तरांश (ग) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - ''चौंतीस''

नारंगी क्षेत्र इकाई द्वारा सर्वे

41. **(क्र. 1042) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल वनवृत एवं जबलपुर वनवृत के अंतर्गत किस आदेश से नारंगी क्षेत्र इकाई का गठन किया गया, किस इकाई के द्वारा नारंगी क्षेत्र के प्रारंभिक सर्वे में कितनी जमीनों को शामिल किया इनमें से कितनी जमीनों को अनुपयुक्त पाया गया, कितनी जमीनों को नारंगी वनखण्ड़ों में सम्मिलित किया ? (ख) किस नारंगी क्षेत्र इकाई के द्वारा नारंगी क्षेत्र के प्रारंभिक सर्वे में कितने राजस्व ग्रामों की कितनी जमीनों को सम्मलित किया इनमें से कितने ग्रामों की समस्त वन भूमि वन विभाग ने किस दिनांक को राजपत्र में डीनोटीफाईड की थी इन डीनोटीफाईड ग्रामों की डीनोटीफाईड जमीनों को नारंगी भूमि के प्रारंभिक सर्वे में सम्मिलित करने का क्या-क्या कारण रहा है ? (ग) जिन ग्रामों की समस्त वन भूमि डीनाटीफाईड कर दी गई थी उन ग्रामों की नारंगी भूमि सर्वे में शामिल कितनी जमीनों को प्रश्नांकित तिथि तक नारंगी भूमि के आंकड़ों से पृथक कर दिया गया है कितने ग्रामों की डीनोटीफाईड जमीनों को किन कारणों से प्रश्नांकित तिथि तक भी नारंगी भूमि के आंकड़ों से पृथक नहीं किया जा सका है ? (घ) डीनोटीफाईड की गई समस्त भूमियों को नारंगी भूमि के आंकड़ों से पृथक किए जाने की कार्यवाही वन विभाग कब तक पूरी कर लेगा समय सीमा सहित बतावें ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार): (क) मध्यप्रदेश राज्य शासन के आदेश दिनांक 07.02.1996 द्वारा नारंगी इकाईयों का गठन किया गया । प्रश्नांश की शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है । (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है । मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पत्र दिनांक 14 मई, 1996 की कंडिका-3 में निहित निर्देशानुसार प्रारंभिक सर्वे में शामिल किया गया । (ग) जबलपुर वन वृत्त के अंतर्गत किसी भी ग्राम की समस्त वनभूमि को डिनोटिफाईड नहीं किये जाने से जानकारी निरंक है । बैतूल वृत्त के अंतर्गत जिन ग्रामों की समस्त वनभूमि डिनोटिफाईड कर दी गई थी, उन ग्रामों की डिनोटिफाईड भूमि को नारंगी भूमि सर्वे में शामिल भूमि के आँकड़ो से प्रश्नांकित तिथि के पूर्व पृथक कर दिया गया है । (घ) उत्तरांश 'ग' के प्ररिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - "पैंतीस"

छतरपुर वनवृत में की गई कार्यवाही

42. **(क्र. 1047) श्रीमती रेखा यादव :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर वनवृत के किस वनमंडल के अंतर्गत कितने ग्रामों की कितनी भूमि को संरक्षित वन सर्वे में शामिल किया कितनी भूमि भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4(1) के तहत अधिसूचित की गई कितने ग्रामों की कितनी जमीन अधिक अन्न उपजाओं योजना के तहत एवं कितने ग्रामों की कितनी जमीन राज्य मंत्री मंडल के निर्णय के तहत राजस्व विभाग को अन्तरित की गई ? (ख) छतरपुर वनवृत के किस वनमंडल के अन्तर्गत कितने ग्रामों की कितनी भूमि एवं कितने ग्रामों की समस्त वन भूमि राजपत्र में धारा 34अ के तहत किस-किस दिनांक को निर्वनीकृत

की गई अधिक अन्न उपजाओं योजना एवं राज्य मंत्री मंडल के निर्णय के तहत अन्तरित कितने ग्रामों की कितनी भूमि प्रश्नांकित तिथि तक भी राजपत्र में निर्वनीकरण नहीं किया गया ? (ग) मुख्य सचिव के पत्र क्रमांक 230/सी.एस./04 दिनांक 24 जुलाई 2004 के अनुसार वनवृत के किस वनमंडल के अंतर्गत धारा 4(1) में अधिसूचित कितने वनखण्डों में शामिल कितनी जमीनों का प्रश्नांकित तिथि तक वन एवं राजस्व विभाग के द्वारा संयुक्त सीमांकन कर लिया हैं सीमांकन के किस-किस मद में किन-किन सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीनों को वनखण्ड की सीमा में शामिल होना पाया गया हैं ? (घ) धारा 34अ के तहत निर्वनीकृत कर दी गई भूमियों, अधिक अन्न उपजाओं योजना एवं राज्य मंत्री मंडल के निर्णय के तहत अन्तरित कर दी गई भूमियों को वन विभाग भारतीय वन अधिनियम 1927 की किस धारा एवं वन संरक्षण कानून 1980 की किस धारा के तहत वर्तमान में किस श्रेणी की वन भूमि मान रहा है ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार): (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं 'स' अनुसार** है । अधिक उन्न उपजाओ योजना एवं राज्य मंत्रिमण्डल के निर्णय के तहत कोई वन भूमि निर्वनीकरण हेतु शेष नहीं हैं । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार** है । प्रश्नांश में दर्शित मुख्य सचिव के पत्र से सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों की भूमि के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिये गये थे । (घ) अधिक अन्न उपजाओ योजना एवं राजय मंत्रिमण्डल के निर्णय के तहत निर्वनीकृत की गई भूमियों में से पुन: भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत वन के रूप में अधिसूचित की गई भूमियों को छोड़कर शेष भूमियों को भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि नहीं माना जा रहा है ।

राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना

43. **(क्र. 1048) श्रीमती रेखा यादव :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि वन मुख्यालय सतपुड़ा भवन, भोपाल से श्री जे.पी. शर्मा के द्वारा दिनांक 16.06.2014 को प्रधान मुख्य वन संरक्षण छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को प्रेषित ई-मेल संदेश में 1965 से 1980 के बीच भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 34अ के तहत राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाओं की प्रति वन भू-अभिलेख कक्ष में न तो संधारित है और न ही अभिलेखों में उपलब्ध है, की जानकारी प्रेषित की है ? (ख) यदि हां, तो मध्यप्रदेश शासन द्वारा 1956 से 1980 तक प्रकाशित किस दिनांक के राजपत्र की प्रतियां वन मुख्यालय सतपुड़ा, भोपाल की किस शाखा में उपलब्ध है, उसमें उपरोक्त अवधि में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29, धारा 4(1), धारा 20, धारा 27 एवं धारा 34अ के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के किस-किस जिले या वनमंडल के ब्यौरे उपलब्ध हैं ? (ग) वन मुख्यालय सतपुड़ा, भोपाल में 1965 से 1980 तक धारा 34अ की राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाओं की प्रतियां उपलब्ध होने के बाद भी दिनांक 16.06.2014 का लिखे पत्र में प्रतियां उपलब्ध न होने का उल्लेख किया जाकर प्रतियां उपलब्ध न करवाए जाने का

क्या-क्या कारण रहा है ? (घ) वन मुख्यालय, भोपाल ने 1965 से 1980 तक धारा 34अ में किस दिनांक को किस जिले की राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाओं की प्रतियां छत्तीसगढ़ शासन वन मुख्यालय रायपुर को किस दिनांक को प्रेषित की ? प्रति सहित बतावें ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार): (क) जी हाँ । यह पत्र राजपत्र में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-34 (अ) के तहत प्रकाशित छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित अधिसूचनाओं के सम्बन्ध में लिखा गया था । (ख) वन मुख्यालय की वन-भू अभिलेख शाखा में पुन: छानबीन करने पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चाही गई धारा-34 (अ) की उपलब्ध अधिसूचनाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है । (ग) वर्ष 2006 में गठित नई शाखा वन-भू अभिलेख में अभिलेखों की छानबीन करने में हुई लिपिकीय त्रुटि के कारण उपलब्ध अधिसूचनायें तत्समय उपलब्ध नहीं कराई जा सकीं । (घ) **जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है ।

जिला भिण्ड में उमरी से सगरा निर्माण में गम्भीर अनियमितता

44. **(क्र. 1088) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उमरी से टेहनगु मार्ग (भिण्ड) लम्बाई 11.20 कि.मी. मार्ग का नाम उमरी से सगरा (भिण्ड) 11.20 कि.मी. अनुमति अधीक्षक यंत्री लोक निर्माण ग्वालियर 3838 दि. 20/5/14 को समयावधि बढ़ाने की अनुमति दी गई ? छायाप्रति सहित जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित मार्ग का निरीक्षण मा. मंत्री महोदय लोक निर्माण विभाग म.प्र. शासन भोपाल ने कब किया ? प्रश्नांश तक क्या कार्यवाही की गई ? (ग) वर्णित मार्ग निर्माण में प्रश्नांश दिनांक तक किस आदेश से कितना भुगतान किया गया ? आदेश की छायाप्रति सहित जानकारी दें ? (घ) मै. राधिका डव्लपर्स द्वारा भिण्ड जिले में कहां-कहां पर क्या-क्या निर्माण कार्य हो रहे है ? गुणवत्ताहीन कार्य करने वाली कंपनी को कार्य देने के लिए क्या मंशा है क्या समस्त कार्यों की जाचं की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) जी हाँ । पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । (ख) दिनांक 08.08.2014 । निर्देशानुसार अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मण्डल ग्वालियर द्वारा जांच की जा रही है । (ग) कार्यपालन यंत्री, द्वारा अंकित पे आर्डर के आधार पर कुल राशि रू. 30938383.00 का चलित देयकों के रूप में भुगतान किया गया । **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (घ) मे. राधिका डवलपर्स द्वारा उप संभाग क्रमांक-1 भिण्ड के अंतर्गत उमरी-सगरा मार्ग बस स्टैण्ड से शाला मंदिर मार्ग तथा उपसंभाग क्रमांक-2 भिण्ड के अंतर्गत साखपुरा टीकरी मार्ग एवं उपसंभाग सड़क लहार के अंतर्गत जखमौली से राठौर की मढैया मार्ग का कार्य कराया जा रहा है । उक्त कार्य ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया के उपरांत दिये गये है । अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते ।

स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी

45. **(क्र. 1089) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग में भवन/पथ व पी आई यू और विद्युत यांत्रिकीय में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं और उन पर कौन-कौन पदस्थ है ? उनकी क्या योग्यता है ? (ख) प्रश्नांश के अंतर्गत कौन-कौन से पद किन कारणों से रिक्त है ? क्या स्वीकृत पद पूर्ति न होने के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है ? (ग) क्या प्रश्नांश (क) के अंतर्गत पदस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों से अतिरिक्त कार्य लिया जा रहा है ? यदि हां, तो किस स्तर के अधिकारियों के आदेश से लिया जा रहा है ? सक्षम अधिकारी की अनुमति ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? (घ) क्या प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मचारी सक्षम योग्यता रखते हैं यदि नहीं तो शासन की क्षति के लिए कौन उत्तरदायी है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** (ख) विभाग में अधिकारी/कर्मचारियों की कमी होने के कारण । जी नहीं । (ग) जी हां । **परिशिष्ट-ब** के कालम 6 अनुसार । प्रश्न उपस्थित नहीं होता । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** (ग) भिण्ड जिले के अंतर्गत विभाग में कोई अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ नहीं है । अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

मांग संख्या 41 द्वारा आवंटित राशि

46. **(क्र. 1093) श्री संजय उइके :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विभाग को मांग संख्या 41 में बजट राशि दी जाती है ? (ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में प्रत्येक जिले को कितनी-कितनी राशि योजनावार/मदवार आवंटित की गई ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) जी हॉ । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 1 एवं प्रपत्र - 2 अनुसार** है ।

मांग संख्या 41 में दी गई बजट राशि

47. **(क्र. 1094) श्री संजय उइके :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विभाग को मांग संख्या 41 में बजट राशि दी जाती है ? (ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में प्रत्येक जिले को कितनी-कितनी राशि योजनावार/मदवार आवंटित की गई ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) जी हॉ । (ख) वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में प्रत्येक जिले को आवंटित राशि की योजनावार/मदवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार** है ।

मांग संख्या 42 में दी गई बजट राशि

48. **(क्र. 1096) श्री संजय उइके :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग को मांग संख्या 42 में बजट राशि दी जाती है ? (ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में प्रत्येक जिले को कितनी-कितनी राशि योजनावार/मदवार आवंटित की गई ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) जी हाँ । (ख) नवीन केन्द्रीयकृत आहरण प्रणाली (आवंटन की पद्यति) के अंतर्गत जिलो को आवंटन प्रदाय नहीं किया जाता है । राशि ग्लोबल व्यवस्था के अंतर्गत उपलब्ध रहती है जिसे संभाग विशेष द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति की सीमा तक अपनी आवश्यकता के अनुसार आहरण किया जाता है । अत: जिलेवार आवंटन प्रदाय किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी का विकास

49. **(क्र. 1109) श्री प्रहलाद भारती :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये क्या कोई विशिष्ट योजना शासन द्वारा बनाई गई ? यदि हां, तो विवरण दें ? यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ? (ख) क्या यह सही है कि जब माधव राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर सफारी मौजूद थी तब तुलनात्मक रूप से पर्यटकों की संख्या अधिक रहती थी, तुलनात्मक ब्यौरा उपलब्ध करावें ? विगत 5 वर्षों में माधव राष्ट्रीय उद्यान में आने वाले पर्यटकों की संख्या कम हुई, वर्षवार विवरण दें ? (ग) माधव राष्ट्रीय उद्यान में टाईगर सफारी समाप्त होने के क्या कारण रहे विवरण दें ? क्या माधव राष्ट्रीय उद्यान में टाईगर सफारी बहाल करने के लिये शासन गंभीर है ? यदि हां, तो विवरण दें ? यदि नहीं, तो इसे पुन: स्थापित करने में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों से अवगत करावें ? (घ) माधव राष्ट्रीय उद्यान के संचालन हेतु शासन को प्रतिवर्ष कुल कितनी राशि किस-किस मद में व्यय करनी होती है ? स्थापना, संचालन एवं विकास का विगत 5 वर्षों का मदवार ब्यौंरा दें ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार): (क) जी नहीं । राष्ट्रीय उद्यान का गठन वन्यप्राणी संरक्षण एवं संवर्धन के लिए किया गया है । शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) जी हां । तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है :-

टाइगर सफारी रहने के समय पर्यटकों की संख्या				टाइगर सफारी समाप्त होने के पश्चात् विगत 5 वर्षों में पर्यटकों की संख्या				
वर्ष	1995	1996	1997	2010	2011	2012	2013	2014
पर्यटक संख्या	29505	34700	20132	27172	27241	26340	26530	28321

(ग) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा मान्यता समाप्त करने से माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी में टाइगर सफारी समाप्त की गई । माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी में वर्तमान में टाइगर सफारी का कोई प्रस्ताव प्रचलित नहीं है । अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है ।

परिशिष्ट - "छत्तीस "

हरियाली महोत्सव के नाम शासन की करोड़ो रूपये की राशि का दुरूपयोग

50. **(क्र. 1125) श्री आरिफ अकील :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा 2014-15 में हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया था ? यदि हां, तो भोपाल संभाग में कितनी-कितनी राशि व्यय कर कितने-कितने पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया था ? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि वर्तमान समय में पौधें की देख-रेख के नाम पर कितनी राशि व्यय की गई तथा कितने-कितने पौधे नष्ट होने से बच गये हैं जिलेवार बतावें ? (ग) प्रश्नांश (क-ख) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि क्या शासन हरियाली महोत्सव के नाम शासन की राशि का दुरूपयोग करने वालों के विरूद्ध जांच कराकर कार्यवाही करेगा ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित बतावें ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार): (क) जी हॉ । विभिन्न योजनाओं में राशि रू. 1277.90 लाख व्यय किये जाकर 3726591 पौधों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा कृषकों की निजी भूमि एवं सामुदायिक भूमि पर 3.30 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिस हेतु विभाग द्वारा कोई राशि आबंटित नहीं की गई । (ख) **जानकारी संलग्न अनुसार** है । कृषकों की निजी भूमि एवं सामुदायिक भूमि पर कृषकों द्वारा स्वयं लगाये गय पौधों का अनुश्रवण नहीं किया गया । (ग) राशि दुरूपयोग करने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया । अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - "सैंतीस"

वाणिज्य उद्योग की संचालित याजनाएं

51. **(क्र. 1164) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मन्दसौर जिले में उद्योग विभाग द्वारा क्या-क्या योजनाएँ बनाई गई हैं ? (ख) नवीन उद्योगों हेतु शासन द्वारा किस योजना में कितनी मदद किस प्रकार की जाती है ? (ग) सुवासरा विधानसभा क्षेम में शामिल की कई योजनाओं के तहत कितने उद्योग चल रहे हैं ? (घ) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में पर्याप्त पानी तथा शासकीय भूमि होने के बाद भी उद्योगों की योजनाएँ नही बनाई गई हैं, इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) मन्दसौर जिले में वर्तमान में विभाग द्वारा निम्नानुसार योजनाएं संचालित की जा रही है:- सहायता योजनाएं-1. उद्योग निवेश अनुदान योजना 2. ब्याज अनुदान योजना 3. उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना 4. परियोजना सहायता योजना (गुणवता प्रमाणीकरण में / पेटेण्ट प्राप्त करने पर / परियोजना प्रतिवेदन पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति) 5. प्रवेश कर मुक्ति सुविधा 6. टेक्सटाईल परियोजनाओं हेतु विशेष पुनरीक्षित पैकेज, 2012 7. बीमार इकाईयों हेतु पुनर्जीवन योजना व पैकेज, स्वरोजगार योजनाएं-1. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 3. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम , उक्त के अतिरिक्त सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के शामगढ में 50 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक प्रयोजन हेतु चिन्हित की गई है । (ख) नवीन उद्योगों की स्थापना होने पर पात्र उद्योगों को उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत प्रमुख योजनाओं में निम्नानुसार सहायता का प्रावधान है :- 1. सूक्ष्म एवं लघु विनिर्माण उद्यमो को निवेश का 15 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम 15 लाख रूपये , 2. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमो को टर्म लोन पर 5 प्रतिशत की दर से 7 वर्षो के लिए ब्याज अनुदान, अधिकतम 3-5 लाख रूपये प्रति वर्ष , 3. प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक से 5 वर्ष हेतु प्रवेश कर छूट, 4. कम से कम रूपये एक करोड का स्थायी पूंजी निवेश करने वाली इकाई को 5/7/10 वर्षो के लिए मूल्य संवर्धित कर तथा केन्द्रीय केन्द्रीय विक्रय कर की राशि पर 50/75 प्रतिशत निवेश संवर्धन सहायता (ग) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में निम्नानुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित हुए है :-

वित्तीय वर्ष	स्थापित उद्योग
2010-11	71
2011-12	42
2012-13	108
2013-14	68
2014-15	49

(घ) उत्तरांश 'क' के तारतम्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं ।

<u>विकास एवं पर्यावरण विभाग की योजनाएं</u>

52. **(क्र. 1165) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आवास एवं पर्यावरण विभाग के क्या-क्या कार्य एवं योजनाएँ हैं ? (ख) मंदसौर जिले में इस विभाग द्वारा विगत 5 वर्षों में क्या-क्या कार्य कराये गये हैं तथा किस स्थान पर कितनी राशि खर्च की गई है एवं विगत 5 वर्षों में कितना बजट प्राप्त हुआ है ? (ग) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में आज दिनांक तक नगर एवं ग्रामों हेतु क्या-क्या योजनाएँ बनाई गई एवं वर्तमान में कौन-कौन से कार्य किये जा रहे हैं ? (घ) यदि नहीं बनाई गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 15.07.14 द्वारा आवास एवं पर्यावरण विभाग का लोप किया जाकर "नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग" किया गया है । पूर्व के कार्य आवंटन नियमों के अनुसार कार्यों की **जानकारी परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) से (घ) 'क' के परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नही होता है ।

परिशिष्ट - "अड़तीस"

<u>अवैध रूप से संचालित आरा मशीनों पर कार्यवाही</u>

53. **(क्र. 1192) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत कितनी वैध तथा अवैध आरामशीनें संचालित है ? संचालक के नाम, स्थान, संचालित वर्ष व प्रदत्त अनुमति लायसेंस सहित जानकारी देवें ? (ख) एक जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा कहां-कहां नवीन आरामशीन लगाऐं जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है ? (ग) उपरोक्तानुसार अवैध रूप से संचालित आरामशीनों के विरूद्ध शासन द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार): (क) प्रश्नाधीन क्षेत्र में 32 आरामशीन संचालित हैं । अवैध आरामशीन के संचालन संबंधी कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया । शेष जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । (ख) एवं (ग) प्रश्नाधीन अवधि में नवीन आरामशीन लगाये जाने की कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है । शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>मार्ग/पुलो का निर्माण</u>

54. **(क्र. 1232) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ये सच है,कि श्योपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत गोरस-आवदा-अजापुरा मार्ग 35 कि.मी. लम्बा एकल लेन महत्वपूर्ण मार्ग हैं, इस मार्ग पर कई ग्राम व ग्राम पंचायतों के मुख्यालय विद्यमान हैं परिवहन/नागरिको का आवागमन हर समय बना रहता हैं इसी कारण इसे इण्टरमीजिएट लेन का बनाया जाना आवश्यक हैं ? (ख) क्या ये भी सच हैं, कि श्योपुर-खातौली इण्टरस्टेट हाइवे पर पार्वती नदी पर स्थित पुल वर्तमान में क्षतिग्रस्त व रोड़ लेवल से बहुत नीचा हैं श्योपुर जिला मुख्यालय को राजस्थान से जोड़ता हैं ? (ग) क्या ये भी सच हैं, कि श्योपुर-शिवपुरी हाइवे पर कूनो नदी पर स्थित पुल भी रियासतकाल का होकर बहुत सकरा व नीचा हैं ? (घ) उक्त दोनों पुल वर्षाकाल में आवागमन को बधित भी करते हैं इन सभी कारणों से प्रश्नांश (ख) एवं (ग) में वर्णित पुलों के स्थान पर उच्चस्तरीय पुल बनाये जाने की आवश्यकता हैं ? (ड.) यदि हां, तो प्रश्नांश (क) एवं (ख) (ग) में वर्णित मार्ग एवं उच्चस्तरीय पुलों के प्रस्ताव/प्राक्कलन तैयार कर इन्हें केन्द्रीय सड़क निधि में शासन प्रस्तावित करेगा इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा माह जनवरी 2015 में विभागीय मंत्री/विभाग को भेजे पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) जी हाँ, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत मार्ग 33.00 कि.मी. है । जी हाँ । जी हाँ । (ख) लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत मार्ग के अंतिम कि.मी. के बाद पार्वती नदी पर जलमग्नीय पुल का निर्माण राजस्थान सरकार द्वारा कराया गया है । (ग) जी हाँ । (घ) जी हाँ । (ड.) प्रस्ताव परीक्षणोपरांत उपयुक्तता के आधार पर स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया जाना संभव होगा ।

हाउसिंग बोर्ड कालोनी का निर्माण

55. **(क्र. 1233) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर को जिले बने 16 वर्ष हो चुके हैं लेकिन वर्तमान तक यहां हाउसिंग बोर्ड का नवीन कार्यालय स्वीकृत कर प्रारंभ नहीं कराया गया हैं, इसके क्या कारण हैं ? (ख) जिले के नागरिकों को हाउसिंग बोर्ड की योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु क्या शासन श्योपुर में नवीन कार्यालय स्वीकृत कर प्रारंभ कराने पर विचार करेगा अथवा कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? वर्तमान में श्योपुर जिले में हाउसिंग बोर्ड के कार्य का प्रभार किस जिले के किस अधिकारी के पास हैं ? (ग) क्या जिला प्रशासन/हाउसिंग बोर्ड द्वारा श्योपुर में हाउसिंग बोर्ड की नवीन कालोनी बनाने हेतु भूमि चिन्हित कर इसके आवंटन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है ? यदि हां, तो कितनी भूमि कहां-कहां चिन्हित की गई ? (घ) उक्त प्रस्ताव वर्तमान में कब से किस स्तर पर व क्यों लंबित पड़ा है ? इसे स्वीकृत कराने हेतु जिला प्रशासन/हाउसिंग बोर्ड द्वारा वर्तमान तक क्या कार्यवाही की गई ? (ड.) उक्त लंबित प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान करके श्योपुर में नवीन कालोनी का निर्माण कराकर विद्यमान तरीके से आम नागरिकों को भवनों का आवंटन कर उपलब्ध करा दिये जावेंगे ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) श्योपुर जिले में हाउसिंग बोर्ड का कार्यालय दिनांक 18.07.2007 को स्थापित किया गया हैं । (ख) मण्डल उपसंभाग कार्यालय का कार्य क्षेत्र संपूर्ण श्योपुर जिला है एवं इसका प्रभार श्री आर.सी.शर्मा, सहायक यंत्री के पास है । (ग) मण्डल द्वारा आवासीय योजना हेतु 11.06 हेक्टेयर भूमि के आवंटन हेतु आवेदन किया है । प्रकरण शासन के राजस्व विभाग में विचाराधीन है । इसके अतिरिक्त कमजोर एवं निम्न आय वर्ग श्रेणी के भवनों के लिये 3.98 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई है । (घ) मण्डल द्वारा आवेदित 11.06 हेक्टेयर भूमि क आवंटन का प्रकरण म.प्र. शासन के राजस्व विभाग में वर्ष 2012 से विचाराधीन है । भूमि आवंटन के लिये राजस्व विभाग को समय-समय पर पत्र लिखे गये हैं । (ड.) राजस्व विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जावेगी । समय सीमा बताया जाना संभव नही है ।

शाजापुर जिले के पोलाय कलां में सड़क निर्माण में हटाये गये पम्प हाऊस

56. **(क्र. 1246) श्री इन्दर सिंह परमार :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पोलाय कलां आबादी क्षेत्र में एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा निर्माण कराये जा रहे रोड़ में आने वाले पेय जल के पम्प हाऊस व मुख्य पाईप लाईन, सप्लाय पाईप लाईन को हटाया गया

था ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पम्प हाऊस व पाईप लाईनों को पुन: बनाने व बिछाने का कार्य निर्माण कंपनी द्वारा ही किया जावेगा ? क्या अभी कार्य किया गया है ? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्य के संबंध में नगर पंचायत (परिषद) द्वारा ठीक कार्य नहीं करने की शिकायत विभाग व निर्माण कंपनी को प्राप्त हुई है ? (घ) क्या प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित शिकायतों को ध्यान में रखकर आवश्यकतानुसार साईज एवं क्वालिटी पूर्ण कार्य किया जा रहा है ? क्या इसकी जांच करायेंगे ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) जी हॉ । (ख) जी हॉ । पम्प हाउस एवं पाईप लाईन पुन: बनाने व बिछाने का कार्य निर्माण कम्पनी मेसर्स डी.पी. जैन एण्ड उज्जैन पैकेज (एन्युटी) रोड प्रोजेक्ट नागपुर के द्वारा ही किया जा रहा है । कार्य प्रगति पर है । (ग) जी हॉ । निर्माण कंपनी व विभाग (एम.पी.आर.डी.सी) को शिकायत प्राप्त हुई थी । (घ) शिकायत को दि्ष्टगत रखते हुए प्राप्त प्राक्कलन व प्रावधानानुसार निर्धारित मापदण्ड एवं गुण्वत्ता अनुसार कार्य पूर्ण किया जा रहा है । जांच की आवश्यकता नही ।

स्टेट हाइवे क्र. 41 पर आबादी क्षेत्र में सी.सी व नाली निर्माण

57. **(क्र. 1248) श्री इन्दर सिंह परमार :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्टेट हाइवे क्र.41 के अन्तर्गत आष्टा से शुजालपुर के बीच परफारमेन्स गारन्टी अवधि समाप्त होने के बाद क्षतिग्रस्त सड़क का मरम्मत कार्य कब-कब किया गया ? तथा कितना-कितना व्यय किया गया वर्षवार जानकारी देवें ? (ख) स्टेट हाइवे क्रं.41 के अन्तर्गत आबादी क्षेत्र में सड़क उखड रही इन क्षेत्रा में सी.सी. व नाली निर्माण क्यो नही किया गया ? (ग) क्या स्टेट हाइवे क्रं.41 की देखरेख के लिये कोई व्यवस्था विभाग द्वारा बनाई गई है यदि हां, तो अधिकांश समय सड़क क्षतिग्रस्त क्यो पड़ी रहती हैं ? (घ) क्या स्टेट हाइवे क्र. 41 के आबादी क्षेत्रों में सी.सी. कार्य व नाली निर्माण कराने के प्रस्ताव है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) स्टेट हाइवे क्रं. 41 के अंतर्गत आष्टा से शुजालपुर के बीच परफारमेंस गारंटी अवधि समाप्त होने के बाद मरम्मत कार्य पर किये गये वर्षवार व्यय की जानकारी:- वर्ष 2012-13 में व्यय राशि रूपये 13.00 लाख, वर्ष 2013-14 में व्यय राशि रूपये 54.76 लाख, वर्ष 2014-15 में व्यय राशि रूपये 37.45 लाख । (ख) जी नहीं । स्टेट हाइवे क्रं. 41 के अंतर्गत आबादी क्षेत्र में प्राक्कलन में सी.सी. एवं नाली निर्माण के प्रावधान नहीं होने से निर्माण कार्य नहीं किये गये । (ग) जी हाँ । स्टेट हाइवे क्रं. 41 के लिए वर्तमान में झोनल कॉटेक्ट अनुबंध के तहत वर्क आर्डर जारी कर क्षतिग्रस्त सडक की मरम्मत की जा रही है एवं नियमित रखरखाव हेतु मार्ग ओएमटी योजना में निविदा की कार्यवाही प्रचलित है । यह सत्य नहीं है कि अधिकांश समय सडक क्षतिग्रस्त पडी रहती है । सडक का रखरखाव नियमित है । (घ) जी हाँ । स्टेट हाइवे क्रं. 41 पर स्थित ग्राम अमलाई पत्थर, अरनिया कला, एवं अरंडिया कजोड के आबादी क्षेत्रों में सी.सी. कार्य व नाली निर्माण कराने के प्राक्कलन तैयार किये जा रहे है ।

खेलकूद गतिविधियों पर व्यय राशि

58. **(क्र. 1250) डॉ. मोहन यादव :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्जैन संभाग अन्तर्गत विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित है ? विगत 05 वर्षों के बजट की प्रति उपलब्ध कराएं ? उक्त बजट अनुसार कौन-कौन सी योजनाओं में, किस-किस खेलकूद गतिविधियों में कितना-कितना व्यय किया गया ? (ख) क्या यह सही है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा महानंदा नगर स्थित स्पोर्टस एरिया विभाग को खेलकूद गतिविधियों के संचालन हेतु हस्तांतरित किया गया है ? यदि हाँ तो कब ? (ग) उक्त एरिया हस्तांतरण किये जाने के पश्चात से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि विभाग द्वारा उक्त एरिया में खेलकूद गतिविधियों को प्रोत्साहित किये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) उज्जैन संभाग अंतर्गत संचालित विभागीय योजनाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है । संचालित योजनाओं में उज्जैन संभाग के जिले में बजट एवं उसके विरूद्ध हुए व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है । (ख) उज्जैन विकास प्राधिकरण उज्जैन के पत्र क्र. 185/09/05 दिनांक 20-11-2009 के द्वारा गुरूजी खेल प्रशाल महाश्वेता नगर उज्जैन परिसर का कब्जा संचालन एवं संधारण हेतु खेल विभाग उज्जैन (संचालक खेल एवं युवा कल्याण भोपाल) को सौंपा गया है । (केवल एथलेटिक्स मैदान के पास बिल्डिंग के ऊपर के चार कमरे एवं मैदान का ही कब्जा प्राप्त हुआ है) इसके अतिरिक्त गुरूजी खेल प्रशाल, स्वीमिंगपूल, बेडमिन्टन हाल, पवेलियन बिल्डिंग, बास्केटबाल मैदान, एथलेटिक्स बिल्डिंग के नीचे के कमरे के कब्जे के लिये जिला उज्जैन कार्यालय के पत्र क्र. 12 दिनांक 09-02-2011 से भी लेख किया गया है । (ग) उक्त एरिया हस्तांतरण किये जाने के पश्चात से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है । विभाग द्वारा उक्त एरिया में खेलकूद गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिये हॉकी फिडर सेन्टर संचालित किया जा रहा है, एथलेटिक्स के खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त करते है एवं अन्य खेलकूद संस्थाओं/सामाजिक संस्थाओं को प्रतियोगिता कराने हेतु निःशुल्क मैदान उपलब्ध कराया जाता है ।

उद्योग विभाग द्वारा आवंटन की गयी भूमियां

59. **(क्र. 1289) श्री आर.डी. प्रजापति :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छतरपुर जिले में उद्योग स्थापना हेतु कौन-कौन सी भूमियां राजस्व विभाग से हस्तांतरित की गई है, उनके खसरा नं. रकवा की जानकारी देवे ? (ख) पिछले 10 वर्षों में किन-किन उद्योगों की स्थापना के लिये भूमियां आवंटित की गई है उनका पूरा विवरण प्रदाय करें ? (ग) ऐसे कितने आवंटित प्लॉट (भूमियां) है जिन पर कोई भी उद्योग स्थापित नहीं किया गया है, तो क्या शासन ने उनकी लीज निरस्त कर कब्जा वापस ले लिया है ? यदि नहीं तो कब तक ले लिया जाएगा ?

(घ) उपरोक्त आवंटित प्लाटों में से ऐसे कितने है जिन पर जिन उद्योगों को लगाने की अनुमति दी गई थी उनसे भिन्न उपयोग व कार्य किए जा रहे है ? उनकी लीज निरस्त करके शासन से कब्जा प्राप्त किया है या नहीं ? यदि नहीं तो कब तक किया जाएगा ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) छतरपुर जिले में उद्योग स्थापना हेतु निम्नानुसार भूमि राजस्व विभाग से विभाग को हस्तांतरित की गई है :-

क्रमांक	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	खसरा नंबर	रकवा
1	ग्राम सौंरा बैलगाड़ी औद्योगिक क्षेत्र	784/1	16 हेक्टेयर
2	ग्राम चंद्रपुरा, चंद्रपुरा औद्योगिक क्षेत्र	22,29,30,31,34,60,686/101/3/2	50 हेक्टेयर
3	ग्राम शिकारपुर, शिकारपुरा औद्योगिक क्षेत्र	44,50,51,52/1,52/2,54,55,56,57,58, 59/6ख,62,64,67,69,70,71/1,73,74/2 ,75,76,78,79	24.212 हेक्टेयर

(ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** हैं । (ग) 163 इकाईयों को आंवटित 173 प्लाटों (भूमियों) जिन पर उद्योग स्थापित नही किया गया, उनकी लीज डीड/आवंटन आदेश निरस्त कर कार्यालय द्वारा अधिपत्य प्राप्त कर लिया गया है । (घ) उपरोक्त आवंटित प्लाटों में से एक प्लाट जिसमें मे. राज एग्रो इण्डस्ट्रीज द्वारा गेट, ग्रिल व जाली आदि का निर्माण कार्य के साथ साथ अन्य प्रयोजन धर्म कांटा का संचालन भी किया जा रहा है, जिसके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है ।

लीज रेंट का निर्धारण

60. **(क्र. 1328) श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 1973-75 में ई-6, ई-7 परिक्षेत्र अरेरा कालोनी, भोपाल में रहवासी कालोनी विकसित करने के लिए शासकीय भूमि म.प्र. गृह निर्माण मंडल एवं अर्ध संरचना विकास मंडल को 30 वर्ष की अवधि के लिये लीज पर दी गई थी ? यदि हां, तो लीज अवधि समाप्ति उपरांत म.प्र.गृह निर्माण मंडल द्वारा समय-समय पर नियमानुसार लीज नवीनीकरण किया जाता रहा है ? (ख) यदि हां, तो म.प्र. गृह निर्माण मंडल स्वयं की लीज नवीनीकरण के एवज में 160 गुना लीज रेंट किस आधार पर इन रहवासियों से वसूल कर रहा हैं ? जबकि 2 अगस्त 1994 राजस्व विभाग के आदेश द्वारा पिछले निर्धारित दर का 6 गुना रेंट वसूल किया जाना हैं ? लीज वसूली के क्या नियम और रेंट हैं इतने अधिक गुना लीज रेंट किस आधार पर वसूला जा रहा हैं ? (ग) प्रश्न (ख) के अंतर्गत

प्रश्नांक दिनांक तक म.प्र. गृह निर्माण मंडल ने कितनी-कितनी राशि लीज रेंट की जमा की हैं क्षेत्रवार जानकारी देवें ? (घ) क्या लीज नवीनीकरण हेतु लीज रेंट ई-1, ई-2, ई-3, ई-4 एवं ई-5 क्षेत्रों में शासन द्वारा पिछले निर्धारित दर का 6 गुना रेंट वसूल किया जा रहा हैं, जबिक ई-6, ई-7 में गृह निर्माण मंडल द्वारा नियम का पालन न करते हुए 160 गुना लीज रेंट वसूला जा रहा हैं ? क्यों, कारण स्पष्ट बतावें ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) जी हां । गृह निर्माण मण्डल अद्योसंरचना विकास मण्डल द्वारा भवन स्वामियों के आवेदन पर लीज नवीनीकरण किया जाता है । (ख) यह सही नही है कि मण्डल द्वारा 160 गुना लीज रेंट वसूल किया जा रहा है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रथम 30 वर्ष की अवधि के लिये मण्डल द्वारा जो लीज रेंट की दर निर्धारित की गई थी, वह कम थी, इस कारण लीज नवीनीकरण के समय मण्डल द्वारा प्रथम 30 वर्ष के अंतर की राशि एवं शासन द्वारा निर्धारित लीज रेंट की दर रूपये 2.34 प्रति वर्ग मीटर का छः गुना जमा कराया जा रहा है । (ग) **जानकारी परिशिष्ट** पर है । (घ) मण्डल द्वारा ई-6, ई-7 क्षेत्र में 160 गुना लीज रेंट नही वसूला जा रहा है ।

परिशिष्ट - "उन्तालीस"

<u>मंदिर का रखरखाव</u>

61. **(क्र. 1336) श्री जितू पटवारी :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) इन्दौर एवं उज्जैन जिले में ऐसे कितने मंदिर है जिन पर म.प्र. शासन का नियंत्रण है ? जिलेवार मंदिरों की संख्या प्रदान करें ? (ख) प्रदेश में स्थित मंदिरों का रखरखाव एवं संरक्षण किस प्रकार किया जाता है ? इसके क्या प्रावधान है ? साथ ही इन मंदिरों के पुजारियों को किस दर से मासिक भुगतान किया जाता है ? (ग) उज्जैन जिले में स्थित महाकाल मंदिर एवं मंगलनाथ मंदिर एवं इंदौर जिले में स्थित खजराना मंदिर एवं गोपाल मंदिर से विगत 3 वर्षों (2012-13, 2013-14 एवं 2014-15) में कितनी राशि प्राप्त हुई ? इन मंदिरों के रखरखाव पर कितनी राशि व्यय की गई ? वर्षवार एवं व्यय मदवार जानकारी देवें ? (घ) क्या उपरोक्त मंदिरों में विगत 3 वर्षों में कोई मूल्यवान धॉतुऐं श्रृद्धालुओं द्वारा दान स्वरूप प्रदान की गई है ? यदि हॉ, तो इनको सुरक्षित रखने के क्या प्रावधान है ? (ड.) प्रश्नांश (क) स्थित निजी एवं ट्रस्टी मंदिरों के संबंध में क्या नियम कायदे है ? क्या इन मंदिरों पर भी शासन का हस्तक्षेप या नियंत्रण होता है ? यदि नहीं तो क्या निजी मंदिरों से कोई राशि राजस्व के रूप में प्राप्त की जाती है ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) इंदौर जिले में 1503 एव उज्जैन जिले में कुल 2567 शासन संधारित मंदिर हैं । (ख) ऐसे मंदिरों का रख रखाव एवं संरक्षण मंदिर की आमदनी से सामान्य रूप से स्थानीय स्तर पर पुजारियों द्वारा किया जाता है । पुजारियों को म.प्र धर्मस्व विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-7-23/2002/छै भोपाल दिनांक 15/2/2013 के तहत मानदेय भुगतान किया

जाता हे । ज्ञाप की प्रति **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अ अनुसार** (ग) इंदौर जिले के मंदिरों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'क' अनुसार** एवं उज्जैन जिले के मंदिरों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ख' अनुसार** है । (घ) इंदौर के श्री गोपाल मंदिर में कोई मूल्यवान धातु श्रृद्धालुओं द्वारा दान स्वरूप प्रदान नहीं की गई । खजराना मदिर में श्रृद्धालुओं द्वारा मूल्यवान धातुएं दानस्वरूप प्रदान की गई हैं । प्राप्त धातुओं को जिला कोषालय के दृढ प्रकोष्ठ में सुरक्षित रखा जाता है । उज्जैन स्थित महाकाले''वर मंदिर में प्राप्त मूल्यावान धातुएं मंदिर के डबल लॉक में सुरक्षित रखी जाती हैं । तहसील घटिया जिला उज्जैन में स्थित श्री मंगललनाथ मंदिर में प्राप्त बहुमूल्य वस्तुओं में आभूषण में चांदी के मुकुट एवं छत्र प्राप्त हुए हैं,जिनको जिला कोषालय में सुरक्षित रखा गया है (ड.) जिन मंदिरों के ट्रस्ट पंजीकृत हैं का प्रावधान ट्रस्ट की नियमावली अनुसार होता है । मंदिरों से कोई राशि राजस्व के रूप में प्राप्त नहीं की जाती है ।

रामवन धार्मिक स्थल में संत रविदास मंदिर का निर्माण

62. **(क्र. 1389) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सतना जिला अंतर्गत धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के मंदिरों से लगी हुई कितनी चल व अचल संपत्तियां हैं ? तहसीलवार मंदिरवार बतायें ? (ख) क्या यह सही है कि सतना जिले में मंदिर से लगी हुई भूमियों, भवनों व दुकानों से होने वाली आय का मंदिर के लिये उपयोग न कर पुजारी अपने हित में उपयोग कर रहे हैं ? यदि हां तो क्या शासन उक्त मंदिरों की संपत्ति से होने वाली आय को मंदिर के विकास के लिये खर्च करने की व्यवस्था करेगा ? (ग) तहसील रामपुर बाघे. अंतर्गत धार्मिक स्थल रामवन में संत रविदास जी की जीर्ण-क्षीर्ण मंदिर को बनाने हेतु विभाग द्वारा राशि स्वीकृत कर भव्य रूप देते हुए कायाकल्प कराया जावेगा ? यदि हां तो कब तक ? यदि हां तो कब तक ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) सतना जिले के शासन संधारित 150 मंदिरों के संबंध में तहसीलवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) इस विभाग के पत्र क्रमांक एफ 7-9/2007/छै: दिनांक 08/05/2008 से मंदिर से लगी कृषि भूमि लीज पर न दी जाकर अस्थाई रूप से मंदिर के पुजारियों के हवाले रखी गई है । उक्त निर्देशों की प्रभावशीलता प्रतिवर्ष बढाते हुए वर्तमान मे आदेश दिनांक 25/11/2014 द्वारा भूमि दिनांक 31/05/2015 तक पुजारियों के हवाले रखी गई है । (ग) जी हां ।

ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता में लापरवाही की जांच

63. **(क्र. 1407) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि सुरखी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जैसीनगर में दिनांक 18 नवम्बर 2014 में स्वामी विवेकानंद ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा कराया गया था ? इस आयोजन में किस-किस मद में कुल कितनी राशि का व्यय किया गया

था ? (ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उक्त प्रतियोगिता में आयोजकों के द्वारा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये आये प्रतिभागियों के लिये नियमानुसार उचित व्यवस्था नहीं की गयी जिसके कारण प्रतियोगिता में भारी अफरा तफरी मच गयी, प्रतिभागियों के बीच मारपीट हुई, प्रतियोगी बेहोश होकर भी गिर पड़े जिन्हें प्राथमिक उपचार तक नहीं मिल सका ? जिसकी जांच हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 20.11.2014 को कलेक्टर सागर को एक पत्र भी लिखा गया था ? (ग) यदि हां, तो प्रश्नकर्ता द्वारा लिखे गये पत्र के अनुसार प्रकरण की जांच कब और किससे करायी गयी और इस हेतु किसे दोषी पाया गया तथा दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) जी नहीं । अपितु वर्ष 2014-15 में राजीव गांधी खेल अभियान योजनान्तर्गत विकासखंड स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 18 नवंबर 2014 को विभाग द्वारा कराया गया । व्यय राशि की मदवार **जानकारी संलग्न परिशिष्टि अनुसार** है । (ख) जी नहीं । प्रतियोगिता आयोजन के दौरान प्रतिभागियों हेतु समुचित व्यवस्था की गई थी । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ग) दिनांक 20.11.2014 को कलेक्टर सागर के लिये जो पत्र लिखा गया था, वह कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अंकित किया गया है । उक्त पत्र पर अनुविभाग अधिकारी (राजस्व) द्वारा तहसीलदार जैसीनगर को जाँच के लिये अधिकृत किया है ।

परिशिष्ट - ''चालीस''

<u>जैसीनगर वायपास मार्ग को नये सिरे से निर्माण</u>

64. **(क्र. 1408) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सागर जिले के सुरखी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित जैसीनगर वायपास मार्ग में अत्यन्त घटिया स्तर की निर्माण सामग्री का उपयोग कर अधिकारियों एवं ठेकेदार की मिल भगत से गुणवत्ताहीन सड़क का निर्माण किया गया है ? (ख) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा उक्त सड़क निर्माण की जांच कर कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों को पत्र लिख गया था ? (ग) यदि हां, तो प्रश्नकर्ता द्वारा लिखे गये पत्र के अनुसार उक्त सड़क निर्माण कार्य की जांच करायी गयी अथवा नहीं ? यदि हां, तो कब और जांच में क्या पाया गया ? परिणामों से अवगत करायें ? (घ) क्या विभाग जैसीनगर वायपास मार्ग को पुन:नये सिरे से निर्मित करायेगा, नहीं तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) जी नहीं । सागर जिले के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जैसीनगर बाईपास मार्ग कार्य में उपयोग की गई सामग्री मापदण्डानुसार उपयोग की गई है । अत: शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) जी हॉ । कलेक्टर सागर को संबोधित पत्र दिनांक 12.09.2014 की प्रति **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है । (ग) कार्य का निरीक्षण

किया गया है । निरीक्षण प्रतिवेदन **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है । (घ) पुन: नये सिरे से निर्मित करना जरूरी नहीं है क्षतिग्रस्त मार्गो को ठेकेदार की जमा पूंजी राशि रू. 11.99 लाख से अनुबंध की कंडिका अंतर्गत आवश्यक मरम्मत एवं संधारण हेतु कार्यवाही की जावेगी ।

परिशिष्ट - ''इकतालीस''

सबलगढ़ - मुरैना रोड का कार्य

65. **(क्र. 1462) श्री मेहरबान सिंह रावत :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सबलगढ़, मुरैना रोड का कार्य पिछले माह से संबंधित ठेकेदार द्वारा नहीं कराया जा रहा है ? क्या संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही प्रस्तावित की गई है ? कार्यवाही विवरण बतावें ? (ख) नैपरी पुल निर्माण हेतु जमीन लीज का कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जाएगा ? समयावधि बताऐं एवं पुल निर्माण हेतु किस दिनांक से शुरू कर दिया जायेगा ? समयावधि बतायें ? (ग) नैपरी पुल के नीचे का कार्य संबंधित ठेकेदार द्वारा स्टीमेंट के अनुसार नहीं कराया गया है ? संबंधित ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही कब तक प्रस्तावित की जाएगी ? समयावधि बतायें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) जी हाँ । इस संबंध में दिनांक 20.01.2015 को म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल द्वारा आयोजित मीटिंग में संबंधित ठेकेदार को कार्य शीघ्र प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया गया है । अनुबंध अनुसार अभी समयावधि शेष है । अत: कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) नैपरी पुल निर्माण कार्य हेतु भू-अधिग्रहण कार्य की कार्यवाही कलेक्टर कार्यालय मुरैना में प्रक्रिया में है । भू-अर्जन का कार्य पूर्ण होने के पूर्व समयावधि बता पाना संभव नहीं है । (ग) उक्त कार्य संबंधित ठेकेदार द्वारा वाहनों के सुचारू रूप से निकलने हेतु स्वयं के व्यय से कराया गया है, जिसका उसे कोई भुगतान नहीं किया गया है । अत: ठेकेदार के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता । अत: समय सीमा बताने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

निर्मित किये गये कार्य

66. **(क्र. 1471) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में विगत 5 वर्षो में कितने बीओटी मार्ग निर्मित किये गये कितने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित किए गये सड़को के नाम, अनूपपुर जिले की सीमा में आने वाली दूरी, ठेकेदारों का नाम, निवेश राशि, कार्य की प्रगति, व्यय राशि सहित बतावें ? बीओटी एवं प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत बनने वाले मार्गो के पूर्ण होने एवं अपूर्ण मार्गो की जानकारी वर्षवार बतावें ? (ख) किन मार्गो का कार्य ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं किया गया ? जिन ठेकेदारों द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किया गया है ऐसे ठेकेदारों

को क्या शासन ब्लेक लिस्टेड करेगा ? (ग) ठेकेदारों द्वारा निर्मित मार्गो के रख रखाव की अवधि कितनी है मार्गवार विवरण दें ? प्रश्न दिनांक तक किन मार्गो का रख-रखाव ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है ? मार्ग का नाम, वर्तमान स्थिति, कब तक खराब मार्गो की मरम्मत कर दी जायेगी ? पूर्ण ब्यौरा दें ? (घ) क्या ओवर लोडिंग से पटना-सटई मार्ग, लपटी दोनिया-बिजौरी मार्ग, परसेल से बम्हनी मार्ग, लीलासेला से दमेहडी मार्ग, नोनघटी से दमहेडी मार्ग, राजेन्द्र ग्राम से जैतहरी मार्ग, राजेन्द्र ग्राम से हर्राटोला मार्ग परसेल मोहाटी देकर मार्ग, बम्हनी से केशवानी मार्ग, पोडकी से करगना मार्ग, खराब होकर के गड्ढों में परिवर्तित हो गये हैं ? इन मार्गो का जीर्णोद्धार कब तक किया जायेगा ? (ड.) अनूपपुर अंतर्गत बीओटी एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत डामर रोड, पेंच रिपेयर WBM रोड एव CC सड़क का निर्माण पिछले पांच वर्षो से प्रश्न दिनांक तक किन-किन एजेंसियों द्वारा निर्माण कार्य कराये गये हैं ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) लोक निर्माण विभाग में निरंक । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ड.) उत्तरांश 'क' अनुसार ।

परिशिष्ट - ''बयालीस''

<u>वृक्षारोपण एवं पौधों की सुरक्षा</u>

67. **(क्र. 1472) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अनूपपुर जिले में विगत 5 वर्षों में मध्य पथ वृक्षारोपण एवं पौधों की सुरक्षा के लिये ट्री गार्ड बनाये गये थे ? यदि हां तो कितने ट्री गार्ड बनाये गये कितनी राशि व्यय की गई एवं उसमें कितने फलदार एवं छायादार पौधों को रोपित किया गया ? तथा इनके रख रखाव एवं संचालन का कार्य किस को किन-किन शर्तों के अधीन दिया गया है ? (ख) उक्त अवधि के कितने ट्री गार्ड रख रखाव के अभाव में नष्ट हो गये तथा कितने सुरक्षित है ? इसी तरह से कितने फलदार एवं छायादार वृक्ष वर्तमान में जीवित अथवा मृत हो गये हैं ? पौधों की प्रजाति एवं संख्या बतायें ? (ग) जो पौधे तथा ट्री-गार्ड नष्ट हो गये उस नुकसान हेतु किस अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित की गई ? तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये शासन क्या योजना बना रहा है ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार): (क) वन विभाग के द्वारा कार्य नहीं किया गया है अपितु जिला पंचायत अनूपपुर के द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्य किया गया है । शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है । (ख) उक्त अवधि के 10006 ट्री गार्ड प्राकृतिक एवं पशुओं के द्वारा नुकसान पहुँचाने के कारण नष्ट हुए हैं तथा 16861 ट्री गार्ड सुरक्षित हैं । 4216 फलदार एवं 12396 छायादार वृक्ष जीवित हैं । 2552 फलदार एवं 7703 छायादार वृक्ष मृत हो गये हैं । खमेर, शीशम, सुबबूल, आम, शहतूत, आंवला, सागौन, नीम, कटहल, अमरूद, कचनार,

यूकेलिप्टस, अर्जुन, करंज, नीबू, एवं गुलमोहर आदि प्रजाति के 26867 पौधे रोपित किये गये हैं । (ग) प्राकृतिक एवं पशुओं के द्वारा पौधे तथा ट्री गार्ड नष्ट होने की स्थिति में किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा अधिकारी/ कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई है । प्राकृतिक रूप से एवं पशुओं द्वारा नष्ट पौधे रोपित किये जा चुके हैं ।

अधिकारियों की चल रही जांच

68. **(क्र. 1476) श्री विश्वास सारंग :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01.01.2012 से 30.06.2014 के दौरान लोक निर्माण विभाग में किस-किस नाम के प्रमुख अभियंता/अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री की विभागीय जांच/लोकायुक्त जांच/ ई ओ डब्ल्यू की जांच चल रही है ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत किस पदनाम और नाम के अधिकारी की जांच पूरी हो चुकी है ? किन-किन की जांच चल रही है ? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत जांच रिपोर्ट के उपरांत संबंधितों पर क्या-क्या कार्रवाई की गई है ? यदि प्रश्न दिनांक तक कार्रवाई नहीं हुई है तो क्यों ? कारण दें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अ, ब, स अनुसार** है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अ, ब, स अनुसार** है (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट प्रपत्र अ, ब, स अनुसार** । विभागीय जांच प्रचलन में है । जांच उपरांत कार्रवाई की जाना संभव होगा ।

दोषियों पर कार्यवाही

69. **(क्र. 1477) श्री विश्वास सारंग :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले के सारणी-लोनिया रोड पर बने राजडोह पुल के पहली बारिश में ही बह जाने पर शासन स्तर की जांच में किस पदनाम/नाम के अधिकारी दोषी पाए गए थे ? पदनाम, नाम सहित जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत दोषियों के खिलाफ प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्रवाई की गई है ? नहीं की है तो क्यों ? कारण दें ? नियम बताएं ? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत दोषियों के खिलाफ क्या अब कार्रवाई की जायेगी ? यदि हां तो क्या और कब तक ? समय सीमा दें ? (घ) प्रश्नांश (क) के तहत क्या बहे पुल की लागत ब्याज सहित ठेकेदार से वसूल की जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ? कारण दें ? नियम बताएं ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) दोषी अधिकारियों के खिलाफ शासन द्वारा अंतिम कारण बताओ सूचना जारी किया गया है । अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) ''ख'' के प्रतिविदन अनुसार विभागीय कार्यवाही प्रचलन में है । समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है । (घ) ठेकेदार को नोटिस दिया गया था । माननीय न्यायालय के द्वारा नोटिस निरस्त किया गया है । न्यायालीन निर्णय के परिप्रेक्ष्य में वसूली स्थगित है ।

परिशिष्ट - ''तैंतालीस''

नगरीय निकायो द्वारा निर्मित दुकानों की नीलामी

70. **(क्र. 1481) श्री गिरीश भंडारी :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नगरीय निकाय को उनके द्वारा निर्मित दुकानों को निलामी द्वारा बेचने/लीज पर देने का अधिकार है ? यदि हाँ तो इस संबंध में निकाय को किस अनुसार निलामी करना चाहिए ? उस संबंध में शासन के निर्देश की प्रति उपलब्ध कराये ? (ख) यदि प्रश्न की कंडिका (क) के उत्तर में बताई गई जानकारी का पालन कोई नगरीय निकाय नहीं करता तो क्या शासन संबंधित निकाय के C.M.O./परिषद/अध्यक्ष के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा ? हाँ तो क्या ? नहीं तो क्यों नहीं ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) जी हॉ । नगरपालिक निगम की स्थिति में म.प्र. नगर पालिक निगम (अचल सम्पत्ति का अंतरण) नियम, 1994 तथा नगर पालिका/नगर परिषद की स्थिति में म.प्र. नगर पालिका (अचल सम्पत्ति का अंतरण) नियम, 1996 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार नीलामी की जाती है । नियमों की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है । (ख) प्रश्नांकित संदर्भ में किसी भी प्रकरण के गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जाती है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

दमोह जिले के पथरिया विकासखंड के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

71. **(क्र. 1489) श्री लखन पटेल :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में पथरिया खंड के अंतर्गत ग्राम कुमेरिया से सागर-दमोह मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु एक कि.मी. सड़क निर्माण हेतु क्या स्वीकृति दी गई है ? (ख) पथरिया खंड के ही अंतर्गत ग्राम देवरान से सागर दमोह मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु एक किलोमीटर का मार्ग स्वीकृत किया गया है ? (ग) यदि नहीं, तो कब किया जावेगा ? (घ) इसकी लागत कितनी-कितनी होगी ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) जी नही । (ख) जी नही । (ग) जिला प्लान सीलिंग अनउपलब्धता के कारण वर्तमान में समय सीमा बताना सम्भव नही । (घ) प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' में अंकित मार्गो की लागत प्रारम्भिक आकलन अनुसार क्रमश: लगभग रूपये 50.99 लाख एवं रू. 140.00 लाख आयेगी ।

दमोह वन मंडल के बटियागढ़ वन क्षेत्र में समितियों द्वारा राशन वितरण बावत्

72. **(क्र. 1490) श्री लखन पटेल :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह वन मंडल के बटियागढ़ वन क्षेत्र के अंतर्गत किन वन समितियों द्वारा राशन दुकानों का संचालन किया जा रहा है ? (ख) ग्रामवार-समितिवार कितना राशन प्रत्येक माह में आवंटन किया जाता हितग्राहियों को कितना राशन वितरित किया जाता है ? (ग) हितग्राही को कौन-कौन स्कंध कितनी-कितनी मात्रा में दिया जाता है ? उस मात्रा का वन समिति को क्या कमीशन दिया जाता है ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार): (क) प्रश्नांकित क्षेत्र अंतर्गत गूगराकला एवं आलमपुर ग्राम वन समितियों द्वारा राशन की दुकानों का संचालन किया जा रहा है । (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ग) हितग्राहियों को निम्नानुसार मात्रा में प्रतिमाह राशन वितरित किया जाता हैः-

सामग्री	अन्त्योदय अन्न योजना के सदस्य (6 सदस्य से कम)	अन्त्योदय अन्न योजना के सदस्य (6 सदस्य से अधिक)	बी.पी.एल. सदस्य
गेहूँ	प्रति परिवार 25 कि.ग्रा.	प्रति सदस्य 03 कि.ग्रा.	प्रति सदस्य 04 कि.ग्रा.
चावल	प्रति परिवार 05 कि.ग्रा.	प्रति सदस्य 01 कि.ग्रा.	प्रति सदस्य 01 कि.ग्रा.
नमक	प्रति परिवार 01 कि.ग्रा.	प्रति परिवार 01 कि.ग्रा.	प्रति परिवार 01 कि.ग्रा.
शक्कर	प्रति परिवार 01 कि.ग्रा.	प्रति परिवार 01 कि.ग्रा	प्रति परिवार 01 कि.ग्रा.
कैरोसीन	प्रति परिवार 05 लीटर	प्रति परिवार 05 लीटर	प्रति परिवार 04 लीटर

वितरित राशन सामग्री के आधार पर प्रतिमाह समितियों के माध्यम से राशन दुकान के संचालक को रूपये 10,083 कमीशन एवं समिति को रूपये 250 कमीशन मिलता है ।

परिशिष्ट - "चवालीस"

<u>खेतिया-सेंधवा मार्ग निर्माण में विलंब</u>

73. **(क्र. 1515) श्री बाला बच्चन :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खेतिया-सेंधवा मार्ग 8 जनवरी, 2015 तक पूर्ण होना था अभी तक कितना मार्ग निर्मित हुआ एवं कितनी राशि आहरित की जा चुकी है ? (ख) मार्ग निर्माण कार्य अत्यंत धीमी गति से होने के कारण स्पष्ट करें ? निर्माण कंपनी पर इसके लिए क्या दंड आरोपित किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों कारण बताएं ? (ग) यह भी बताएं कि उपरोक्त मार्ग कब तक पूर्ण होगा ? समय सीमा बताएं ? (घ) उपरोक्त धीमे निर्माण कार्य की अनदेखी करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा ? समय सीमा बतावें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) अनुबंधानुसार सेंधवा-खेतिया मार्ग का निर्माण कार्य दिनांक 06.09.2015 तक पूर्ण किया जाना है । अभी तक मार्ग पर 10 कि.मी. डी.बी.एम. (डामरीकरण), 07 पुलियाओं का चौडीकरण पूर्ण होकर 02 पुलियाओं का चौडीकरण प्रगति पर है । इसके साथ-साथ 04 नवीन पुलिया निर्माण कार्य प्रगति पर है । उक्त मार्ग टोल+एन्युटी योजनांतर्गत प्रगतिरत् है । अत: विभाग की ओर से कोई भी राशि आहरित एवं भुगतान नहीं की गई । (ख) उक्त मार्ग का फाइनेंशियल क्लोजर न होने के कारण निवेशकर्ता की ओर से निर्माण हेतु आवश्यकता अनुरूप वित्तीय एवं भौतिक संसाधन नहीं लगाने जाने के कारण कार्य की गति अत्यंत धीमी रही । निर्माण कंपनी को विलंब हेतु दिनांक 01.09.2014 को अनुबंध निरस्तीकरण हेतु

नोटिस दिया गया एवं रू. 1.00 करोड़ की बिड सिक्युरिटी राशि दिनांक 20.01.2015 को जप्त की गई । (ग) अनुबंधानुसार मार्ग निर्माण की समय सीमा दिनांक 06.09.2015 तक निर्धारित है । कार्य में विलंब हुआ है, किन्तु मार्ग का निर्माण कार्य मार्च 2016 तक पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जा रहे है । (घ) निवेशकर्ता की ओर से किये जा रहे धीमे निर्माण कार्य हेतु किसी अधिकारी द्वारा कोई अनदेखी नहीं की गई है । निवेशकर्ता को समय-समय पर कार्य की गति बढ़ाने हेतु नोटिस जारी किये गये, अनुबंधानुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी की गई है । धीमे निर्माण कार्य की अनदेखी हेतु कोई अधिकारी उत्तरदायी नही है । अत: कार्यवाही का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

<u>महिदपुर नगर पालिका जल आवर्धन योजना</u>

74. **(क्र. 1521) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र में महिदपुर नगर पालिका की जल आवर्धन योजना कब स्वीकृत हुई थी ? इसकी पूर्णता दिनांक क्या है ? इस पर अभी तक हुआ व्यय बतावें ? (ख) नगर पालिका महिदपुर द्वारा नगर सीमा के अतिरिक्त किन-किन ग्राम पंचायत क्षेत्र की कालोनियों को पेयजल पाइप लाइन से जोड़ा गया है, उनकी सूची देवें ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) महिदपुर नगर पालिका की जल आवर्धन योजना यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत दिनांक 21.05.2012 को स्वीकृत हुई थी । इसकी पूर्णता दिनांक 14.03.2014 थी । इस योजना पर अभी तक राशि रू. 1081.00 लाख व्यय हुआ है । (ख) नगर पालिका महिदपुर द्वारा नगर सीमा के अतिरिक्त ग्राम पंचायत भीमाखेडा की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट** में वर्णित 13 कॉलोनियों को पयेजल लाईन से जोड़ा गया है ।

परिशिष्ट - ''पैंतालीस''

<u>महिदपुर शुगर मिल के अतिक्रमण को हटाना</u>

75. **(क्र. 1522) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र स्थित महिदपुर शुगर मिल में कितने अतिक्रमण हटाना शेष हैं ? नाम, जगह, रकबा सहित बतावें ? (ख) उपरोक्तानुसार अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है एवं कब तक अतिक्रमण हटा लिए जाऐंगे ? (ग) बंद मिल को कब तक शासन नवीन उद्योग लगाने के लिए मुक्त करवाएगा ? समय सीमा बताऐं ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र स्थित महिदपुर शुगर मिल में 11 अतिक्रमण हटाना शेष हैं, जिसकी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है । (ख) उपरोक्तानुसार अतिक्रमण रिक्त कराना शेष है जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, जिसकी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है । अत: अतिक्रमण हटा लिये जाने की

समय सीमा बताया जाना संभव नही है । (ग) अतिक्रमण के संबंध में प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रचालित होने के फलस्वरूप नवीन उद्योग लगाने के लिए भूमि मुक्त कराये जाने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं ।

परिशिष्ट - "छियालीस"

<u>बालाघाट जिले के रजेगांव-लांजी-आमगांव मार्ग का निर्माण</u>

76. **(क्र. 1530) श्री हर्ष यादव :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में रजेगांव-लांजी-आमगांव मार्ग की स्वीकृति, अंतिम देयक तथा कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र तक जारी करने का कार्य किस कार्यपालन यंत्री व मुख्य अभियंता की देखरेख (प्रभार) में हुआ अथवा यह दायित्व किन-किन अधिकारियों के पास रहा ? (ख) क्या यह सही है कि इस मार्ग के घटिया व गुणवत्ताहीन निर्माण होने के कारण निर्माण पूर्ण होने से छः माह की अवधि में ही उखड़ गया है ? क्या उक्त मार्ग के घटिया निर्माण की शिकायतों-जांचों आदि में तत्कालीन मुख्य अभियंता श्री मधुसूदन दुबे द्वारा अनुचित व भ्रामक कार्यवाही करते हुए कार्यपालन यंत्री, अनुविभागीय अधिकारी व उपयंत्रियों को संरक्षण दिया व निर्माण एजेंसी के विरूद्ध समुचित कार्यवाही न कर तत्कालीन मुख्य अभियंता द्वारा निर्माण एजेंसी को ब्लेक लिस्टेड होने से बचाया गया ? क्या इस मामले में शासन के किसी वरिष्ठ अधिकारी से जॉच कराई जावेगी ? (ग) प्रश्नांश (ख) वर्णित गंभीर अनियमितता में बिना जांच कराये तत्कालीन मुख्य अभियंता को किस आधार पर सेवानिवृत्ति दी गई ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह): (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) जी नहीं । शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । (ग) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - "सैंतालीस"

<u>आवासीय कालोनी के भूखण्ड का व्यवसायिक उपयोग</u>

77. **(क्र. 1531) श्री हर्ष यादव :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गोविन्दपुरा, भोपाल स्थित प्रकाश गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित द्वारा विकसित पूर्णतः आवासीय कालोनी के भूखण्ड क्र. 10 में अवैध रूप से संचालित हो रहे गोडाउन को लेकर नगर पालिक निगम, भोपाल को कब-कब, कौन सी शिकायतें प्राप्त हुई ? शिकायतों की प्रति व उन पर प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही का विवरण दें ? (ख) उक्त भूखण्ड क्रमांक 10 में निर्मित भवन की अनुज्ञा किस दिनांक को किसके नाम पर जारी की गई ? स्वीकृत नक्शे की प्रति दें ? उक्त भवन अनुज्ञा आवासीय परिसर हेतु या व्यवसायिक परिसर हेतु जारी की गई थी ? (ग) क्या उक्त

अनुज्ञा के विपरित निर्माण व उपयोग के मामले में अनुज्ञा निरस्त कर समुचित कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक एवं यदि नहीं तो क्यों ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) गोविन्दपुरा, भोपाल स्थित प्रकाश गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित द्वारा विकसित पूर्णत: आवासीय कॉलोनी के भूखण्ड क्रमांक 10 के संबंध में दिनांक 06.12.2014 को श्री मयूर चालीसगांवकर एवं दिनांक 16.12.2014 को गुमनाम शिकायतकर्ता के माध्यम से शिकायतें प्राप्त हुई है। (छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ''अ'' अनुसार** है)। प्राप्त शिकायतों के तारतम्य में भूखण्ड क्रमांक 10 के भवन स्वामी को मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 302 (1) एवं 307 (2) के तहत नोटिस जारी किए गए। (ख) भूखण्ड क्रमांक 10 में निर्मित भवन की अनुज्ञा क्रमांक 559 दिनांक 20.08.2009 श्री राजेन्द्र सिंह कुशवाह के नाम पर आवासीय उपयोग हेतु जारी की गई है। स्वीकृत नक्शे की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र- ''ब'' अनुसार** है। (ग) जी हॉ। अनुज्ञा के विपरीत निर्माण कार्य पाए जाने पर मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है, जो कि एक सतत् प्रक्रिया है एवं समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>घोषित पवित्र नगरों में लागू प्रावधान</u>

78. **(क्र. 1534) श्री नारायण त्रिपाठी :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार्मिक महत्व के नगरों को पवित्र नगर घोषित करने के सम्बंध में क्या नीति, नियम, निर्देश हैं ? पवित्र नगरों में कौन-कौन से विशेष प्रावधान प्रचलित हैं ? क्या इनके समुचित विकास हेतु कोई विशेष कार्ययोजना बनाई गई है ? नहीं तो क्यों ? (ख) क्या यह सही है कि मां शारदा देवी पीठ के लिए विश्व विख्यात, धार्मिक, ऐतिहासिक नगर मैहर को कभी शासन द्वारा पवित्र नगर घोषित किया गया है ? यदि हां तो पवित्र नगरों के लिए घोषित प्रावधानों व नियमों, योजनाओं में से अब तक किन-किन को मैहर शहर में लागू किया गया है ? पवित्र नगरों हेतु क्या-क्या प्रावधान शासन के किस-किस विभाग से सम्बंधित हैं ? इन्हें कब तक मैहर में लागू किया जावेगा ? (ग) मैहर नगर के विकास कार्यों से संबंधित कौन-कौन सी योजनायें विभाग में कब से किस स्तर पर लम्बित हैं ? योजनावार कारण बतावें ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) एवं (ख) म.प्र.शासन द्वारा प्रकाशित राजपत्र (असाधारण) भोपाल क्रमांक 538 दिनांक 31.10.2005 द्वारा मैहर नगर को पवित्र नगर घोषित करते हुए मैहर नगर स्थित धार्मिक स्थलों/मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों को पवित्र क्षेत्र में विनिर्दिष्ट किया गया है । जी हाँ, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा मैहर नगर की नगर विकास योजना तैयार की गयी है, जिसके तहत नगर विकास संबंधित कार्य किये जाते है । (ख) जी हाँ, म.प्र.शासन द्वारा प्रकाशित राजपत्र (असाधारण) भोपाल क्रमांक 538 दिनांक 31.10.2005 एवं अधिसूचना दिनांक 20.02.2009 द्वारा मैहर नगर को पवित्र नगर घोषित किया गया । नगर विकास योजना के तहत

मैहर नगर के विकास कार्य किये जा रहे है । पवित्र नगरों से संबंधित विभाग पर्यटन विभाग, धर्मस्थ विभाग, राजस्व विभाग एवं नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग हैं । नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की स्वीकृत योजनाओं की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट** पर है । (ग) मैहर नगर के विकास कार्यो से संबंधित किसी भी प्रकार की योजना नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग में लंबित नहीं है ।

परिशिष्ट - "अड़तालीस"

<u>रीवा संभाग के धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार व विकास में व्यय राशि</u>

79. **(क्र. 1535) श्री नारायण त्रिपाठी :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विगत पांच वर्षों में वर्ष वार रीवा संभाग को विभिन्न धार्मिक स्थलों, मंदिरों के जीर्णोद्धार, मरम्मत व विकास कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि/आवंटन प्राप्त हुआ ? (ख) उक्त प्राप्त आवंटन में से किस-किस वर्ष कितनी-कितनी राशि से कहां-कहां के धार्मिक स्थलों में क्या-क्या कार्य, किन-किन संस्थाओं/निकायों/एजेंसियों के माध्यम से कराये गये ? इनके प्राक्कलन किनके द्वारा तैयार किये गये ? प्रति दें व बतावें कि राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र व कार्य की पूर्णता के प्रमाण-पत्र कब-कब किन-किन अधिकारियों द्वारा जारी किये गये ? (ग) उक्त अवधि में उपरोक्त जीर्णोद्धार कार्य हेतु धार्मिक स्थल के चयन, राशि की स्वीकृति व कार्य-एजेंसी के निर्धारण हेतु क्या-क्या मापदण्ड अपनाये गए ? नहीं तो क्यों ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया): (क) रीवा जिले के लिये वर्ष 2010 में रू. 15.00 लाख वर्ष 2013 रू. 7.51 लाख सीधी जिले में वर्ष 2011 में 8.75 लाख का आबंटन दिया गया है (ख) प्रश्नांश का उत्तर अनुसार मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु क्रमश: 7-00 लाख कार्यपालन यंत्री ग्रा.यां.से. रीवा को प्रदाय की गई है तथा कार्य पूर्ण किया जा चुका है । रूपये 15.51 लाख की राशि कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. रीवा को प्रदाय की गई है तथा कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. द्वारा जानकारी दी गई है कि जीर्णोद्धार का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जा रहा है । जिन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया गया है उसकी सूची एवं पूर्णता प्रमाण पत्र **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है । सीधी जिले को वर्ष 2011 में दिये गये आबंटन से जिन धार्मिक स्थानों में जीर्णोद्धार कार्य कराया गया है उसकी जानकारी विकास खण्डवार संलग्न है । कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सीधी को राशि प्रदाय की गई है **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है । प्राक्कलन कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सीधी द्वारा तैयार किया गया है । उपयोगिता प्रमाण पत्र **पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है (ग) उक्त अवधि में धार्मिक स्थलो से प्राप्त प्राक्कलन अनुसार धार्मिक न्यास से प्राप्त आबंटन पर निर्माण एजेन्सी लोक निर्माण <u>विभाग/ग्रामीण</u> यांत्रिकीय विभाग द्वारा मंदिरों का जीर्णोद्धार निर्माण मापदण्डों के अनुसार मंदिरों के (मूल स्वरूप) कार्य कराया गया । सीधी के धार्मिक मंदिरों के मरम्मत कार्य लोक निर्माण विभाग (<u>भ/स</u>) संभाग सीधी द्वारा आई.आर.सी. मापदण्ड के अनुसार कार्य कराया गया है

राज्य लघु वनोपज में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण

80. **(क्र. 1659) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य लघु वनोपज संघ के अन्तर्गत प्रदेश में जिलों में बनाई गई समितियों में कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं ? जिलेवार जानकारी दें ? क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? (ख) कुशल एवं अकुशल के नियमितीकरण के लिए क्या कार्यवाही की ? अगर नहीं तो क्या कारण है ? (ग) नियमितीकरण कब तक किया जाएगा ? क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार): (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।